ड्रग विधि प्रवर्तन

क्षेत्रीय अधिकारियों की हस्तपुस्तिका

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
गृह मंत्रालय
भारत सरकार

ड्रग विधि प्रवर्तन

क्षेत्रीय अधिकारियों की हस्तपुस्तिका

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
गृह मंत्रालय
भारत सरकार

उद्देश्य

निष्ठा नियमन समन्वय

दूरदर्शिता

सभी पणधारियों के समन्वय और सहयोग से ड्रग मुक्त समाज बनाने और उनके बीच पारस्परिक सहक्रिया करने का प्रयास

लक्ष्य

1. केन्द्रीय प्राधिकरण के रूप में स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों की प्रभावशाली ढंग से रोकथाम और उनके दुरूपयोग तथा अवैध व्यापार को नियंत्रित करना।
2. सभी ड्रग्स संबद्ध नियमों के अंतर्गत प्रवर्तन से संबंधित विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों की कार्रवाई को समन्वित करना।
3. ड्रग्स का दुरूपयोग करने से संबंधित मामलों में सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों द्वारा की गई कार्रवाई को समन्वित करना।
4. ड्रग्स के अवैध व्यापार के खिलाफ किए जाने वाले प्रतिरोधी उपायों के संबंध में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशनों और नयाचारों के तहत राष्ट्रीय दायित्वों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
5. विदेशी प्राधिकरणों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में समन्वयन स्थापित करने और विश्वव्यापी कार्रवाई करने के लिए उनके साथ मिल–जुल कर कार्य करना।
6. राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में ड्रग्स संबंधी नियमों के प्रवर्तन से संबंधित आंकड़ों, मुद्दों और बेंचमार्क के लिए भंडारण और संदर्भ स्थल के रूप में कार्य करना।
7. उपयुक्त मध्यस्थता संबंधी कार्रवाई करने और केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने के लिए विद्यमान और उभरती चुनौतियों, प्रवृत्तियों और प्रचालनात्मक संबंधी क्षमताओं का मूल्यांकन और विश्लेषण करना।
8. ड्रग्स संबद्ध कानूनों के प्रवर्तन के क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्मिकों और एजेंसियों की क्षमता निर्माण करने और प्रशिक्षित करने के लिए ठोस प्रयास करना।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
	प्रस्तावना	6
1.	डी.एल.ई.ओ. की जांच सूची	8
2.	आसूचना (इंटेलिजेंस) और सूचना एकत्र करना और उनका प्रबंधन	20
3.	प्रचालन: तैयारी करना, समन्वयन और योजना बनाना	24
4.	तलाशी शुरू करने से पहले	27
5.	तलाशी: शक्तियां, एहतियात और कार्रवाई	32
6.	बरामद करना और ज़ब्त करना	36
7.	ड्रग की पहचान करना और उसकी क्षेत्रीय जांच करना	39
8.	नमूना लेना (सैंपलिंग) और सील बंद करना	49
9.	तलाशी, बरामदी और ज़ब्ती का प्रलेखन	54
10.	स्वापक औषधियों की फसल की अवैध कृषि	59
11.	व्यक्तियों से पूछताछ करना और उनके बयान दर्ज़ करना	63
12.	गिरफ्तारी: गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत के दौरान की जानी वाली कार्रवाई और एहतियात	69
13.	बंदी का रिमांड लेना और ज़ब्त की गई ड्रग्स को मालखाने में जमा कराना	73
14.	निवारक कैद	76
15.	जांच	81
16.	अंतर्राष्ट्रीय जांच	86

17.	वित्तीय जांचः संपत्ति को अधिग्रहण/जब्त करना	89
18.	मुकदमे से पहले निपटारा	93
19.	अभियोजन शुरू करनाः शिकायत/आरोप पत्र दायर करना	97
20.	केस–फाइल का रखरखाव	99
21.	मुकदमा और जमानत प्रबंधन	104
22.	अधिहरण (कन्फिस्केटेड) किए गए सामान का निपटान	107
23.	नियंत्रित पदार्थ और नियमन	109
24.	सूचना देने वाले व्यक्तियों (इन्फॉर्मर) और अधिकारियों के लिए पुरस्कार	114
25.	कार्य, आचार–शास्त्र और विधि	119

संलग्नकः

1.	महत्वपूर्ण प्रपत्रों (फॉर्मेट) के नमूने	122–139
2.	कम और वाणिज्यिक मात्राओं की संपूर्ण तालिकाएं	140–152
3.	नियंत्रित पदार्थों की अनुसूची	153–154
4.	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के कार्यालयों की दूरभाष–निर्देशिका	155–160

इस हस्तपुस्तिका में प्रयुक्त संक्षिप्तियां

डी.एल.ई.ओ.	ड्रग विधि प्रवर्तन अधिकारी
एलआई	कानूनी हस्तक्षेप
एनडी	स्वापक औषधियां
पीएस	मनः प्रभावी पदार्थ
सीएस	नियंत्रित पदार्थ
ओपीएस	प्रचालन
पीआईटीएनडीपीएस	स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार का निवारण
आईएपी	अवैध उपार्जित संपत्ति
क्रि.पी.सी.	आपराधिक प्रक्रिया संहिता
एनसीबी	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
एचओडी	विभागाध्यक्ष
आईएनसीबी बोर्ड	अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड
एफआईयू	वित्तीय आसूचना यूनिट – भारत
सीए	सक्षम प्राधिकारी
डीओ	नजरबंदी / कारावास आदेश
आरयूडी	विश्वसनीय दस्तावेज
एलआर	याचना पत्र
एमएल	धन अवैध रूप से इकठ्ठा करना
सीआरसीएल	केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला
सीएफएसएल	केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला
एफएसएल	(राज्य) न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला

प्रस्तावना

हमारा यह अनुभव रहा है कि अकसर अनेक मामलों में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होने के बावजूद न्यायालयों ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के प्रावधानों को गलत ढंग से लागू किए जाने के कारण तकनीकी आधार पर अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया है। बार–बार ऐसी त्रुटियां होती रहती हैं। इसके परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में जिनमें पर्याप्त मात्रा में सामान जब्त किया जाता है और अभियुक्त का उसमें लिप्त होना प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी दे रहा होता है, फिर भी अभियुक्त सही सलामत बच निकलता है। इससे जांच अधिकारी न केवल हतोत्साहित होता है बल्कि इससे संगठन के ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष में भी रूकावट आती है।

हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि यदि एक बार कोई व्यक्ति ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो हमारी जांच प्रक्रिया सदैव ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उसका अपराध साबित हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जांच, विधि के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए और अनुचित प्रक्रियाओं और तकनीकी कमियों के कारण इसमें बाधा नहीं होनी चाहिए।

इसलिए एक ऐसी जांच अधिकारी विधि पुस्तिका बनाने की अत्यावश्यकता महसूस की गई जिसका उपयोग, अधिकारी इस क्षेत्र में कर सकें ताकि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की सही व्याख्या और अनुप्रयोग किया जा सके। यह पुस्तिका इसीलिए बनाई गई है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ–साथ अन्य संगठनों के विशेषज्ञों की टीम ने रात–दिन अध्ययन करके और श्रम साध्य परिश्रम से इस निर्देशिका को तैयार किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हमारे मस्तिष्क में उपजे लक्ष्य की पूर्ति होगी और यह पुस्तिका जांच अधिकारी के लिए उनके कार्य में वास्तव में और कारगर ढंग से सहायक सिद्ध होगी।

मैं, श्री माधो सिंह, उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो; श्री अमित कुमार तिवारी, अधीक्षक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और श्री जे०पी०एन० मिश्र, तकनीकी सहायक (प्रकाशन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने कई महीनों तक अपने अथक प्रयास करते हुए हस्त–पुस्तिका की संरचना में अपना बहुमूल्य योगदान देकर हमारे स्वप्न को साकार किया। मैं सघन परिश्रम करते हुए हिन्दी में इस हस्त–पुस्तिका के सहज–सरल प्रस्तुतीकरण हेतु डॉक्टर श्रीमती माधुरी गुप्ता, उप निदेशक (राजभाषा), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो; श्रीमती किरण घिल्डियाल, सहायक निदेशक (राजभाषा), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो तथा वरिष्ठ अनुवादकों – श्रीमती सुमीत कौर व श्री पाण्डेय राकेश का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

राजीव भटनागर

राजीव राय भटनागर
महानिदेशक
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

अध्याय 1
डी.एल.ई.ओ. की जांच सूची

क्षेत्रीय संचालन करना डी.एल.ई.ओ. के कार्यों की सूची का एक अंतरंग भाग है। ऐसा संचालन विशिष्ट सूचना प्राप्त अथवा एकत्र की गई आसूचना के आधार पर अथवा अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसे संचालन का अभिप्राय व्यक्तियों, परिसरों पर निगरानी रखना अथवा आस–पास के स्थान (आवास, कार्यालय, गोदाम आदि) की तलाशी लेना अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी वाहन या व्यक्ति को रोक कर पूछ–ताछ करना है । इसका उद्देश्य आपराधिक स्वरूप के साक्ष्य जिसमें अन्य आपराधिक सामान के साथ–साथ (एनडी, पीएस या सीएस), वस्तुएं और चीजें, अवैध रूप से उपार्जित संपत्ति, ड्रग्स को बेच कर प्राप्त होने वाली धनराशि और आपराधिक स्वरूप के दस्तावेज बरामद करके किसी अपराध का पता लगाना है।

तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसने ऐसी किसी भी चीज की अनदेखी नहीं की है जिसके कारण बाद में उसकी मेहनत पर पानी फिर जाए, डी.एल.ई.ओ. को अपने पास एक तैयार जांच सूची रखनी होती है। उसे निम्नलिखित चीजों की जांच करनी चाहिए:

तलाशी, क्षेत्रीय जांच और जब्ती

1. क्या उसके द्वारा सूचना लिखित में दर्ज की गई है? (यदि उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई है)।

2. क्या उसके पास यह विश्वास करने का कारण और आधार है कि साक्ष्य (ऐविडेंस) छिपाने का अवसर दिए बिना अथवा अपराधी को बच कर निकल जाने का मौका दिए बिना, तलाशी लेने का प्राधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या यह तथ्य उसके द्वारा लिखित में दर्ज किया गया है? (यदि वह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 (1) के परंतुक के अंतर्गत, तलाशी करने के प्राधिकार के बिना सूर्यास्त से लेकर सूर्य के उदय होने तक परिसरों की तलाशी करने की कार्रवाई शुरू करता है/निकलता है)।

3. क्या उसने उपरोक्त 1 या 2, जैसा भी लागू होता हो, के अनुसार उक्त दस्तावेज की एक प्रति अपने वरिष्ठ अधिकारी को 72 घंटों के भीतर भेज दी है?
(एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 (2)

4. क्या तलाशी के प्राधिकार की प्रति दिखा दी गई है और क्या तलाशी के समय दो स्वतंत्र स्थानीय गवाहों और परिसरों में उपलब्ध परिसरों के मालिकों/दखलदारों के हस्ताक्षर उस पर लिए गए हैं?
(यदि परिसरों की तलाशी प्राधिकार (सर्च ऑथोराइज़ेशन) के आधार पर की जाती है)।

5. क्या तलाशी करने वाले दल ने, परिसरों की तलाशी शुरू करने से पहले, परिसरों के मालिक/दखलदार द्वारा स्वयं की तलाशी करवाने की पेशकश की थी?

6. क्या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत परिसरों के कब्ज़ेदारों अथवा सार्वजनिक स्थल पर रोके गए व्यक्ति को लिखित नोटिस दिया गया था? (यदि किसी व्यक्ति की शारीरिक तलाशी ली जाती है तो ऐसा करना

अत्यावश्यक है और ऐसा करना तब जरूरी नहीं होता है जब कि केवल परिसरों की तलाशी ली जाए या व्यक्ति के कब्जे में थैले, ब्रीफकेस आदि की ही तलाशी ली जाए)। क्या ऐसे नोटिस के प्रत्युत्तर को उस पर लिखित रूप से दर्ज किया गया है?

7. क्या तलाशी करने वाले दल में कोई महिला अधिकारी शामिल थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी महिला की तलाशी महिला द्वारा ही ली गई है?
(एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50(4)

8. क्या ऐसा विश्वास किए जाने का कारण था कि तलाशी किए जाने वाला व्यक्ति, ड्रग्स और किसी अन्य अपराध–जन्य वस्तुओं के किसी भाग को दे देगा, इसलिए उसे ऐसे अधिकारियों के पास नहीं ले जाया गया और उसे लिखित में दर्ज नहीं किया जा सका?
(ड्रग्स और किसी अन्य आपराधिक स्वरूप की वस्तुओं को अपने कब्जे में रखने वाले किसी संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी किए जाने पर ऐसा व्यक्ति कानूनी रूप से ऐसे अधिकार का प्रयोग कर सकता है कि उसकी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ली जाए जैसा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50(1) में दिया गया है। यदि डी.एल.ई.ओ के पास ऐसा विश्वास किए जाने का कोई कारण है कि संदिग्ध व्यक्ति अपने पास ड्रग्स और किसी अन्य अपराध–जन्य वस्तुओं को दे देगा तो वह उसे ऐसे अधिकारियों के पास न ले जाने का निर्णय ले सकता है बल्कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50(1) में किए गए प्रावधान के अनुसार स्वयं ही उसकी तलाशी लेगा।

9. उपरोक्त मद 8 के अनुसार क्या दस्तावेज की प्रति उसने 72 घंटों के भीतर अपने आसन्न वरिष्ठ अधिकारी को भेज दी है?
(एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50(6)

10. क्या बरामद किए गए सभी संदिग्ध पदार्थों की, ड्रग का पता लगाने के (डिटेक्शन) किटों/(प्रीकर्सर) पूर्वगामी रसायनों के परीक्षण किटों द्वारा मौके पर ही जांच कर ली गई है और रंग मिलाने के परिणाम स्वरूप एनडी, पीएस अथवा सीएस के विद्यमान होने का पता चलता है और क्या सभी के दस्तावेज बना लिए गए हैं?

11. क्या सभी बरामद किए गए दस्तावेजों, वस्तुओं या चीजों की यह पता लगाने के लिए जांच/संवीक्षा (स्क्रूटिनि) कर ली गई है कि उनका अपराध किए जाने से कोई संबंध है और अधिनियम के अंतर्गत पूछताछ किए जाने के लिए उनकी महत्ता है?

12. क्या बरामद की गईं सभी और संबद्ध वस्तुओं को जब्त किए जाने और अधिहरण किए जाने योग्य होने पर उनकी प्रविष्टियां सावधानी से माल सूची में कर ली गई हैं और पंचनामा में उनको दर्ज कर लिया गया है?

13. क्या ड्रग्स की तलाशी किए जाने के समय बरामद, अपराध किए जाने से संबद्ध और बाद में जांच किए जाने वाले सभी सामान, दस्तावेजों, वस्तुओं, चीजों और परिसंपत्तियों को जब्त किया गया और उन्हें जब्त करने के तथ्य को पंचनामा में दर्ज किया गया है?

नमूने (सैंपल) लेना

14. क्या मौके पर जब्त किए गए संदिग्ध पदार्थों के प्रत्येक पैकेज या ढेर (गांजा और हशिश होने के मामले में उनके 40 के लॉट तथा अन्य ड्रग्स के मामले में 10 के लॉट बनाए गए हैं) में से दो प्रतिनिधिक नमूनों का एक सेट ले लिया गया है?

15. क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया था कि प्रतिनिधिक नमूने विनिर्दिष्ट वजन के हैं?
(अफीम, गांजा और चरस के मामले में प्रत्येक का वजन 24 ग्राम और सभी अन्य पदार्थों के मामले में प्रत्येक का वजन 5 ग्राम)।

16. क्या प्रतिनिधिक नमूनों सहित सभी पैकेजों को सही ढंग से पैक, चिन्हित और सील बंद कर लिया गया है?
(सुलभ संदर्भ के लिए मुख्य पैकेज अथवा ढेर को पी–1 अथवा एल–1 के रूप में तथा नमूनों के दो सेटों को एसओ –1 और एसडी–1 और इसी प्रकार अन्य को भी इसी प्रकार चिन्हित किया जा सकता है। नमूनों को ताप से सीलबंद की गई प्लास्टिक की थैलियों में रखा जाना चाहिए जिन्हें चिन्हित और सीलबंद किए जाने से पूर्व कागज के लिफाफों में रखा जा सकता है)।

17. क्या मौके पर जांच ज्ञापन की तीन प्रतियां बना ली गई हैं और नमूने के लिफाफों को सील बंद करने में प्रयुक्त सील की प्रतिकृति छाप जांच ज्ञापन पर लगा ली गई है?

18. क्या पंचनामा/जब्ती का ज्ञापन/माहाजर मौके पर ही सावधानी से बना लिया गया है और उस पर तलाशी की कार्रवाई शुरू होने से ले कर उसके समाप्त होने के समय

तक घटित सभी घटनाओं को शामिल करते हुए घटनाओं को क्रमानुसार निर्दिष्ट कर दिया गया है?

19. क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि पंचनामे और सभी बरामद/कब्जे में लिए गए कागजातों/वस्तुओं/चीजों पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर करा लिए गए हैं जिसके परिसर की तलाशी ली गई है अथवा जिससे बरामदी हुई है और उसके साथ ही दो स्वतंत्र गवाहों, डी.एल.ई.ओ. और यदि तलाशी की कार्रवाई में किसी महिला की तलाशी ली गई हो तो महिला अधिकारी को शामिल किया गया है तो उसके भी हस्ताक्षर करा लिए गए हैं?

20. क्या डी.एल.ई.ओ. द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत मालिक/दखलकार से पूछताछ करने और वसूली गवाहों को नोटिस जारी किया गया था और उनके बयान दर्ज किए गए हैं?

गिरफ्तारी

21. क्या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के संबंध में गिरफ्तारी किए जाने की सूचना देने और गिरफ्तारी करने के आधार का लिखित गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया गया था?

22. क्या गवाह की मौजूदगी में गिरफ्तारी की गई थी और गिरफ्तारी ज्ञापन पर उसके हस्ताक्षर लिए गए?

23. क्या गिरफ्तारी के तथ्य के बारे में बंदी के एक संबंधी अथवा मित्र को सूचित किया गया है और उसने इस आशय की पुष्टि गिरफ्तारी ज्ञापन (अरेस्ट मैमो) में की है?

24. क्या गिरफ्तारी के ब्यौरे, संबंधित एचएचओ, पुलिस स्टेशन

को दिए गए हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का सामान्य निवास स्थान आता है?
(उपरोक्त बिन्दु संख्या 21 से 24 कुछ ऐसे दिशानिर्देश हैं जिन्हें, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल बनाम डी.के. बसु के मामले में निर्धारित किया गया है)।

25. यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति विदेशी नागरिक है तो क्या उसकी गिरफ्तारी के ब्यौरे से निम्नोक्त को अवगत कराया गया है:

(1) संयुक्त सचिव, सीपीवी प्रभाग, विदेश मंत्रालय, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली।

(2) गृह मंत्रालय, विदेशी प्रभाग, संख्या 26 मान सिंह रोड, जैसलमेर हाऊस, नई दिल्ली।

26. क्या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया?

27. क्या जब्ती और की गई गिरफ्तारी की रिपोर्ट, जब्ती/गिरफ्तारी के 48 घंटों के भीतर आसन्न उच्च अधिकारी को भेज दी गई है, जैसा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत अपेक्षित है?

जब्त की गई ड्रग्स और पूर्वगामी रसायनों की अभिरक्षा की श्रृंखला (चेन ऑफ कस्टडी)

28. क्या जब्त किए गए सामान और नमूनों को उनके जब्त किए जाने के बाद यथाशीघ्र मालखाने में जमा करा दिया गया है और मालखाने के प्रभारी से उसकी पावती/रसीद प्राप्त कर ली गई है?

29. क्या नमूनों को जब्ती के 72 घंटों के भीतर विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए निर्धारित प्रयोगशालाओं में भेज दिया गया है?

(सीमा शुल्क और वित्त मंत्रालय की अन्य एजेंसियों के मामले में नमूने, सीआरसीएल को भेजे जाने अपेक्षित हैं। पुलिस और गृह मंत्रालय के अंतर्गत अन्य एजेंसियों के मामले में सीएफएसएल को तथा पुलिस और राज्य की अन्य एजेंसियों के लिए राज्य की एफएसएल को भेजे जाएं)

परिसंपत्तियों की जब्ती, कुर्की (फोर्फीटिंग) और अपवर्तन (फ्रीजिंग)

30. क्या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68–च के अंतर्गत उसके द्वारा सभी परिसंपत्तियों की जब्ती/कुर्की/आईएपी का आदेश जारी किया गया है और तलाशी लिए गए/जांच किए गए व्यक्ति को दिया गया है?

31. क्या जब्ती/कुर्की आदेश की एक प्रति, ऐसा किए जाने के 48 घंटों के भीतर आधिकारिक सक्षम प्राधिकारी (ज्यूरीस्डिक्शनल कंपीटेंट अथॉरिटी) को भेजी गई है जैसा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 च(1) के परंतुक के अनुसार अपेक्षित है?

32. क्या 30 दिनों के भीतर न्यायिक सक्षम प्राधिकारी से जब्ती/फ्रीज करने के आदेश की संपुष्टि प्राप्त हो गई है? क्या जब्त की गई परिसंपत्तियों के अधिहरण के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेशों के लिए मामले की निगरानी की गई?

33. क्या अभियुक्त व्यक्तियों की भूमिकाओं, उनके संपर्कों, अपराध में सहयोगियों और जब्त की गई परिसंपत्तियों

से उनके संबंधों आदि के प्रमाणों की स्वतंत्र संपुष्टि करने के बाद समस्त मुख्य अग्र तथ्यों/सुरागों का मूल्यांकन, विश्लेषण और जांच की गई?

निवारक कारावास

34. क्या मामले का मूल्यांकन किया गया और निवारक नजरबंदी के लिए उस पर कार्रवाई की गई और यदि मामले को उपयुक्त पाया गया तो क्या यथाशीघ्र जब्ती के 30–45 दिनों के भीतर नजरबंदी प्राधिकारी (डिटेनिंग अथॉरिटी (डीए) को इस आशय का प्रस्ताव भेजा गया?

35. क्या नजरबंदी प्राधिकारी (डीए) द्वारा कोई नजरबंदी का आदेश जारी किया गया?

36. क्या जेल में अथवा बाहर नजरबंद (नजरबंद/बंदी) को कोई आदेश जारी किया गया और उसकी पावती की प्रति पर नजरबंद के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए?

37. क्या नजरबंद/बंदी को नजरबंद/बंदी किए जाने के पांच दिनों के भीतर नजरबंद/बंदी के आधार के बारे में सूचित किया गया और पावती की प्रति पर नजरबंद/बंदी के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए?

38. क्या व्यक्ति का पता लगाने और नजरबंद करने के प्रयासों का समय–समय पर रिकार्ड रखा गया है?
(यदि व्यक्ति उपलब्ध नहीं है और फरार हो गया है)।

39. क्या नजरबंद/हिरासत में लिए जाने के 15 दिनों के भीतर पीआईटीएनडीपीएस प्रकोष्ठ को नजरबंदी के पावती दस्तावेजों का सेट भेज दिया गया है ताकि नजरबंद किए जाने की

तारीख से पांच सप्ताह के भीतर **पीआईटीएनडीपीएस प्रकोष्ठ** द्वारा मामले को सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

अनुवर्ती कार्रवाई

40. क्या जांच किए जाने वाले मामले की फाइल, वरिष्ठ अधिकारियों को मामले में हुई प्रगति की सूचना देने के लिए नियमित आधार पर (कम से कम एक सप्ताह/पखवाड़े में कम से कम एक बार) प्रस्तुत की गई है ताकि मामले पर उनके अनुदेश प्राप्त किए जा सकें, उनके द्वारा मानीटरिंग की जा सके और मार्ग निर्देशन प्राप्त किया जा सके?

41. क्या शिकायत दायर करने से पहले प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट समय पर प्राप्त हो गई है ? यदि नहीं तो उसे प्राप्त करने के लिए क्या कोई अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है?

42. क्या जांच समय पर पूरी हो गई है अर्थात् शिकायतें दायर करने के समय से कम से कम दो सप्ताह के भीतर पूरी हो गई?

    (मामलों की संख्या अधिक होने पर 180 दिनों के भीतर और अन्य मामलों में 60 दिनों के भीतर शिकायत दायर कर दी जानी चाहिए। न्यायालय में मामला दायर करने से पहले डी.एल.ई.ओ. के पास सभी प्रमाण को संकलित करने और मिलाने, शिकायत का प्रारूप तैयार करने, उसकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों और विधिक अधिकारी/विभागीय परामर्शदाता से करवाए जाने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए)।

43. क्या शिकायत सभी तरह से पूरी है और उसमें जांच के दौरान एकत्रित किए गए सभी तात्विक तथ्यों और प्रमाणों, ज्ञापन में उल्लिखित सभी गवाहों के ब्यौरों को शामिल किया गया है और न्यायालय में शिकायत को दायर करने के समय उसके साथ सभी मूल दस्तावेजों को संलग्न किया गया है?

जब्त की गई ड्रग्स का मुकदमे से पहले निपटान (प्री–ट्रायल डिस्पोज़ल)

44. क्या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 क के अंतर्गत सामान का मुकदमे से पहले निपटान करने का आवेदन पत्र, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है?
(अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 38 (ई)
दिनांक 16.01.2015)।

45. क्या मजिस्ट्रेट ने मुकदमे से पहले निपटान करने के आवेदन पत्र पर निर्णय ले लिया है? यदि हां तो डी.एल.ई.ओ. द्वारा ड्रग निपटान समिति को निपटान के बारे में सूचित करते हुए निपटान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है?
(अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 38 (ई)
दिनांक 16.01.2015) में पूर्व–निपटान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है)।

मुकदमा

46. क्या मुकदमे की प्रगति संतोषजनक है? यदि नहीं तो क्या एस.पी.पी./विभागीय परामर्शदाता से परामर्श किया गया है और विलंब के कारणों से निपटने के लिए कदम उठाए गए हैं?

47. क्या मामले में दोष–सिद्ध (कंविक्शन) होने का निर्णय आदेश (या दोषमुक्ति (एक्विटल) का आदेश) और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 63 के साथ पठित धारा 60/61/62 के अंतर्गत सामान की जब्ती का आदेश पारित हो गया है?

48. न्यायालय द्वारा ड्रग्स और अन्य मदों को जब्त करने का आदेश दिए जाने के मामले में क्या जब्त की गई ड्रग्स/वस्तुओं का निपटान करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है? क्या एनसीबी की एस.ओ. संख्या 2/88 दिनांक 11.04.1988 में यथा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जा रहा है?

49. क्या दोषमुक्ति के मामले में अथवा दोष सिद्धि के मामले में स्पष्ट रूप से कम सजा देने से संबंधित निर्णय आदेश का विश्लेषण किया गया है तथा मामले में अपील दायर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और विधिक अधिकारियों के साथ परामर्श किया गया है?

सूचना देने वालों (इंफोर्मर) और अधिकारियों को पुरस्कृत करना

50. क्या अधिकारियों और/अथवा सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है?
(ड्रग्स संबंधित मामलों में शिकायतें दर्ज किए जाने और वित्तीय जांच के पूरा हो जाने के बाद, एक बारगी अंतिम पुरस्कार प्रदान किए जाने का प्रस्ताव, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है)।

अध्याय 2

आसूचना (इंटेलिजेंस) और सूचना एकत्र करना और उनका प्रबंधन

एनडीपीएस अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य, एनडी, पीएस और सीएस से संबंधित संकार्यों के नियंत्रण और विनियमन के लिए सख्त प्रावधान बनाना है। ऐसे सख्त प्रावधान, सख्त कारावास और जुर्माने से परिलक्षित होते हैं। विधि चाहती है कि ड्रग्स के अवैध व्यापारियों के लिए ड्रग्स के अवैध व्यापार को बहुत खतरनाक बना दिया जाए जिनकी स्वभाविक प्रतिक्रिया यह होती है कि इन प्रचालनों को बहुत गोपनीय ढंग से संचालित किया जाए ताकि उसका पता लगाना और बाद में जांच पड़ताल किया जाना अत्यधिक कठिन हो जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अनुसार सब कार्य हों, डी.एल.ई.ओ. को सतर्क रह कर सूचना एकत्र करनी चाहिए।

सुराग को देखें: डी.एल.ई.ओ. को निश्चित ही यह समझना होगा कि वह अपनी शक्तियों का तभी प्रयोग कर सकता है जब उसके पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि अपराध किया गया है। ऐसे कारण का पता व्यक्तिगत जानकारी अथवा दूसरे स्रोतों से एकत्रित और विकसित की गई आसूचना से चल सकता है। ये स्रोत, अन्य सहयोगी एलईए और उनके रिकार्ड अथवा गुप्त मुखबिरों द्वारा प्रदत्त अथवा संदिग्ध व्यक्तियों की सशरीर और इलेक्ट्रोनिक निगरानी रख कर प्राप्त की गई विशिष्ट सूचना हो सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि डी.एल.ई.

ओ. सदैव अपने आंख कान खोल कर रखे ताकि एनडीपीएस अधिनियम के संभावित उल्लंघन और उल्लंघनकर्ताओं के बारे में प्रारंभिक संकेत प्राप्त हो सके। संबद्ध अपराध अथवा विगत अपराध से प्राप्त होने वाले प्रारंभिक संकेत/सुराग संदिग्ध व्यक्ति अथवा परिसरों का पता लगाने और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

अन्य स्रोतः सुराग कहीं भी और सभी जगह मिल सकता है । इनमें एक सीमा शुल्क अधिकारी, सोने की तस्करी के मामले का पता लगाने के समय सीमा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो कि ड्रग्स लाने ले जाने के कार्य में भी लिप्त हो सकता है अथवा उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा शुल्क का अपवंचन करने के जुर्म में पकड़ी गई कोई कंपनी जो कि अपने उत्पादन को कम दर्शाती है और सामान को चोरी छिपे बाहर ले जाती है अथवा कोई आयकर अधिकारी जो कि किसी व्यक्ति अथवा उद्योगपति की बेहिसाब आय का पता लगाता है अथवा एक स्थानीय चोर या जेबकतरे को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी सभी सूचना के उत्तम स्रोत साबित हो सकते हैं। दूसरे स्रोतों में समाचार पत्र, पुस्तकें और अन्य प्रकाशनों के साथ–साथ अन्य सरकारी एजेंसियों अथवा निजी निकायों/गैर–सरकारी संगठनों से प्राप्त आंकड़े भी उत्कृष्ट प्रारंभिक इनपुट हो सकते हैं।

क्रिया–प्रणालियों का अनुसरणः डी.एल.ई.ओ. के लिए यह अनिवार्य है कि वह एक आसूचना रिपोर्ट के रूप में आसूचना के सारांश को दर्ज करे। इस रिपोर्ट में सामग्री संबंधी सभी विवरण शामिल किए जाने चाहिए जैसे कि एनडी, पीएस या सीएस की किस्में, अपराध में अपनाए गए तरीकों सहित अपराध में लिप्त व्यक्ति, परिसर, वाहन आदि तथा समय–समय पर इनके

बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करते रहना चाहिए। इससे दल को सही समय पर संचालन योजना बनाने में सहायता मिल सकती है जिससे प्रमाणों के साथ अपराधियों को बीच में रोक कर रंगे हाथ पकड़ा जा सके।

सूचना का प्रबंध करना: यदि डी.एल.ई.ओ. को किसी व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसे प्रथम व्यक्ति के बयान के रूप में लिखित में दर्ज करवाना चाहिए, यह उपयुक्त होगा कि ऐसा बयान सूचना देने वाले के हाथ से लिखवाया जाए और उस पर उसके हस्ताक्षर लिए जाएं अथवा उसके बाएं अंगूठे की छाप ली जाए। उसके बाद अधिकारी यह पृष्ठांकित करते हुए कि “यह मेरे द्वारा दर्ज किया गया है” दर्ज की गई सूचना को मुहर बंद कर दे और उस पर अपने हस्ताक्षर के साथ अपना नाम, पदनाम तथा दर्ज किए जाने का समय और तारीख अंकित करें। उसका अगला कार्य एनसीबी–1 प्रपत्र में अन्य प्रविष्टियां करना तथा सूचना का संक्षिप्त विवरण लिखना होगा और यदि संभव हो तो तत्काल अथवा ऐसी सूचना दर्ज करने के 72 घंटों के भीतर उसे मुहर बंद लिफाफे में अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजना होगा। इस संबंध में यह नोट करना आवश्यक है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत यह एक निर्धारित सांविधिक प्रक्रियात्मक अपेक्षा है जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। सूचना को दर्ज करने और वरिष्ठ अधिकारी को उसकी सूचना देने की अनिवार्यता के पीछे कारण यह है कि आम जनता को पर्याप्त कारण और तर्क के बिना प्रताड़न से बचाया जा सके। इससे अधिकारी को तथ्यों को देखने का और प्राप्त हुई सूचना के आधार पर जैसा वह उचित समझे कार्रवाई करने का एक अवसर भी मिलता है।

सूचना देने वाले/मुखबिर की सुरक्षाः यहां यह अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कानून, सूचना देने वाले/मुखबिर की सुरक्षा और अभिरक्षा करता है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 में यह प्रावधान है कि किसी भी डी.एल.ई.ओ. को यह बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि अपराध के किए जाने के बारे में सूचना उसने कहां से प्राप्त की है।

झूठी सूचना देने वाले को दंडः आम जनता की सुरक्षा के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 58(2) के अंतर्गत एक अन्य प्रावधान यह किया गया है कि जानबूझ कर और दुर्भावनापूर्ण ढंग से ऐसी झूठी सूचना देना, जिसके कारण तलाशी की जाती है या गिरफ्तारी की जाती है, एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को दो वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दिए जा सकते हैं।

अध्याय 3
प्रचालनः तैयारी करना, समन्वयन और योजना बनाना

डी.एल.ई.ओ. को उसके विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई सूचना पर विश्वास हो जाने पर, उसका दूसरा कदम प्रचालन शुरू करने का होता है जिसका उद्देश्य ड्रग्स, ड्रग से संबंधित परिसंपत्तियों तथा अन्य संबंधित वस्तुओं को बरामद करना और जब्त करना औरध्या अपराधियों को गिरफ्तार करना है। तथापि, यह कार्य इतना आसान नहीं है कि कहने मात्र से हीं हो जाए। ड्रग्स के अवैध व्यापार में अत्यधिक खतरे और जोखिम होते हैं। ड्रग्स के अवैध प्रचालन (डीटीओ) से व्यक्ति को अत्यधिक धनराशि की आय हो सकती है बशर्ते कि वह गैर–कानूनी व्यापार में सफल रहे। लेकिन यदि वह अपने इस उद्यम में असफल हो जाता है तो उसे न केवल धनराशि का नुकसान होता है, बल्कि उसे अपनी स्वतंत्रता, अपना विगत लाभ, अपनी कीर्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा भी गंवानी पड़ सकती है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं कि व्यक्ति डीटीओ का कारोबार अत्यधिक गोपनीयता से करे। वह और उसके सह अपराधी, डी.एल.ई.ओ. द्वारा उनके धंधे का पता लगाए जाने पर और रास्ते में रोक देने पर हिंसा पर भी उतर सकते हैं। इसके साथ ही डी.एल.ई.ओ. के लिए अपनी पहचान उजागर होने, प्रचालन के विफल होने, गलत या अधूरी सूचना होने, सुरक्षा और अभिरक्षा के मुद्दों और इसी प्रकार की अनेक आपदाओं का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

सूचना का सत्यापनः यदि किसी अपराध घटित होने की

संभावना का पता रोजाना के नाकाबंदी प्रचालनों अथवा ड्रग्स के ज्ञात मार्गों पर चौकसी रखने के दौरान नहीं चला है तो डी.एल.ई.ओ. के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य अधिकारियों अथवा अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय/सहयोग करके प्राप्त सूचना की जांच करे। किसी अन्यथा निर्दोष व्यक्ति के बारे में दी गई झूठी सूचना के आधार पर विफल प्रचालन अथवा कोई बरामदगी नहीं किए जाने का भावी प्रचालनों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन डीटीओ के संलिप्त होने की सही सूचना के आधार पर शुरू किए गए प्रचालन की विफलता, डीटीओ और उसके सह अपराधियों को सचेत कर सकती है और वह अपनी कार्य प्रणाली (एमओ) को उन्नत बना लेंगे और अपने प्रचालनों के स्थान को बदल देंगे और इस प्रकार आने वाले अनेक वर्षों तक कानून के शिकंजे से बचे रहने में कामयाब रहेंगे।

4 प्रश्न और 1 प्रयासः डी.एल.ई.ओ. को कोई प्रचालन कार्य शुरू करने से पहले सभी संभावित प्रश्नों की तत्परता से जांच कर लेनी चाहिए। इन प्रश्नों में शामिल हैंः कौन (मुख्य व्यक्ति, संवाहक, अन्य सह–अपराधी), कहां (संदिग्ध परिसर, मिलन स्थल, कारोबार करने के स्थान), क्यों (एक विशिष्ट स्थान, परिसर, वाहन आदि का चयन करने के कारण), यदि हां तो क्या (डीटीओ के लिए उपलब्ध विकल्प), और कैसे (वाहन, मार्ग, छिपाए जाने की विधियां आदि)। सदैव याद रखें कि यदि योजना के अनुसार संचालन प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो विकल्प के रूप में दूसरी योजना को तैयार रखें।

प्रचालन की योजना बनानाः डी.एल.ई.ओ. को प्रचालन कार्य की योजना अपने दल के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से तैयार करनी चाहिए। इसमें सदस्यों का सहयोग

आवश्यकता और जानकारी के आधार पर लिया जा सकता है। वह हमेशा अन्य एजेंसियों से भी आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकता है। वास्तव में डी.एल.ई.ओ. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 56 के तहत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 में उल्लिखित सभी एजेंसियों/विभागों से सहयोग देने को कह सकता है और इन विभागों के अधिकारियों का यह दायित्व निर्धारित किया गया है कि वे एक दूसरे को सहयोग दें। सहयोगी एजेंसी को लिखित अनुरोध करने के बावजूद भी यदि उसका कोई अधिकारी सहयोग नहीं करता है तो ऐसे सहायता देने की मनाही करने के लिए कोई लिखित कारण नहीं देने वाले अधिकारी के विरूद्ध एनडीपीएस के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

तैयारीः तैयारी शुरू करने के लिए डी.एल.ई.ओ. तलाशी दल को सभी आवश्यक संभार तंत्र की सहायता प्रदान करेगा। इनमें अन्य वस्तुओं के साथ–साथ पर्याप्त ईंधन भरे वाहन, निगरानी के उपकरण (बायनाकुलर्स, रात्रि में देखने के उपकरण, मोबाइल फोन), तलाशी के उपकरण (टॉर्च, टूल किट्स), सील और सीलबंद करने के किट्स (सीलिंग वैक्स/लाख, सीलिंग लिफाफे, मोमबत्तियां, लाइटर), लेखन सामग्री और प्रपत्र जैसे कि धारा 67 के अंतर्गत नोटिस, धारा 41(2) के अंतर्गत तलाशी की अनुज्ञप्ति (सर्च ओथोराजेशन) आदि, वजन तौलने की मशीन, सुरक्षा संबंधी उपकरण (जैसे हथकड़ियां), शस्त्र और गोला–बारूद, क्षेत्रीय परीक्षण किट्स (मानक किट, प्रारंभिक रासायनिक किट और कैटामाइन किट्स), वीडियो कैमरा शामिल हैं।

यह सदैव उपयुक्त होगा कि संचालन कार्य के समय उपरोक्त सभी चीजों के प्रबंधन में कीमती वक्त को नष्ट करने के बजाए पहले से ही संपूर्ण तैयारी कर ली जाए।

अध्याय 4
तलाशी शुरू करने से पहले

किसी प्रचालन कार्य के लिए निकलने से पहले डी.एल.ई.ओ. और उसके दल को अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करना और स्वयं को पूरी तरह से तैयार करना आवश्यक होगा। जब किसी परिसर अथवा व्यक्तियों की तलाशी की जानी होती है तो ऐसा करना दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

परिसर:

1. डी.एल.ई.ओ. और उसके दल को अपने साथ उपयुक्त पहचान पत्र जैसे कि विभागीय पहचान पत्र कार्ड, धारा 41 के अंतर्गत जारी तलाशी के प्राधिकार पत्र रख लेने चाहिए यदि तलाशी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी (गजेटेड ऑफिसर) के निर्देशों के आधार पर की जाती है। यह चेतावनी दी जाती है कि अत्यधिक धन राशि, ऐसा कोई भी दस्तावेज, वस्तु या चीज आदि अपने साथ नहीं ले जाएं जिससे संदिग्ध व्यक्ति की ओर से झूठा आरोप लगाए जाने, उसके खिलाफ साक्ष्य गढ़ने, चोरी करने आदि जैसे आरोपों से बचा जा सके।

2. दल को तलाशी के लिए निर्धारित किए गए समय से पहले ही उस इलाके में पहुंच जाना चाहिए जिसमें लक्षित परिसर स्थित है और उस क्षेत्र के दो सम्मानीय स्वतंत्र गवाहों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए जो कि तलाशी की कार्रवाई में गवाही देने के लिए इच्छुक हों। ऐसी कार्रवाईयों में लोगों

की सहमति सुनिश्चित करने के लिए डी.एल.ई.ओ. को होशियारी से, दृढ़ विश्वास से तथा कानूनी आवश्यकता के बारे में प्यार से समझा बुझा कर काम लेना चाहिए ताकि लोगों को कानून के साथ सहयोग करने के लिए रजामंद किया जा सके। अत्यावश्यक परिस्थितियों में डी.एल.ई.ओ. ऐसे व्यक्तियों को कानूनी नोटिस जारी कर सकता है जिनसे गवाहों के तौर पर कार्य करने की अपेक्षा है। लिखित रूप में ऐसा करने के लिए कहे जाने पर उचित कारण बताए बिना (गवाही देने से) मना करना सी.आर.पी.सी. की धारा 100 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 187 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। गवाहों की पहचान हो जाने पर डी.एल.ई.ओ. कोई विशिष्ट विवरण दिए बिना उनको अपने तलाशी के प्रयोजन के बारे में स्पष्ट करेगा तथा उन्हें लक्षित परिसरों तक अपने साथ चलने के लिए कहेगा।

3. संदेहास्पद परिसरों में पहुंचने पर जैसे ही डी.एल.ई.ओ. और उसके दल के सदस्य दो स्वतंत्र गवाहों के साथ उनमें प्रवेश करते हैं तो दल के सदस्यों को उनके सभी संभावित प्रवेश और बाहर निकलने के स्थलों की चौकसी करनी चाहिए। जब परिसरों का मालिक/दखलकार अथवा उसका प्रतिनिधि प्रवेश द्वार पर दिखाई देता है (या पिछले दरवाजे या छत से भागने का प्रयास करता है) तो डी.एल.ई.ओ. को उसे अपनी, अपने दल की तथा गवाहों की पहचान बतलानी चाहिए तथा अपने आने का प्रयोजन बतलाना चाहिए तथा उससे सहयोग देने का अनुरोध करना चाहिए। डी.एल. ई.ओ. को उसे तलाशी करने का प्राधिकार पत्र दिखाना चाहिए, गवाहों की उपस्थिति में उस पर उसके हस्ताक्षर

करवाने चाहिए तथा साथ ही अपने हस्ताक्षर भी करने चाहिए। परिसर में प्रवेश करते ही डी.एल.ई.ओ., उसके दल और गवाहों को पूर्वोपाय के रूप में संदिग्ध व्यक्ति से अपनी तलाशी लिए जाने की पेशकश करनी चाहिए ताकि बाद में उन पर परिसरों में कुछ स्थापित कर झूठा फंसाने के आरोप लगाए जाने से बचा जा सके।

4. यदि संदेहास्पद परिसरों पर ताले लगे हों और निवासियों द्वारा उन्हें नहीं खोला जाता है तो तलाशी दल दरवाजे का ताला तोड़कर अथवा किसी भी प्रकार की रूकावट या प्रतिरोध को दूर करके उसको खोलेगा और तलाशी करने का कार्य शुरू करेगा। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 (1) (ख) के अंतर्गत ऐसे बल का उचित प्रयोग किया जाना प्राधिकृत है।

5. डी.एल.ई.ओ. को दल के कुछ सदस्यों को इस तरह से तैनात करना चाहिए ताकि परिसरों के अंदर और बाहर के सभी प्रवेश द्वारों और बाह्य द्वारों पर निगरानी रखी जा सके और किसी भी प्रकार के अभिशंसी सामान, प्रमाण अथवा व्यक्तियों को बच निकलने से रोका जा सके।

व्यक्ति:

1. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 (4) के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि महिलाओं की तलाशी महिला अधिकारियों द्वारा ही ली जाए। यदि संदेहास्पद परिसर आवासीय है अथवा ऐसा पता है कि ऐसे परिसरों में महिलाएं होंगी तो ऐसी स्थिति में डी.एल.ई.ओ. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके दल में महिला अधिकारी शामिल हों।

2. जब डी.एल.ई.ओ. अथवा उसके दल के सदस्य किसी संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी के लिए जाएं तो उसे संदिग्ध व्यक्ति को सूचित करना चाहिए कि उसका यह कानूनी अधिकार है कि उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाए। ऐसी सूचना, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत दिए जाने वाले नोटिस के प्रपत्र में लिखित रूप से दी जानी चाहिए। यदि व्यक्ति यह विकल्प देता है कि उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाए तो उसे ऐसे प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जो इसका निर्णय लेगा कि उसकी तलाशी ली जाए अथवा अन्य कार्रवाई की जाए। डी.एल.ई.ओ. को इस बात पर सहमत होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में करवाना चाहता है तो डी.एल.ई.ओ. को इन दोनों में से किसी एक के समक्ष उसे प्रस्तुत करना चाहिए जो कि सुरक्षित और सुगम होगा। तलाशी लिए जाने वाला व्यक्ति यह आग्रह नहीं कर सकता कि तलाशी के लिए उसे किस के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह नोट करना आवश्यक है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 (2) के अंतर्गत यह एक निर्धारित सांविधिक प्रक्रियात्मक अपेक्षा है जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

3. डी.एल.ई.ओ. को यह नोट करना चाहिए कि यह अधिकार उस व्यक्ति को तभी प्राप्त है जब उसके शरीर की तलाशी की जानी होती है। ऐसा परिसरों की तलाशी करने अथवा व्यक्ति के पास रखी वस्तुओं अथवा चीजों की तलाशी करने के मामले में आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि डी.

एल.ई.ओ. संदिग्ध व्यक्ति के पास रखे ब्रीफकेस की तलाशी करना चाहता है तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत नोटिस जारी करना लागू नहीं होगा।

4. यदि डी.एल.ई.ओ. के पास ऐसा विश्वास किए जाने के कारण हैं कि ऐसे व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि संदिग्ध व्यक्ति अपने पास रखे एनडी, पीएस या सीएस या उससे संबंधित वस्तुओं या दस्तावेज को त्याग सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50(5) के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह उसकी तलाशी स्वयं करे और ऐसी तलाशी करने के बाद उसे ऐसा विश्वास किए जाने के कारण को दर्ज करना चाहिए और उसे तत्काल 72 घंटों के भीतर अपने आसन्न वरिष्ठ अधिकारी को भेजना चाहिए। **इस संबंध में यह नोट करना आवश्यक है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 (6) के अंतर्गत यह एक निर्धारित सांविधिक प्रक्रियात्मक अपेक्षा है जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।**

अध्याय 5
तलाशीः शक्तियां, एहतियात और कार्रवाई

डी.एल.ई.ओ. एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए जिसका दर्जा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, राजस्व आसूचना, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सशस्त्र बलों, तट रक्षक, पुलिस, राजस्व, ड्रग नियंत्रण, राज्य उत्पाद शुल्क आदि विभागों के चपरासी, सिपाही अथवा कांस्टेबल के दर्जे से वरिष्ठ हो जिसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 और 43 के अंतर्गत किसी एनडी, पीएस अथवा सीएस के संबंध में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने के संचालनों के लिए प्राधिकृत किया गया हो। ऐसा वह किसी भी वस्तु अथवा दस्तावेज को बरामद और जब्त करने के प्रयोजन से कर सकता है, जिसे ऐसे अपराध के किए जाने के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, गैर–कानूनी ढंग से उपार्जित संपत्ति (आईएपी) और किसी वस्तु अथवा साक्ष्य को भी जिसे आईएपी को रखने के साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है, अधिनियम के अध्याय 5क के अंतर्गत जब्त किया जा सकता है।

शक्तियांः एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत डी.एल.ई.ओ. को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्राइवेट हाऊस, गोदाम, कार्यालय अथवा गेरेज जैसे बंद स्थान की तलाशी ले सकता है, जब्ती और गिरफ्तारी कर सकता है, जबकि इस

अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत उसे रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनस्स, एयरपोर्ट, हाईवे और इन जैसे ही अनेक सार्वजनिक स्थलों की तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है।

एहतियात और कार्रवाई: यह मानक प्रक्रिया है कि जैसे ही दल परिसर में प्रवेश करता है, परिसर में उपस्थित सभी पुरूषों और महिलाओं को अलग अलग कमरों में रखा जाना चाहिए और फोन, मोबाईल आदि जैसे उनके संचार उपकरणों को निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए। आपराधिक सामान अथवा अभिशंसी दस्तावेजों को छिपाए जाने की संभावना को दूर करने के लिए उनकी शारीरिक तलाशी की जानी चाहिए। यदि उनके कब्जे में कोई बंदूक, छुरा आदि जैसे सुरक्षा के लिए खतरनाक औजार पाए जाते हैं तो उसे उनसे ले लेना चाहिए। परिसर के मालिक अथवा उसके प्रतिनिधि और गवाहों की उपस्थिति में परिसर के सभी कमरों, फर्नीचरों, फर्नीशिंग्स, फिटमेंट्स, वाहनों आदि की तलाशी ली जानी चाहिए।

ऐसे संचालनों के लिए ड्रग्स का पता लगाने के लिए इस प्रयोजनार्थ प्रशिक्षित किए गए सूंघने वाले कुत्तों को अपने साथ ले जाना अत्यधिक उपयोगी होगा। ऐसे कुत्ते किसी इंसान की तुलना में ड्रग्स को तुरंत और बेहतर ढंग से सूंघ सकते हैं और इस प्रकार पूरा आपरेशन बहुत तेजी के साथ तुरंत पूरा हो सकता है। कृपया यह नोट करें कि ड्रग्स का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित नहीं किए गए कुत्ते (ऐसे कुत्ते जिन्हें केवल विस्फोटक पदार्थों को सूंघने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है) ऐसे कार्य के लिए उपयोगी नहीं होंगे। यदि डी.एल.ई.ओ. के पास सूंघने वाला कुत्ता नहीं है तो उसे ऐसे किसी सहयोगी कानून प्रवर्तन संगठन की सहायता लेने की संभावना का पता लगाना चाहिए जिसके पास सूंघने वाले कुत्ते हों।

डी.एल.ई.ओ. को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका दल परिसर में उपस्थित महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ शिष्टाचार से पेश आए और उनका सहायक बने। कभी–कभी वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं ऐसा दावा/आशंका व्यक्त करती हैं कि उन्हें घोर शारीरिक घबराहट या परेशानी हो रही है, जो कि ऐसी कार्रवाई रोकने का और संचालन के प्रति ध्यान भंग करने का उनका प्रयास हो सकता है। उनकी ऐसी प्रतिक्रिया के बावजूद डी.एल.ई.ओ. को उनकी तलाशी जारी रखनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास ऐसी कोई अभिशंसी वस्तु, दस्तावेज अथवा परिसंपत्ति नहीं है और उनकी तलाशी के बाद ही उन्हें दल के सदस्य अथवा रिश्तेदार की चौकस निगरानी में निकटस्थ चिकित्सक के पास जाने की अनुमति देनी चाहिए।

पेशेवर व्यवहारः डी.एल.ई.ओ. और उसके दल के सदस्यों का स्वयं का व्यवहार पेशेवर होना चाहिए। उन्हें परिसर के किसी भी व्यक्ति के साथ अधिक कठोर नहीं होना चाहिए और उनमें दीर्घावधि तक के कारावास होने अथवा कठोर दंड का डर पैदा नहीं करना चाहिए। इससे तलाशी की प्रक्रिया में लोग सहयोग देने के प्रति हतोत्साहित ही होंगे। ऐसा करने से उनमें विषाद ही उत्पन्न होगा और वे सजा से बचना चाहेंगे या अपने को आहत करेंगे या आत्म हत्या करने का प्रयास करेंगे।

इसलिए दल को सदैव नियंत्रण अधिकारी के संपर्क में रहना चाहिए, उसे तलाशी की प्रगति, नए सुराग मिलने, व्यक्ति, व्यक्तियों का पता लगने के बारे में सूचित करते रहना चाहिए जिसके लिए तुरंत ध्यान दिए जाने, सत्यापन करने और तलाशी लेने आदि की जरूरत पड़ सकती है।

गवाहों का प्रबंधनः डी.एल.ई.ओ. को रिश्तेदारों को गवाहों के तौर पर और तलाशी किए जाने वाले परिसरों के स्थान से बहुत दूर के स्थानों के गवाहों को नहीं लेना चाहिए। उसे किसी भी स्थिति में तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को गवाहों की व्यवस्था करने के लिए नहीं कहना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गवाह संदिग्ध व्यक्ति के घनिष्ठ मित्र अथवा रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। गवाहों के नाम, माता–पिता, आयु, व्यवसाय, स्थायी पता, वर्तमान पता, कार्यालय का पता सत्यापित किया जाना चाहिए और उन्हें रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। डी.एल.ई.ओ. को गवाहों को निश्चित रूप से और स्पष्टतया यह बता देना और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे तलाशी की पूरी कार्रवाई के दौरान परिसरों में उपस्थित रहेंगे और तलाशी की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे।

तलाशी के केन्द्र बिन्दुः दल को यह तय कर लेना चाहिए कि परिसरों में उनकी तलाशी का केन्द्र बिंदु क्या है। एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की तलाशी का केन्द्र बिंदु अनिवार्यतः निम्नलिखित को बरामद करना होता हैः

(1) एनडी, पीएस और/अथवा सीएस।

(2) उपरोक्त (प) से संबंधित वस्तुएं और चीजें।

(3) अभिशंसी दस्तावेज।

(4) आईएपी।

(5) आईएपी से संबंधित दस्तावेज/अन्य साक्ष्य।

(6) जुड़े अपराध से संबंधित वस्तुएं/चीजें (लाइसेंस के बिना बन्दूक, कर का अपवंचन आदि)।

अध्याय 6

बरामद करना और ज़ब्त करना

तलाशी का संचालन पूरा होते ही बरामद और ज़ब्त की गई वस्तुओं पर विधिवत् टैग लगाना आवश्यक होता है।

माल सूची तैयार करना: डी.एल.ई.ओ. और उसके दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बरामद किये गये सामान में से प्रत्येक चीज के बारे में संदेह है कि वह, अभिशंसी एनडी, पीएस या सीएस वस्तु या दस्तावेज हो सकती है, इसलिए उस पर सावधानी पूर्वक टैग लगाना जाना चाहिए जिस पर बरामदी के स्थान, उसको छिपाए जाने के तरीके का उल्लेख होना चाहिए तथा उन्हें दल के सदस्य की हिफाजत में तब तक रखे जाना चाहिए, जब तक कि उनका पंचनामा और अंतिम दस्तावेज नहीं बना लिया जाता है।

यदि बरामद किए गए पैकेज, वस्तुएं और दस्तावेजों की संख्या बहुत अधिक है तो प्रत्येक किस्म की मद के लिए पृथक माल सूचियां बनाई जानी चाहिए जिनमें उनको आबंटित की गई संख्या, मद का विवरण, उन पर पाए गए चिन्ह और संख्या, मात्रा और वजन आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए। बरामद और जब्त किए गए सभी दस्तावेजों पर मालिक/दखलकार, गवाहों और डी.एल.ई.ओ. के हस्ताक्षर करवाए जाने चाहिए।

क्षेत्रीय जांच: एनडी, पीएस या सीएस के रूप में संदिग्ध पदार्थों की थोड़ी सी मात्रा की जांच, क्षेत्रीय ड्रग पहचान परीक्षण किट की सहायता से की जानी चाहिए और पदार्थ की सूचक प्रकृति, उसके रंग की श्रेणी से स्थापित की जा सकती है। इसकी

संपुष्टि, मालिक/दखलकार/भोक्ता से पूछताछ करने से भी की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बरामद किया गया पदार्थ एनडी, पीएस या सीएस है। यदि संदिग्ध पदार्थों से युक्त एक से अधिक पैकेज बरामद होते हैं तो प्रत्येक पैकेट में से ऐसे पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा की जांच, क्षेत्रीय परीक्षण किट से की जाए।

जब्ती: प्रथमदृष्टया यदि यह पता लगता है कि पदार्थ एनडी, पीएस या सीएस हैं, तो उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 अथवा 43 (जो भी लागू हो) के अंतर्गत जब्त किया जाना चाहिए क्योंकि वे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत जब्त किए जाने योग्य होते हैं। डी.एल.ई.ओ. को, एनडी, पीएस या सीएस को ढोने के लिए प्रयुक्त किए गए किसी जानवर अथवा वाहन को अथवा किसी सामग्री, अपरेटस, बर्तन को भी जब्त करना चाहिए, जिनके द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया गया है और इन्हें भी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत जब्त किया जाना अपेक्षित है।

बिक्री से प्राप्त होने वाली आय और अन्य वस्तुएं: यदि तलाशी के संचालन के दौरान डी.एल.ई.ओ. को ऐसी धनराशि बरामद होती है, जिसे एनडी, पीएस या सीएस को बेचने से प्राप्त हुई आय माना जाता है, तो उसे ऐसी धनराशि को जब्त कर लेना चाहिए क्योंकि यह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत जब्त किए जाने योग्य होती है। एनडी, पीएस या सीएस या स्वापी पादपों के साथ पाई गई कोई अन्य सामग्री, भले ही वह वैध है तो उसे भी जब्त किया जा सकता है। पाए गए सभी संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया जाना चाहिए क्योंकि उनका प्रयोग, अभियोजन में सहायक साक्ष्य के रूप में किया जाएगा और न्यायालय को उसके अधिकार में होने पर,

उस अपराधी की आपराधिक मनःस्थिति के बारे में दस्तावेज के निर्माता, विषय वस्तु आदि की सत्यता को मानने में सहायता मिलेगी जब तक कि उसको गलत साबित नहीं कर दिया जाता है।

यदि एनडी, पीएस या सीएस को विशेष रूप से निर्मित किए गए किसी पात्र/कंटेनर/वस्तु में बरामद किया जाता है जिसके अन्दर उसे छिपा कर रखा गया था तो उसे भी जब्त किया जाना चाहिए क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत उन्हें भी जब्त किया जाना अपेक्षित है जिन्हें कब्जे में होने और आपराधिक मनःस्थिति के साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

वीडियोः कई बार मुकदमे की कार्रवाई के दौरान गवाह और संदिग्ध व्यक्ति तलाशी दल पर कथित षड्यंत्र रचने के और कथित रूप से यह सिद्ध करने के आरोप–प्रत्यारोपण करते हैं कि बरामदी के समय वे मौके पर उपस्थित नहीं थे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए बरामद की गई सभी सामग्री और उनको छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई विधियों की, यदि संभव हो तो एक साथ वीडियो फिल्म बनाई जानी चाहिए, यह परिसरों के मालिक/दखलकार और गवाहों की उपस्थिति में रिकार्ड की जानी चाहिए। यह बाद में मुकदमे की कार्रवाई के दौरान ऐसे आरोपों के निवारक सिद्ध होंगे।

अध्याय 7
ड्रग की पहचान करना और उसकी क्षेत्रीय जांच करना

डी.एल.ई.ओ. का मुख्य कार्य स्वापक औषधियों (एनडी), मनरू प्रभावी पदार्थ (पीएस) और नियंत्रित पदार्थ (सीएस) के अवैध व्यापार और दुरूपयोग की रोकथाम करना और उन्मूलन करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि डी.एल.ई.ओ. यह पहचान करे कि क्या कोई पदार्थ एनडी, पीएस अथवा सीएस है। नीचे यह उल्लेख किया गया है कि इन पदार्थों को कैसे श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।

स्वापक औषधियांः ये पादप आधारित और परम्परागत होती हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भांग (कैनीबिस) का पौधा, अफीम पोस्त तृण और ड्रग उक्त दो पादपों से प्राप्त की जाती हैं और इन्हें सामान्य तौर पर देखा जा सकता है। गांजा, चरस (हशिश) केनीबिस (गांजा, हैम्प) पादप से प्राप्त किया जाता है। ये देश के लगभग सभी भागों में उपलब्ध हैं और इन औषधों का निरंतर दुरूपयोग किया जाता है। इसी तरह अफीम, मोर्फीन, हीरोइन (ब्राउन शुगर) भी अफीम, पोस्त से प्राप्त किए जाने वाले सुपरिचित/सुविख्यात व्युत्पातिक (डेरीवेटिव्स) हैं। विधिक भाषा में धारा 2(xiv) के अनुसार स्वापक औषधियों का अभिप्राय कोका की पत्ती, केनीबिस (हैम्प), अफीम, पोस्त तृण (पोप्पी स्ट्रा) से है और इसमें ऐसा सभी विनिर्मित सामान शामिल हैं जो कि समस्त कोका के व्युत्पाद, औषधीय केनीबिस, अफीम के व्युत्पाद, और पोस्त तृण सांद्र (कंसेंट्रेट) हैं।

मनःप्रभावी पदार्थः इस शीर्षक के अंतर्गत धारा 2(xxiii) में शामिल किए गए पदार्थों को ऐसे किसी भी पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्राकृतिक या संश्लिष्ट पदार्थ (सिंथेटिक) या ऐसे पदार्थ या सामग्री का कोई लवण या उससे निर्मित कोई पदार्थ जैसा कि एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूचित में विनिश्चित किया गया है। इस अनुसूची में 120 मदें और उनके साल्ट्स एवं व्युत्पन्न पदार्थ (प्रेपेरेशन्स) शामिल हैं। तथापि, व्यापक संदर्भ तथा स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों की छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा के लिए डी.एल.ई.ओ. को अद्यतन परिवर्धनों के साथ, यदि कोई हों, दिनांक 19.10.2001 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1055(ई) का अनुशीलन करना चाहिए।

नियंत्रित पदार्थः नियंत्रित पदार्थों के लिए तीन अनुसूचियां 'क', 'ख' और 'ग' हैं। अनुसूची 'क' के अंतर्गत पांच मदें हैं – एसेटिक एनहाईड्राईड (जो कि हिरोईन के लिए प्रारंभिक तत्व है), एन–एसेटिल एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड (ये दोनों ही मेथाक्वालोन के लिए प्रारंभिक तत्व हैं) तथा एफेड्राइन और स्यूडोएफेड्राइन (ये दोनों ही एम्फेटेमाईन/एटीएस के लिए प्रारंभिक तत्व हैं)। इनका निर्माण, वितरण, बिक्री, आयात, निर्यात और उपभोग/खपत का नियंत्रण, क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी के पास पंजीकरण करके और आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों को दर्ज करके किया जाता है। अनुसूची 'ख' और 'ग' में 14 मदें शामिल हैं ऐसी प्रत्येक मद का निर्यात और आयात स्वापक आयुक्त, ग्वालियर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जा सकता है।

पहचानः गांजा, चरस, अफीम पोस्त जैसी प्राकृतिक स्वापक औषधियों को उनके रंग, बनावट और गंध से आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन आजकल दुरूपयोग की जाने

वाली अधिकतर औषधियों को परिष्कृत और संसाधित पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है और उनका अधिकतर प्रचलन सफेद, धुंधले सफेद या ब्राउन पाउडर, क्रिस्टलों या फ्लेकों या रंगहीन गंध रहित तरल पदार्थों के रूप में होता है। इसलिए किसी पदार्थ की औषध के रूप में पहचान तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि उसका विभिन्न अभिकर्मकों (रीएजेंट्स) में परीक्षण नहीं कर लिया जाता है।

इसलिए डी.एल.ई.ओ. को ड्रग विधि नियमन के दौरान इन पदार्थों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित पदार्थों के कुछ चित्रों से सुपरिचित होना चाहिए।

कुछ आमतौर पर दुरूपयोग की जाने वाली ड्रग्स की तस्वीरें

भाँग का पौधा

अफ़ीम पोस्त

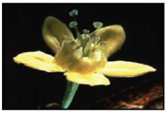
कोको

सिंथेटिक ड्रग्स

अफ़ीम

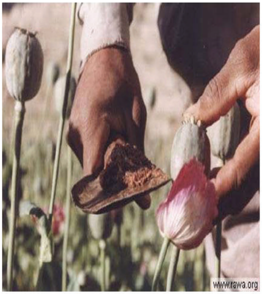

नश्तर पर अफ़ीम को एकत्र किया जाना

भांग का पौधा

गांजा

हशीश

हशीश तेल

कोको के टुकड़े

कोकीन (सूँघकर लेने के लिए निर्मित चूर्ण)

शुद्ध हेरोइन–द.प. एशिया निर्मित

ब्राउन शुगर–भारत निर्मित

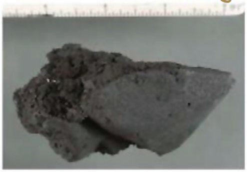

ब्लैक टार हेरोइन–मैक्सिको निर्मित

बार्बीचुरेट्स

➢ अनन्त नींद पैदा करने वाले

➢ नींद से बेहोशी और उससे फिर गहरी बेहोशी या निश्चेतना आती है

➢ एस.टी. एमिटल एम.टी. के लिए सम्मोहक (सेकनल) और एल.टी. इम्पैक्ट ड्यूरेशन के लिए नेम्ब्यूटल

➢ नारको-एनालिसिस में "ट्रूथ सेरम" के रूप में थियोपेंटाल

➢ अडोल्फ हिटलर और मर्लिन मुनरो

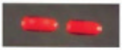

सैकनल

एमिटल

नेम्ब्यूटल

एल एस डी

एम्फीटामाइन्स

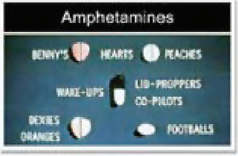

बेंज़ाडायाजेपाइन्स

- दुष्चिंता निवारक गोलियां
- सीएनएस अवसादक
- दुष्चिंता, अनिद्रा, व्याकुलता और दौरों का इलाज
- अल्प्राज़ोलम, लोराज़ेपाम एसटी, रोहिपनॉल एम.टी. और एल.टी. प्रभावों के लिए डायाज़ेपाम (वैलियम)

अल्प्राज़ोलम

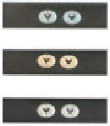

डायाज़ेपाम

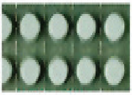

रोहिपनॉल

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime
WORLD DRUG CAMPAIGN
Synthetic cannabinoids
Synthetic cathinones
BATH SALTS
Other substances
Ketamine
एन.पी.एस.
बाजार में बेचे जा रहे नए मनः
प्रभावी पदार्थों की श्रेणियां
Plant-based substances
Phenethylamines
Piperazines
Make health your "new high" in life - not drugs.

डी.एल.ई.ओ. को यह पता होना चाहिए कि प्रयोगशाला में ड्रग को पहचानने की प्रक्रिया में तीन से पांच प्रकार के विभिन्न विश्लेषण करने पड़ते हैं और परीक्षण करने वाला रासायनिक परीक्षक, सरकार का योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक विशेषज्ञ है जिसके मत को अपराध दंड संहिता की धारा 293 के अंतर्गत एक प्रमाण के रूप में न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है।

चूंकि एनडीपीएस अधिनियम में सख्त दंड दिए जाने का प्रावधान है, इसलिए डी.एल.ई.ओ. को यह पक्का विश्वास होना चाहिए कि परिसरों/व्यक्ति/वाहन आदि से बरामद किया गया पदार्थ एनडी, पीएस अथवा सीएस है। सामान्यतया पूर्व सूचना प्राप्त होने अथवा लंबे समय तक निगरानी करने और सूचना एकत्र करने पर कार्रवाई करते समय उसे यह पता होना चाहिए कि संदिग्ध पदार्थ क्या है, इसलिए यह उपयुक्त होगा कि पदार्थ की बरामदी के समय डी.एल.ई.ओ. उस व्यक्ति से पूछे जिसके पास से संदिग्ध पदार्थ बरामद हुआ है, कि वह पदार्थ क्या है और उस व्यक्ति की घोषणा के बयान को ज्ञापन/पंचनामे में दर्ज करे और बताए कि संदिग्ध पदार्थ एनडी, पीएस या सीएस है।

ड्रग पता लगाने की किटः ये किट्स डी.एल.ई.ओ. को उचित रूप से यह विश्वास करने में सहायक होतीं हैं कि पदार्थ एक ड्रग है। ऐसी किट सुवाह्य बक्से में बंद होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक निहित होते है जिनका प्रयोग बरामद किए गए पदार्थ की छोटी मात्रा की जांच करने के लिए किया जाता है और अभिकर्मकों के साथ संदिग्ध पदार्थ की प्रतिक्रिया स्वरूप प्राप्त उसके रंग की श्रेणी के आधार पर पदार्थ की प्रकृति/किस्म का निर्धारण किया जाता है। इस समय तीन प्रकार की जांच किट्स का प्रयोग किया जाता है। गांजा, चरस, अफीम, हीरोईन और कोकीन जैसी परम्परागत ड्रग्स की जांच करने के लिए

स्वापक औषध किट होती है। ऐसेटिक एनहाईड्राईड, एफेड्राईन, स्यूडोएफेड्राईन आदि की जांच करने के लिए ***प्रारंभिक रसायन किट*** होती है और ***केटामाईन किट***। ये सभी किटें अत्यधिक प्रयोक्ता अनुकूल होतीं हैं और ये अनुदेश पत्र के साथ मिलतीं हैं जिसके मार्ग निर्देशन से प्रयोक्ता इनका ठीक ढंग से सदुपयोग कर सकता है। यह अत्यावश्यक है कि डी.एल.ई.ओ. पदार्थों की जांच करे, जांच के परिणाम स्वरूप मिलने वाले रंग का मिलान करे और अपना ऐसा दृढ़ मत बनाए कि पदार्थ का सकारात्मक रंग का पैटर्न प्राप्त हो रहा है जिससे उसे ड्रग माना जा सकता है। इस प्रक्रिया का उल्लेख पंचनामे में अवश्य किया जाना चाहिए।

चूंकि परीक्षण/जांच केवल सूचक होती है इसलिए प्रायः ऐसी संभावना रहती है कि निर्धारित प्रयोगशाला नकारात्मक रिपोर्ट दे। लेकिन तब तक संदिग्ध व्यक्ति को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसने कुछ समय न्यायिक हिरासत में बिता लिया होता है। ऐसी स्थिति में यदि कथित रूप से संदिग्ध व्यक्ति अनुचित और गैर–न्यायिक हिरासत का आरोप लगाए तो इसके लिए डी.एल.ई.ओ. के पास क्षेत्रीय जांच के परिणाम उपलब्ध हों, जिनके आधार पर वह नेकनीयती से प्रतिवाद कर सके।

अध्याय 8
नमूना लेना (सैंपलिंग) और सील बंद करना

डी.एल.ई.ओ. द्वारा किया गया क्षेत्रीय परीक्षण, सूचक मात्र होता है कि बरामद किया गया पदार्थ एनडी, पीएस अथवा सीएस है तथा उसे न्यायालय में प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। केवल अधिसूचित किया गया सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ (नोटिफाइड गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट) जो कि प्राप्त किए गए परीक्षण के परिणामों के आधार पर इस निमित्त निर्धारित प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण के बाद से हीं उसे प्रमाणित कर सकता है। एक बार उसके द्वारा न्यायालय में इस आशय के बयान देने के बाद ही उसे प्रमाण के रूप में स्वीकार्य करने पर विचार किया जाता है। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि जब्त किए गए पदार्थ से प्रतिनिधिक नमूने प्राप्त किए जाएं और उन्हें निर्धारित प्रयोगशालाओं में ऐसे विशेषज्ञों को रासायनिक विश्लेषण करने के लिए भेजा जाए तथा जब्त किए गए पदार्थों में एनडी, पीएस अथवा सीएस होने की संपुष्टि की रिपोर्ट दी जाए। साथ ही यह भी अत्यावश्यक है कि जब्त किए गए पदार्थों और नमूनों को विधिवत और निर्धारित तरीके से संभाल कर रखा जाए ताकि उसकी बरामदी और जब्त किए जाने के समय से ले कर, उनको प्रयोगशाला और न्यायालय में पेश करने तक, उसकी हिफाजत की अटूट और सुरक्षित श्रृंखला को, बनाए रखा जा सके। निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन किए जाने से अभियुक्त व्यक्ति के इस आश्य के आरोपों कि उसे बेईमानी से मिला दिया गया या बदल दिया गया है आदि का खंडन हो जाता है और इनका

सफलतापूर्वक प्रतिवाद किया जा सकता है और इन्हें निष्प्रभावी किया जा सकता है।

नमूना लेना (सैंपलिंग): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, भारत सरकार के दिनांक 15.03.1988 के स्थायी अनुदेश संख्या 1/88 में प्रतिचयन के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित है। डी.एल.ई.ओ. को इसकी मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए:

(1) यदि जब्त की गई ड्रग्स/नियंत्रित पदार्थ पैकेजों/डिब्बों/पात्रों में पाया जाता है तो इन पर इनकी पहचान के लिए क्रम संख्या निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

(2) यदि जब्त की गई ड्रग्स/नियंत्रित पदार्थ खुले पाए जाते हैं तो उन्हें समान आकार के यूनिट डिब्बों/पात्रों में पैक किया जाना चाहिए और प्रत्येक डिब्बे/पात्र को क्रम संख्या दी जानी चाहिए। ड्रग का सकल और निवल वजन, उसके विवरण और उसको जब्त किए जाने की तारीख को निरपवाद रूप से प्रत्येक पैकेज पर अंकित किया जाना चाहिए।

(3) यदि पैकेज पर ऐसी सूचना दर्ज करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस पर एक कार्ड बोर्ड का लेबल चिपकाया जाए जिस पर जब्त करने वाले अधिकारी की मुहर लगाई जाए और उपरोक्त विवरण दर्ज किए जाएं।

(4) सभी मामलों में जब्त की गई ड्रग्स/नियंत्रित पदार्थों के दो दो नमूने, गवाहों और जिस व्यक्ति के पास से उसे बरामद किया गया है अथवा परिसरों के मालिक/दखलकार/प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्राप्त किए जाएं।

(5) सभी एनडी और पीएस के मामलों में प्राप्त किए गए प्रत्येक प्रतिनिधिक नमूने की मात्रा 5 ग्राम होनी चाहिए, जबकि

गाँजा और चरस की मात्रा 24 ग्राम ली जानी चाहिए। सीएस के मामले में यदि वह पाउडर अथवा तरल पदार्थ के रूप में है, प्रत्येक नमूना 5 ग्राम/5 मीली लिटर (तरल पदार्थ) का होना चाहिए। यदि यह गोली/केप्सूल के रूप में होता है तो प्रत्येक नमूना कम से कम 10 गोलियों/केप्सूल के पत्ते/स्ट्राइप के रूप में होना चाहिए।

(6) पैकेजों/डिब्बों/पात्रों में से जब्त की गई ड्रग को अच्छी तरह से मिला दिया जाना चाहिए ताकि वह एकसार हो जाए और उसमें से लिया गया नमूना जब्त किए गए पदार्थ का प्रतिनिधिक हो।

पैकेजों के गुच्छे बनानाः जब्त किए गए पैकेजों में से दो प्रतिनिधिक नमूनों को लेना आसान और संचालनीय होता है लेकिन ऐसा करना तभी ठीक होता है जब कि पैकेजों की संख्या कम हो। फिर भी डी.एल.ई.ओ. को प्रायः ऐसी स्थितियों को सामना करना पड़ता है जब कि बरामद किए गए पैकेजों की संख्या बहुत अधिक होती है। जब्त किए गए ड्रग्स भरे ट्रकों में से दो प्रतिनिधिक नमूनों को लेना बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। ऐसे मामलों में पैकेजों के ढेरों में गुच्छे बनाए जाते हैं। इस संबंध में मार्गनिर्देश निम्न प्रकार से हैं किः–

(i) जब जब्त किये गये पैकेज/डिब्बा/पात्र एक समान आकार और वजन के हों, उन पर समान पहचान के चिन्ह अंकित होते हैं और प्रत्येक पैकेज की सामग्री का रंग और बनावट एक समान होती है और परीक्षण किट से जांच करने पर उनका रंग भी एक जैसा होता है तो यह निष्कर्ष निकलता है कि हर तरह से पैकेज एक जैसे ही हैं तो ऐसी स्थिति में उनको सावधानीपूर्वक 10 पैकेजों/पात्रों/डिब्बों में गुच्छे बना कर रखा जाना चाहिए। जबकि गांजा और चरस के मामले में उनको

40 पैकेजों को एक लॉट में रखा जा सकता है। प्रतिचयन के प्रयोजनार्थ इन ढेरों(लॉट) को एक यूनिट ही माना जाएगा। किसी विशिष्ट लॉट के पैकेज के प्रत्येक भाग में से पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा ली जाएगी और ऐसे एकत्रित किए गए पदार्थों की समस्त मात्रा को अच्छी तरह से ऐसे सम्मिश्रित कर दिया जाएगा ताकि सभी पदार्थ एक सार हो जाएं, जिसमें से जैसा भी मामला होगा, 5 ग्राम अथवा 24 ग्राम की निर्धारित मात्रा में प्रतिनिधिक नमूने लिए जाएंगे।

(ii) यदि 10 अथवा 40 पैकेजों को एक अथवा अधिक लॉटों में एकत्रित करने के बाद बाकी बचे पैकेज 5 या 20 से कम रह जाते हैं तो ऐसे अंतिम लॉट में से कोई प्रतिनिधिक नमूना लेना जरूरी नहीं है। फिर भी यदि गांजा, चरस और अफीम से अन्यत्र ड्रग्स के मामले में 5 पैकेज अथवा गांजा, चरस और अफीम के मामले में 20 पैकेज बचते हैं तो इन्हें एक लॉट में एकत्रित किया जाएगा और ऐसे लॉट में से प्रतिनिधिक नमूने, उपरोक्त (i) में निर्धारित किए गए तरीके से लिए जाएंगे।

(iii) इन पैकेजों की क्रम संख्या, पी–1 से एन तक, लॉटों की क्रम संख्या, एल–1 से एन तक (एल–1 में पी–1 से पी–10 तक और एल–2 में पी–11 से पी–20 तक और इसी प्रकार आगे की संख्याओं को शामिल किया जाएगा) तथा प्रतिनिधिक नमूनों की दोहरी प्रतियों की क्रम संख्या, एसओ–1 (मूल नमूने के लिए) और एसडी–1 (नमूने की नकल के लिए) जो कि पी–1/एल–1 के समनुरूप होगी, एसओ–2 और एसडी–2 जो कि पी–2/एल–2 के समनुरूप होगी, और इसी प्रकार आगे भी इसी क्रम से संख्या निर्दिष्ट की जाएगी।

सीलबंद करना: यदि पदार्थों के प्रतिनिधिक नमूने, ठोस या पाउडर के रूप में होते हैं, तो उनको छोटी प्लास्टिक की थैलियों में रख कर, उन्हें ताप से बंद किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना सुविधाजनक और सुरक्षित होता है। प्लास्टिक कंटेनर को कागज के लिफाफे में रख कर, उसको अच्छी तरह से गोंद से बंद कर दिया जाना चाहिए। इस लिफाफे पर एक कागज की पर्ची लगायी जाए जिस पर गवाहों, मालिक/दखलकार/भोक्ता के हस्ताक्षर हों तथा डी.एल.ई.ओ. की सरकारी मुहर लगी हो और उसे इस तरीके से सील बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि उसकी सील को तोड़े बिना अथवा लिफाफे को क्षति पहुंचाए बिना, उसमें फेरबदल नहीं किया जा सके। मुहर के अभिलेख पूरे और स्पष्ट दिखने चाहिए। लिफाफों पर लगाई गई मुहरों की संख्या एक समान होनी चाहिए और उसका उल्लेख परीक्षण ज्ञापन पर किया जाना अपेक्षित होता है। पैकेज अथवा लॉट में से दोहरे रूप में लिए गए प्रतिनिधिक नमूनों पर मूल और डुप्लीकेट स्पष्ट रूप से चिन्हित होना चाहिए। नमूने लिए जाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब्त किए गए पदार्थ युक्त प्रत्येक पैकेज को, गवाहों, मालिक/दखलकार/भोक्ता के हस्ताक्षरों से युक्त कागज की पर्ची पर डी.एल.ई.ओ. की मुहर के साथ इस तरीके से सील बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि सील को तोड़े बिना अथवा पैकेजों को क्षति पहुंचाए बिना, सील बंद पैकेजों में फेरबदल नहीं किया जा सके।

अध्याय 9
तलाशी, बरामदी और ज़ब्ती का प्रलेखन

तलाशी लेना, निषिद्ध पदार्थों को बरामद करना और उन्हें ज़ब्त करना ही पर्याप्त नहीं है। डी.एल.ई.ओ. की तलाशी पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक चीज का विधिवत दस्तावेज़ बनाने की भी जिम्मेदारी होती है। ऐसे प्रलेखन को पंचनामा अथवा ज़ब्त किए गए सामान की सूची या महाजर कहा जाता है। ऐसे दस्तावेज़ का कोई भी नाम हो, यह बचाव (बुलवक) के रूप में उपयोगी होता है क्योंकि न्यायालय के सामने पेश किए जाने के लिए पूरा मामला इस पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा दस्तावेज़ होता है जो यह दर्शाएगा कि क्या डी.एल.ई.ओ. ने अपराध का पता लगाने और कुछ व्यक्तियों को कानून का उल्लंघनकर्ता करार देने के लिए स्वयं नियमों का पालन किया है और कानूनी प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है अथवा नहीं।

उसे कहां से शुरू करना चाहिए?: डी.एल.ई.ओ. को यह याद रखना चाहिए कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41 (2) अथवा 42 या 43, जो भी लागू हो, के अंतर्गत तलाशी लेने और इसके लिए प्राधिकृत किए जाने पर, तलाशी लेने की प्रक्रिया वैसे ही शुरू हो जाती है जैसे ही वह गवाहों के साथ संदिग्ध परिसरों में प्रवेश करता है अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति को तलाशी के लिए रोकता है। तलाशी का कार्य अभिशंसी वस्तुओं का पता लगने और उनको बरामद किए जाने अथवा कुछ भी बरामद नहीं किए जाने से समाप्त हो जाता है ।

इस प्रकार इसके प्रलेखन में शुरूआत में गवाहों के बयान और तलाशी लेने के प्रयोजनार्थ अधिकारी के परिसरों और व्यक्तियों तक पहुंचने और उसके बाद घटित होने वाली सभी घटनाओं का तलाशी पूरी होने तक का क्रमवार विवरण उल्लिखित किया जाना चाहिए।

प्रलेखनः डी.एल.ई.ओ. द्वारा स्वयं अथवा उसके एक गवाह द्वारा पंचनामा लिखा जाना चाहिए और आम तौर पर इसकी शुरूआत इस प्रकार होनी चाहिए – "हम गवाहों को, जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं, एजेंसी के डी.एल.ई.ओ., श्री क ख ग, (नाम लिखें) द्वारा (पता लिखें) स्थित परिसरों/सरकारी परिसरों जो कि (व्यक्ति का नाम लिखें) के नियंत्रण और कब्जे में है, एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तलाशी करने के कार्य में गवाहों के रूप में बुलाया गया है। श्री अ ब स ने परिसर का दरवाजा खोला और डी.एल.ई.ओ. ने उसको हमारी पहचान बताते हुए हमारी उपस्थिति में स्पष्ट रूप से अपने दौरे का प्रयोजन बताया और उससे कहा कि परिसरों और परिसरों में उपस्थित सभी व्यक्तियों की इसलिए तलाशी ली जानी है, क्योंकि उसे उचित रूप से ऐसा विश्वास है कि इनके पास एनडी, पीएस अथवा और/अथवा सीएस है जिसके संबंध में एक ऐसा अपराध किया गया है जो कि एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत एक दंडनीय है और ऐसे अपराध से संबंधित वस्तुओं, चीजों, दस्तावेजों आदि तथा गैर कानूनी ढंग से उपार्जित संपत्ति को यहां रखा गया है अथवा छिपाया गया है"।

पंचनामे की रूप रेखाः डी.एल.ई.ओ. को प्रलेखन में निम्नलिखित क्रियाकलापों को शामिल करना चाहिएः

प्रथम भाग

गवाहों से संपर्क करना > सबसे ऊपर गवाहों के पूरे विवरण लिखना > परिसरों में पहुंचना > तलाशी की अनुज्ञप्ति दिखाना और परिसरों के मालिक/दखलकार और गवाहों के उस पर हस्ताक्षर करवाना (इसे छोड़ दें यदि तलाशी अनुज्ञप्ति के बिना की जानी है) > तलाशी लेने का उद्देश्य को स्पष्ट करना और उसमें सहयोग मांगना > गवाहों और संपूर्ण तलाशी दल के सदस्यों की तलाशी लेने की पेशकश करना > इस तलाशी का रिकार्ड करना और मालिक द्वारा तलाशी लिए जाने की पेशकश को अस्वीकार करना > मालिक/दखलकार द्वारा कोई प्रतिरोध करना, धमकी देना अथवा बल का प्रयोग करना और डी.एल.ई.ओ. अथवा उसके दल द्वारा दरवाजे को बल से/तोड़ कर खोलना दर्ज़ करना।

दूसरा भाग

परिसरों में मालिक/दखलकार/अन्य व्यक्तियों की तलाशी लेने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत लिखित नोटिस देना > विकल्प देने अथवा अन्य प्रयोग को दर्ज करना > गवाहों की उपस्थिति में व्यक्ति की तलाशी लेना और उसके परिणाम को दर्ज करना।

तीसरा भाग

परिसरों के प्रत्येक कमरे की तलाशी लेना और उसके परिणामों को दर्ज करना > यदि एनडी, पीएस या सीएस जैसे पदार्थ बरामद होते हैं तो सभी पैकेजों/डिब्बों/पात्रों को पी–1 से पी–एन जैसी क्रम संख्या अंकित किए जाने, पैकिंग के तरीके, उन पर पाए गए चिन्हों, पदार्थ के रंग/बनावट, पैकेजों का सकल वजन/निवल वजन को अंकित किए जाने के बाद उनकी कुल संख्या को दर्ज करना > परीक्षण किट की सहायता से क्षेत्रीय

परीक्षण करने और एनडी, पीएस या सीएस जैसे पदार्थ होने की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए उसके रंग के पेटर्न को दर्ज करना > एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पदार्थों, पात्रों, अन्य वस्तुओं, चीजों, बिक्री से प्राप्त होने वाली आय, संपति की हकदारियों/प्रमाण पत्रों आदि सहित दस्तावेजों को जब्त करना।

चौथा भाग

यदि जब्त किए गए पैकेज 10/40 से अधिक होते हैं तो उनको ढेरों में एकत्रित करने के बारे में दर्ज करना > प्रत्येक पैकेज/ढेर में से दो प्रतिनिधिक नमूने लेना > नमूनों को मुहरबंद करना और परीक्षण ज्ञापन तैयार करना > दस्तावेजों को छोड़ कर, जब्त किए गए पदार्थों और अन्य वस्तुओं को मुहरबंद करना > पंचनामे पर जब्त किए गए सामान/नमूनों आदि पर प्रयुक्त की गई मुहर का उल्लेख करना और उसकी प्रतिकृति चिपकाना।

अंतिम पांचवां भाग

गवाहों और मालिक/दखलकार की उपस्थिति में समग्र तलाशी की कार्रवाई के संचालन को दर्ज करना > किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को कोई क्षति नहीं होने देना > पंचनामे में उल्लिखित सामान और दस्तावेजों को छोड़ कर डी.एल.ई.ओ. द्वारा किसी भी अन्य चीज को अपने अधिकार में नहीं लेना > आवास की महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को उचित सम्मान देना और दखलकार की धार्मिक भावनाओं की कद्र की गई > गवाहों और समग्र तलाशी दल के सदस्यों को तलाशी लेने की पेशकश देना > तलाशी को/तलाशी लेने की पेशकश को मालिक द्वारा अस्वीकार किए जाने को रिकार्ड करना > तलाशी की कार्रवाई XXXX बजे शुरू हुई और तलाशी की कार्रवाई XXXX बजे पूरी हुई यह दर्ज करना।

इसके समापन भाग को इस तरह से तैयार किया जाए ताकि झूठी विवक्षा, चोरी, यातना, संपति को नुकसान पहुंचाने, महिलाओं/वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करने, धार्मिक भावनाओं के प्रति उदासीनता दिखलाने आदि जैसे किसी भी आरोपों से निपटने के लिए जिनका सामना सामान्यतया तलाशी दल के सामने पेश आते हैं, प्रारंभिक प्रतिवाद तय किया जा सके और इसलिए ऐसा करना अत्यावश्यक है।

यदि मदों की संख्या अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में पंचनामे के अभिन्न अंग के रूप में पढ़े जाने के लिए पृथक अनुबंध बनाए जा सकते हैं, जिन्हें पंचनामे के साथ संलग्न किया जा सकता है। ऐसे अनुबंध मुख्यतया निम्नलिखित प्रपत्र में संलग्न किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए:

बरामदी का संक्षिप्त विवरण

क्रमांक	पैकेज को इस प्रकार चिन्हित किया गया है	पैकेज का विवरण	पाए गए चिन्ह	निहित सामग्री का विवरण	सकल वजन ग्राम में	निबल वजन ग्राम में	प्रतिनिधिक नमूनों को इस प्रकार से चिन्हित किया गया है	प्रत्येक नमूने का वजन ग्राम में
1	पी 1	खाकी रंग के लिफाफे में पॉलिथीन में पैक किया गया है।	555 और आधे चंद्रमा का चिन्ह अंकित किया गया है।	भूरे रंग का पाउडर	1050	1000	एसओ-1 और एसडी-1	5

बरामद दस्तावेज

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	पृष्ठों की संख्या
1	ई मेल दिनांक 12.03.2012 xyz@hotmail.com से yy@gmail-com	1
2	एल एंड टी के 100 शेयरों के लिए जिनकी संख्या 123 से 222 है उनका शेयर सर्टिफिकेट।	1

अध्याय 10
स्वापक औषधियों की फसल की अवैध कृषि

ड्रग्स को जब्त करना ड्रग्स की आपूर्ति को नियंत्रित करने का एक तरीका है। लेकिन ऐसा करने का उत्तम तरीका यह है कि जहां से यह शुरू होती है, उसको ही समाप्त करना है – अर्थात इसकी फसल की कृषि को ही समाप्त कर देना है। ड्रग्स की आपूर्ति को समाप्त करने के लिए केनीबिस, अफीम पोप्पी और कोको के पादपों का सर्वेक्षण, पहचान और उनकी अवैध फसलों को नष्ट करना एक मुख्य कार्य–नीति है। भारत में केवल अफीम पोप्पी और केन्नाबीस की अवैध उपज होती है। कोको पादप की कृषि दक्षिण और केन्द्रीय अमरीका तक ही सीमित है। एनडीपीएस अधिनियम 1985 के विशिष्ट प्रावधान क्षेत्रीय अधिकारियों को इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

शक्तिः डी.एल.ई.ओ. को अवैध स्वापक पादपों को जब्त करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत डी.एल.ई.ओ., यदि वह राजपत्रित अधिकारी है तो फसल को कुर्क कर सकता है और जब्त किए गए पादपों को नष्ट करने के आदेश जारी कर सकता है।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत भू–स्वामी का यह दायित्व है कि वह अपने खेत/क्षेत्र में स्वापक पादपों की किसी भी प्रकार की अवैध कृषि के बारे में सूचित करे।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत भू–राजस्व अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे धारा 42 के अंतर्गत प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को अवैध स्वापक की फसल की कृषि होने की घटना के बारे में सूचित करे।

प्रक्रियाः अवैध खड़ी स्वापक फसलों की पहचान किए जाने पर डी.एल.ई.ओ. को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिएः

(क) ग्राम प्रधान और भू–राजस्व अधिकारी से संपर्क करके उनसे कहे कि वे भूमि के रिकार्ड से यह पता लगाएं कि भूमि की पहचान संख्या क्या है और उसका स्वामी कौन है। उसके बाद मौके पर पूछताछ करे तथा भूमि के मालिक और कृषक की पहचान करे।

(ख) वन्य भूमि होने के मामले में डी.एल.ई.ओ. को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन्य अधिकारी से संपर्क करके रिकार्ड से पता लगाना चाहिए और मौके पर पहुंच कर कृषक के ब्यौरों के बारे में पूछताछ करनी चाहिए तथा कार्यवाही के दौरान उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।

(ग) ऐसी फसलों के खेत/क्षेत्र का मापन किया जाए।

(घ) पादपों की संख्या का गणना करें। युक्ति संगत और उचित आकलन के लिए उसे भूमि के तीन या चार विभिन्न भागों में एक वर्ग मीटर क्षेत्र को निर्धारित करना चाहिए, पादपों की संख्या को गिनना चाहिए, पादपों को जड़ से उखाड़ दे या काट दे और सबका वजन करे। तब प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में उपजे पादपों की औसत संख्या और उनके वजन का आकलन करे तथा उसके बाद समग्र क्षेत्र के पादपों की

कुल संख्या और वजन निकालने के लिए उन संख्याओं का विस्तार कर ले।

(ड.) खड़ी फसल को जब्त कर लें और कुछ अफीम पोप्पी पादपों अथवा केन्नाबिस पादपों के प्रतिनिधि नमूने ले कर उनका पंचनामा बनाएं।

(च) एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि कोई राजपत्रित अधिकारी तलाशी दल के साथ जाता है तो ऐसी रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है और पंचनामे में राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

(छ) राजपत्रित अधिकारी से कुर्की के आदेश और पादपों को नष्ट करने के आदेश प्राप्त किए जाएं।

(ज) हाथ से अथवा मशीनों से पादपों को जड़ से उखाड़ने अथवा काटने की कार्रवाई की जाए।

(झ) पादपों को जला दें।

(ञ) खड़ी फसल का फोटोग्राफ लें और ऐसी समग्र कार्रवाई का वीडियोग्राफ बनाएं तथा पंचनामे में उसका उल्लेख करें और फोटोग्राफ/वीडियो को साक्ष्य के रूप में रखें।

तथापि, उपरोक्त कार्रवाई उसी मामले में की जानी चाहिए जिसमें स्वापक के फसलों वाले खेत के मालिक की पहचान नहीं की जा सकती है जैसा कि वन्य भूमि अथवा अन्य सरकारी भूमि के मामले में होता है। इस कार्रवाई का एक धारावाहिक पंचनामा बनाया जा सकता है जिसमें उपरोक्त (क) से (ञ) तक के बिन्दुओं की समग्र प्रकिया का विस्तार से वर्णन निहित हो।

यदि अवैध फसलों के कृषक की पहचान हो जाती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और न्यायालय में पेश कर दिया जाता है तो राजपत्रित अधिकारी को न्यायालय की अनुमति प्राप्त किए बिना फसल को नष्ट करने का आदेश नहीं देना चाहिए। ऐसे मामलों में उखाड़ी गई फसल/पादपों को मालखाने में अथवा किसी अन्य सुरक्षित/निश्चित स्थल में भंडारित किया जाना चाहिए और धारा 52–क के अंतर्गत उसका मुकदमे शुरू होने से पहले निपटान की अनुमति प्राप्त करने की कार्रवाई तत्काल शुरू कर देनी चाहिए। धारा 52–क के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही फसल/पादपों को नष्ट किया जाना चाहिए।

अध्याय 11
व्यक्तियों से पूछताछ करना और उनके बयान दर्ज़ करना

जैसे ही तलाशी की कार्रवाई पूरी हो जाती है और परिसरों अथवा किसी व्यक्ति की तलाशी के दौरान एनडी, पीएस अथवा सीएस जैसा आपराधिक सामान, बिक्री से प्राप्त हुई आय, आईएपी अथवा इनसे संबंधित साक्ष्य बरामद कर लिए जाते हैं, वैसे ही डी.एल.ई.ओ. को उन व्यक्तियों से तत्काल पूछताछ और उनकी जांच शुरू कर देनी चाहिए जो कि उपरोक्त मदों को अधिगृहीत करने और/अथवा उनकी बरामदी से संबंधित/सहयोगी हैं। परिसरों के मालिक/दखलकार, अधिशंसी मदों का मालिक पाए गए व्यक्ति और उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति तथा बरामदी और जब्ती के गवाहों से भी पूछताछ की जानी चाहिए और जब्ती के तुरंत बाद उनके बयान दर्ज करने चाहिए।

शक्तिः डी.एल.ई.ओ. को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत यह शक्ति प्राप्त है कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति से जानकारी मांग सकता है जिससे उसकी अपनी इस आशय की संतुष्टि हो जाए कि अधिनियम, एनडीपीएस के नियमों और एनडीपीएस (आरसीएस) आदेश का उल्लंघन किया गया है तथा किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए उपयोगी अथवा उससे संबद्ध कोई दस्तावेज या चीजें प्रस्तुत करने अथवा प्रदान करने के लिए कह सकता है। अधिनियम की धारा 67 के प्राधिकार के अंतर्गत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को जानने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछताछ की जा सकती है।

बयान दर्ज करना: पूछताछ किए गए सभी व्यक्तियों को अपने बयान ज्ञात भाषा में अपने हाथ से स्वयं लिखने चाहिए। यदि वे अंग्रेजी अथवा हिन्दी जानते हैं तो बेहतर होगा कि वे अपने बयान उसी भाषा में लिखें क्योंकि अधिकतर लोग इसे जानते हैं और अधिकतर न्यायालय अपने कार्य अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में ही करते हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपना बयान किसी अन्य भाषा में लिखना चाहता है तो एक अनुवादक अथवा सहकर्मी को जो कि उस भाषा को बोलने और लिखने में पारंगत है, को इसमें सहायता करने के लिए कहा जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि व्यक्ति डी.एल.ई.ओ. के समक्ष जो कुछ भी कह रहा है उसे ही वास्तव में अपने बयान में लिख रहा है। ऐसा विवरण यथा संभव प्रश्न–उत्तर फार्मेट में होना चाहिए लेकिन यह डी.एल.ई.ओ. के प्रश्नों के उत्तर वृतान्त के रूप में धारावाहिक भी हो सकता है। बयान देने वाले व्यक्ति को अपने लिखित बयान के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने चाहिए चाहिए तथा डी.एल.ई.ओ. को बयान के अंतिम पृष्ठ को छोड़ कर ऐसे प्रत्येक पृष्ठ पर अपने आद्याक्षर करने चाहिए। बयान के अंतिम पृष्ठ पर उसे इस आशय का पृष्ठांकन करना चाहिए कि “मेरे द्वारा दर्ज किया गया” अथवा “मेरे सामने दिया गया” और उसके नीचे अपने पूरे हस्ताक्षर करने चाहिए और तारीख अंकित करनी चाहिए। इसके साथ ही उसे अपना पूरा नाम और पदनाम भी लिखना चाहिए।

यह उपयुक्त होगा कि बयान टाईप/टंकित हो लेकिन क्योंकि सामान्यतया प्रारंभिक बयान बरामदी के स्थल पर लिया जाता है, इसलिए ऐसा किया जाना संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अनेक लोग ऐसा भी दावा कर सकते हैं कि उन्हें भाषा नहीं आती है और उन्होंने डी.एल.ई.ओ. के कहने पर उसके निर्देशानुसार हस्ताक्षर मात्र किए हैं।

एक–एक का बयान (वन टू वन): बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में एक–एक का बयान शामिल किया जाना चाहिए अर्थात् उसमें डी.एल.ई.ओ. और जांच किए गए व्यक्ति के बीच हुई बयानबाजी ही शामिल होनी चाहिए। सामान्यतया अनेक अधिकारी इसमें शामिल हो जाते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, अलग तरह का व्यवहार करते हैं और चले जाते हैं। ऐसा करने से डी.एल.ई.ओ. और जांच किए गए व्यक्ति दोनों का ध्यान भंग हो जाता है, जांच किए जा रहे व्यक्ति पर दबाव पड़ता है तथा बाद में न्यायालय में मुकदमे के दौरान जब यह प्रमाणित हो जाता है कि बयान दर्ज करते समय व्यक्ति से अनेक लोग पूछताछ कर रहे थे, दिये गये बयान का कल्पित स्वरूप खो जाता है।

मुख्य व्यक्ति पहले और अन्य बाद में: डी.एल.ई.ओ. को सबसे पहले उन व्यक्तियों से पूछताछ शुरू करनी चाहिए जिनसे अनुशंसी सामान/साक्ष्य बरामद हुआ है और उनके बयान यदि संभव हो तो मौके/स्थल पर ही लिए जाने चाहिए भले ही ऐसे बयान छोटे हों। ऐसा करने से तथ्य और तलाशी की परिस्थितियां, बरामदी और जब्ती, ड्रग्स के स्रोत और गंतव्य स्थल, ड्रग्स या आईएपी की अतिरिक्त मात्राओं के भंडारण स्थलों और अन्य प्रमुख सह–अपराधियों का पता चलता है। इससे तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने का आधार मजबूत बनता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ आराम देने के बाद और डी.एल.ई.ओ. के कार्यालय में पूरे तथ्यों, रिकार्डों और डी.एल.ई.ओ. द्वारा एक साथ एक ही समय पर की गई अनुवर्ती जांच के परिणामों के आधार पर उससे परवर्ती बयान लिया जा सकता है।

गवाहों से भी पूछताछ: जांच किए जाने वाले अन्य व्यक्तियों के अगले समूह में तलाशी के गवाह होते हैं जो तलाशी की समग्र

कार्रवाई, बरामदी और जब्ती और संभवतः मालिक/दखलकार की इस आशय की स्वीकृति/कबूली कि बरामद किया गया पदार्थ एनडी, पीएस या सीएस है, में अपनी भागीदारी की संपुष्टि करेंगे। यह इसलिए अत्यावश्यक है क्योंकि किसी भी कारणवश न्यायालय में मुकदमे के दौरान, डी.एल.ई.ओ. द्वारा गवाहों को अपने बयानों की पुष्टि करने के लिए न्यायालय में पेश होने के लिए किए गए अथक प्रयासों के बावजूद गवाहों की अनुपस्थिति में अभियोजन द्वारा ऐसा दावा किया जा सकता है कि उनके लिखित बयान को प्रमाण के रूप में उपयोगी माना जाए।

पुलिस और धारा 67: यदि डी.एल.ई.ओ. पुलिस से संबंधित है तो उसे ड्रग के अपराधों की जांच करते समय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत बयान दर्ज करने चाहिए और यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि बयान के एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के साथ पठित अपराध दंड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत यह बयान दर्ज किया जा रहा है। उसके बाद उसे बयान देने वाले व्यक्ति से अपने हाथ से बयान लिखवाना चाहिए और उस पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए कहना चाहिए। ऐसा करने से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53–क और धारा 66 के अंतर्गत उपबंधित संरचनात्मक अवधारणाओं के लाभ अभियोजन द्वारा उठाए जा सकते हैं।

अशिक्षित व्यक्तियों की जांच करना: यदि जांच किया जाने वाला व्यक्ति लिखना–पढना नहीं जानता है लेकिन भाषा बोलता है तो ऐसी स्थिति में डी.एल.ई.ओ. को ऐसे स्वतंत्र व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए जो कि उस भाषा को जानता हो और उससे अनुरोध किया जा सकता है कि वह जांच किए जा रहे व्यक्ति की ओर से उसका बयान लिख दे। इन परिस्थितियों में किसी अन्य

व्यक्ति द्वारा लिखे जा रहे बयान के आरंभ और अंत में, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाना चाहिए। बयान लिखने वाले व्यक्ति को जांच किए जा रहे व्यक्ति को उसके द्वारा दिए गए बयान को पढ़ कर सुनाना चाहिए तथा इस बयान को सही ढंग से दर्ज किया गया है, इस संबंध में उसका अनुमोदन और संतुष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा इस तथ्य को ऐसे बयान में स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित किया जाना चाहिए। इसके बाद बयान देने वाले व्यक्ति तथा जिसने बयान लिखा है, दोनों के हस्ताक्षर उस पर करवाए जाने चाहिए।

गहन पूछताछ करना: बयान दर्ज करते समय डी.एल.ई.ओ. को प्रश्नों की रूप रेखा इस तरह से तैयार करनी चाहिए कि वह जांच किए जा रहे व्यक्ति से अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सके। ऐसे बयान से, व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्तिगत, व्यावसायिक/पेशेवर और वित्तीय सूचना सिद्ध हो जानी चाहिए जिसमें संपत्तियां और देयताएं, संबंधी और व्यावसायिक सहयोगी, बरामद किए गए ड्रग्स/साक्ष्य के संबंध में वास्तविक भूमिका, ड्रग्स के स्रोत/गंतव्य स्थल, बिक्री/क्रय के मामले, धनराशि का लेना–देना, सह–अपराधी, विगत आपराधिक लिप्तता आदि शामिल हैं। ऐसा प्रकटीकरण सही और सत्यापन योग्य होने चाहिए।

सुरक्षा के उपाय: डी.एल.ई.ओ. को सदैव अपनी निजी सुरक्षा के साथ–साथ जांच किए जा रहे व्यक्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। व्यक्तियों की ऐसी जांच तथ्य प्राप्त करने वाली कार्रवाई होती है जो कि डी.एल.ई.ओ. और जांच किए जा रहे व्यक्ति दोनों के लिए उपयोगी होती है। डी.एल.ई.ओ. का प्रयास होता है कि उसे अपराध किए जाने के बारे में और अधिक सुराग और प्रमाण मिलें और जांच किए जा रहे व्यक्ति और

अपराध करने वाले अभियुक्त को अपने बेकसूर होने का, यदि वह ऐसा है, अपने को बेकसूर ठहराने का तथा उक्त अपराध में लिप्त होने और अपनी भूमिका को स्पष्ट करने का पहला मौका मिलता है। गिरफ्तारी किए जाने से पूर्व की जाने वाली ऐसी जांच के दौरान पूछताछ किए जा रहे व्यक्ति को ऐसा नहीं माना जा सकता है कि वह डी.एल.ई.ओ. की हिरासत में है। फिर भी कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना और स्वयं को चोट पहुंचाने, आत्म–हत्या करने आदि जैसे निराशोन्मत/दुरूसाहसी कृत्यों को, उपयुक्त एहतियात बरत कर और कड़ी निगरानी रख कर रोका जा सकता है।

अध्याय 12
गिरफ्तारीः गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत के दौरान की जानी वाली कार्रवाई और एहतियात

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(क) में यह निर्धारित है कि इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा। डी.एल.ई.ओ. को ऐसे व्यक्ति को जिसके पास से सामान बरामद किया गया है अथवा जब्त किया गया है और उसके अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान और अन्य दस्तावेजी प्रमाण अथवा अन्यथा उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर कि उसने एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है, के प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो जाने के बाद ही उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उसे एक गिरफ्तारी का ऐसा लिखित ज्ञापन तैयार करना चाहिए जिसमें उसको गिरफ्तार करने के आधार, दिनांक और समय का उल्लेख होना चाहिए और गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

दिशानिर्देशः डी.एल.ई.ओ. को डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए जिसकी मुख्य बातें निम्नानुसार हैंः–

(1) गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति की पूछताछ करने वाले अधिकारियों के पास अपने पहचान पत्र और अपने नाम

और पदनाम का टैग/फीता पहने होने चाहिए तथा उनके नाम एक रजिस्टर में दर्ज होने चाहिए।

(2) गिरफ्तारी का वारंट ले जाने वाले अधिकारी को गिरफ्तारी के समय एक ज्ञापन तैयार करना चाहिए जिस पर कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर होने चाहिए जो कि या तो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के परिवार का एक सदस्य होगा अथवा उस इलाके का सम्माननीय नागरिक होगा। ऐसे ज्ञापन पर गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, तारीख और समय के साथ होने चाहिए।

(3) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि अपने हितबद्ध किसी एक मित्र अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य को अपनी गिरफ्तारी और कारावास के स्थान के बारे में सूचित करे।

(4) यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अन्य जिले या नगर का है तो उक्त जिले के विधि सहायता संगठन अथवा उसके इलाके के पुलिस स्टेशन को उसकी गिरफ्तारी की तारीख, समय और गिरफ्तारी के स्थान के बारे में ऐसी गिरफ्तारी के 8–12 घंटों के भीतर तार से सूचित किया जाना चाहिए।

(5) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय शारीरिक/चिकित्सकीय जांच करवायी जानी चाहिए तथा उसकी किसी भी प्रकार की बड़ी अथवा छोटी चोट को "निरीक्षण ज्ञापन" में दर्ज किया जाना चाहिए जिस पर गिरफ्तार करने वाले अधिकारी और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसे "निरीक्षण ज्ञापन" की एक प्रति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भी दी जानी चाहिए। उसके बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उसे हिरासत में रखने के

दौरान प्रत्येक 48 घंटों के बाद जांच की जानी चाहिए।

सावधानी: गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, विधि के अनुसार अनावश्यक रूप से विलंब किए बिना उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, गिरफ्तारी के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले गिरफ्तार–कर्ता अधिकारी की हिरासत में तब तक रहेगा जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं कर दिया जाता है। इसलिए वह अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सुरक्षा और सेहत के लिए उत्तरदायी होगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निगरानी में रखा जाएगा और ऐसे स्थानों से दूर रखा जाना चाहिए जहां से वह बच कर भागने अथवा अपने आप को क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं कर सके।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का सामान: व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के रूप में डी.एल.ई.ओ. को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूरी से जांच करनी चाहिए, उसके पास से सभी चीजों/वस्तुओं को ले लेना चाहिए और अपने और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर करते हुए जमा तलाशी ज्ञापन में ऐसी चीजों की एक सूची दी जानी चाहिए। यदि उस समय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का कोई घनिष्ठ मित्र अथवा संबंधी गिरफ्तार किए जाने के समय उस स्थान पर उपलब्ध होता है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सारी वस्तुएं/चीजें उसकी सहमति से उसे सौंप दी जानी चाहिए और प्राप्तकर्ता से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उपस्थिति में इस आशय की एक पावती प्राप्त कर लेनी चाहिए और उसके हस्ताक्षर भी उस ज्ञापन पर कराने चाहिए ताकि भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवाद से बचा जा सके। यदि उस समय ऐसा कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं/

चीजों को सावधानी से एक पैकेज में रखा जाना चाहिए तथा उसे अधिकारी और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर के अंतर्गत सावधानी से सीलबंद किया जाना चाहिए तथा उसे जमा तलाशी के सामान के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। उसके बाद उन्हें मालखाने मे जमा करा दिया जाना चाहिए ताकि बाद में उसकी मांग किए जाने पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लौटाया जा सके।

यदि गिरफ्तार करने वाला अधिकारी डी.एल.ई.ओ. है और उसे कुछ अन्य सरकारी कार्यवश बाहर जाना पड़ा हो तो उसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी वरिष्ठ अधिकारी के लिखित अनुदेशों के अंतर्गत अन्य अधिकारी को सौंप देना चाहिए तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपे जाने और अपने अधिकार में लेने के लिखित दस्तावेज पर उसे सौंपे जाने और अधिकार में लिए जाने के समय दोनों अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

विदेशी नागरिकः विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किए जाने के मामले में डी.एल.ई.ओ. को गिरफ्तारी से संबंधित ब्यौरे निम्नलिखित अधिकारियों को भी भेजने होंगेः–

(1) संयुक्त सचिव, सीपीवी प्रभाग, गृह मंत्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली।

(2) गृह मंत्रालय, विदेशी नागरिक प्रभाग, संख्या 26 मान सिंह रोड, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली।

अध्याय 13
बंदी का रिमांड लेना और ज़ब्त की गई ड्रग्स को मालखाने में जमा कराना

डी.एल.ई.ओ. द्वारा कानून के अंतर्गत दिए गए अधिदेश के अनुसार व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने और उसके पास से ड्रग्स ज़ब्त किए जाने के बाद अनेक प्रकार की कार्रवाई का अनुपालन करना होगाः–

बंदी का रिमांड लेनाः एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52(2) में यह निर्धारित है किः एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41(2), 43 अथवा 44 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और ज़ब्त की गई प्रत्येक वस्तु को अनावश्यक देरी किए बिना (क) नजदीकी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अथवा (ख) धारा 53 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। चूंकि धारा 53 के अंतर्गत डी.एल.ई.ओ. प्राधिकृत अधिकारी होते हैं, इसलिए उन्हें अभियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को नजदीकी पुलिस स्टेशन भेजना जरूरी नहीं होता है। तथापि, ऐसा तभी किया जा सकता है जब कि डी.एल.ई.ओ. के पास बंदी को गिरफ्तार किए जाने के स्थल पर सुरक्षित हिफाजत में रखे जाने की कोई व्यवस्था न हो और बंदी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से पहले उसके लिए कुछ सुरक्षित स्थल की आवश्यकता हो।

उसे यह पता होना चाहिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद

22 (2) और आपराधिक दंड संहिता की धारा 56/57 के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अथवा हिरासत में रखे गए व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक पहुंचने में लगने वाला समय शामिल नहीं है, नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। यह भी याद रखा जाए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना उससे अधिक अवधि तक हिरासत में नहीं रखा जाए।

जब्त किए गए सामान का भंडारण: केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों के लिए जब्त किए गए सामान को जमा कराने के लिए पहले से ही गोदाम/मालखाने तय किए गए हैं। गोदामों का चयन, ऐसे सामान की सुरक्षा और हिफाजत, न्यायालयों से निकटस्थता, सुगम परिवहन आदि को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए। सामान्यतया ऐसे गोदाम किसी राजपत्रित के समग्र प्रभार और पर्यवेक्षण के अंतर्गत होते हैं।

हिरासत की श्रृंखला: डी.एल.ई.ओ. को जब्त करने वाले अधिकारी के रूप में ड्रग्स युक्त सीलबंद पैकेजों और उसकी मुहर से विधिवत् सीलबंद की गई अन्य जब्त वस्तुओं को अपनी सुरक्षित हिफाजत में तब तक रखना चाहिए जब तक कि उन्हें गोदाम में जमा नहीं करा दिया जाता है। उसे यथा संभव ऐसी ड्रग्स को उनके जब्त किए जाने के 48 घंटों के भीतर एक अग्रेषण ज्ञापन के साथ जमा कर देना चाहिए। ऐसे ज्ञापन में अपराध/अभियोजना रजिस्टर के अनुसार एनडीपीएस के अपराध/मामला संख्या.............., अभियुक्त व्यक्तियों के नाम, परीक्षण ज्ञापन का संदर्भ, ड्रग्स के विवरण, पैकेजों की ड्रग्स–वार क्रम संख्या और उनकी मात्रा और सभी पैकेजों की कुल संख्या भी निर्दिष्ट की जाए। डी.एल.ई.ओ. को जब्त करने वाले अधिकारी के रूप में ही

गोदाम अधिकारी/प्रभारी से ऐसे जब्त कराए गए सामान की रसीद भी प्राप्त करनी चाहिए और उसे रिकार्ड के लिए फाईल में रखनी चाहिए अथवा जांच करने वाले अधिकारी को, मामले के सभी अन्य अभिलेखों/रिकार्ड सहित दे देना चाहिए। डी.एल.ई.ओ. और गोदाम प्रभारी दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नमूनों/ड्रग्स की पैकिंग और मुहरबंदी/सीलिंग विधिवत की गई है और ये अक्षत है और जमा कराए जाने और प्रयोगशाला/न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के समय तक क्षतिग्रस्त नहीं है।

जब्ती और गिरफ्तारी की रिपोर्टः डी.एल.ई.ओ. को अधिनियम के अंतर्गत किसी सामान को जब्त करने और/अथवा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बारे में एक संपूर्ण रिपोर्ट बनानी होगी जिसमें उसे ऐसी जब्ती और/अथवा गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में सभी विवरण शामिल होंगे और उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत ऐसी जब्ती अथवा गिरफ्तारी करने के 48 घंटों के भीतर अपने आसन्न वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

प्रपत्र–चः डी.एल.ई.ओ. को प्रपत्र–च में ऐसी जब्ती रिपोर्ट, महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली और क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को भी भेजनी चाहिए। इससे ड्रग के अपराधों पर राष्ट्रीय आंकड़ा आधार बनाने और उसके रखरखाव में सहायता मिलेगी। प्रपत्र–च स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की वेब साइटः www-narcoticsindia@nic-in पर उपलब्ध है और इससे डाउनलोड किया जा सकता है।

अध्याय 14
निवारक कैद

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम) के अतंर्गत एनडी और पीएस के अवैध व्यापार में किसी भी तरीके से संबंधित व्यक्ति को एक अथवा दो वर्ष के लिए कैद किए जाने का प्रावधान है ताकि उन्हें ऐसे हानिकारक और प्रतिकूल क्रियाकलाप करने से रोका जा सके।

कैद करने का प्रस्ताव: जैसे ही एनडी और पीएस के अवैध व्यापार का पता लगता है और आपराधिक सामान को जब्त किए जाता है और प्रारंभिक जांच पूरी हो जाती है तथा मौजूदा मामले और विगत घटनाओं में विभिन्न व्यक्तियों के प्रथम दृष्टया संलिप्त होने की संपुष्टि हो जाती है, वैसे ही डी.एल.ई.ओ. उसमें संलिप्त व्यक्तियों को चाहे वे पहले से ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं अथवा अन्यथा, कैद करने का एक प्रस्ताव तैयार करेगा। ऐसे प्रस्ताव में वह ऐसा करने के आधार का उल्लेख करता है और ऐसा विचार व्यक्त करता है यदि ऐसे कृत्य की रोकथाम नहीं की जाती है तो ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा एनडी और पीएस के अवैध व्यापार द्वारा हारिकारक और प्रतिकूल क्रियाकलापों को जारी रखने की संभावना बनी रहेगी। डी.एल.ई.ओ. द्वारा ऐसा प्रस्ताव कैद करने वाले अधिकारी (डी.ए.) को यथाशीघ्र लेकिन जब्ती करने के 45 दिनों के भीतर अवश्य भेज दिया जाना चाहिए। ऐसे प्रस्ताव की निर्धारित जांच समिति द्वारा जांच और पुनरीक्षण किया जाता है जो नजरबंदी के प्रस्ताव की अथवा अन्य कोई सिफारिश करती है।

कैद करने का आदेश: कैद करने वाला अधिकारी (डी.ए.) तब कैद करने के प्रस्ताव और जांच समिति की सिफारिश पर विचार करता है और यदि वह उससे संतुष्ट होता है तो वह व्यक्ति के खिलाफ कैद करने का आदेश (डीओ) जारी करता है। कैद करने वाले अधिकारी (डी.ए.) जो कि केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव अथवा राज्य सरकार में मुख्य सचिव के स्तर का होता है, एक वर्ष तक की अवधि के लिए कैद किए जाने का आदेश जारी कर सकता है, जिसे उच्च न्यायालय में सलाहकार बोर्ड द्वारा संपुष्टि किए जाने के अध्यधीन, कुछ शर्तों पर आगे दो वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22, सलाहकार बोर्ड का अनुमोदन लिए बिना किसी भी नागरिक को तीन माह से अधिक की अवधि के लिए कैद किया जाना निषिद्ध करता है । कैद करने के आदेश की एक प्रति जब्त करने वाले/प्रायोजित एजेंसी को भेजी जाती है। डी.एल.ई.ओ. संबंधित व्यक्ति को ऐसा आदेश यथावश्यक (पुलिस, सीमाशुल्क आदि की) सहायता से देना सुनिश्चित करता है और उसे आदेश में विनिर्दिष्ट जेल में बंद करवाता है। यदि व्यक्ति जेल में है तो जेल अधीक्षक द्वारा जेल में ही कैद का आदेश तामील किया जाता है।

कैद किए जाने के आधार: कैद करने का आदेश और ऐसे आधार जिन पर कैद का आदेश जारी किया गया है, के साथ विश्वसनीय दस्तावेज एक साथ दिए जाने चाहिए तथा दिए गए प्रत्येक दस्तावेज की प्रत्येक प्रति पर कैदी के हस्ताक्षर के रूप में उसकी पावती लेनी चाहिए। यदि यह अनुपलब्ध हैं तो पहले कैद का आदेश दिया जाना चाहिए और यदि ऐसा एक साथ दिया जाना संभव नहीं है तो अन्य दस्तावेज 5 दिनों के भीतर दिए जाने चाहिए। विशेष परिस्थितियों में जिनका उल्लेख लिखित रूप में किया जाना चाहिए, कैदी को कैद किए जाने के 15 दिनों के

भीतर, आधार/दस्तावेज दिए जा सकते हैं।

सलाहकार बोर्डः डी.एल.ई.ओ. यह सुनिश्चित करेगा कि दस्तावेज की पावतियों का सेट जैसे कि कैद का आदेश, आधार, सभी विश्वसनीय दस्तावेज जिन पर कैदी के हस्ताक्षर अंकित हों, पीआईटीएनडीपीएस प्रकोष्ठ, नई दिल्ली को, कैद किए जाने का आदेश सौंपे जाने के 15 दिनों के भीतर भेज दिए जाएं। यह इसलिए अत्यावश्यक है क्योंकि पीआईटीएनडीपीएस प्रकोष्ठ को, कैद किए जाने के मामले को, उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष कैद किए जाने के आदेश की तारीख से 5 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना होता है और सलाहकार बोर्ड को कैदी को कैद किए जाने की तारीख से 11 सप्ताह के भीतर उसको कैद में बनाए रखने या अन्यथा छोड़ने के बारे में अपनी राय देनी होती है।

धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचनाः यदि पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम की धारा 10 की शर्त पूरी हो जाती है और व्यक्ति/कैदी को धारा 10 के अंतर्गत ऐसे विनिश्चित क्षेत्रों में जो कि ऐसे अवैध व्यापार के लिए अत्यधिक संवेदनशील माने जाते हैं, एनडीपीएस के अवैध व्यापार में संभवतः लिप्त हुआ, बाहर, माना जाता है तो जांच अधिकारी को कैद करने के पांच सप्ताह के भीतर अपर सचिव के स्तर के अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के लिए मामले पर आगे कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे मामलों में सलाहकार बोर्ड को 4 महीनों के भीतर कैद किए जाने की तारीख से और 5 सप्ताह के बजाय 2 सप्ताह के भीतर मामला प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कैद की अवधिः ऐसे मामलों में जिनमें पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत घोषणा की गई है, कैद किए

जाने की अधिकतम अवधि दो वर्ष की होती है जबकि धारा 10 के अंतर्गत नहीं आने वाले मामलों में कैद की अवधि एक वर्ष होती है। पहले मामले में सलाहकार बोर्ड को अपनी राय 5 माह के भीतर और दूसरे किस्म के मामले में 3 सप्ताह के भीतर दे देनी चाहिए। समय सीमा 11 सप्ताह है।

दिशानिर्देश: डी.एल.ई.ओ. निवारक कैद किए जाने वाले मामलों को निपटाने के समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखेगा:

(1) घटना घटित होने की तारीख से बिना कोई विलंब किए कैद किए जाने का प्रस्ताव तैयार करना और उसे कैद करने वाले अधिकारी (डीए) को प्रस्तुत करना। यदि इसमें कोई विलंब होता है तो उसके बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए (जैसे कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने में विलंब आदि)।

(2) ऐसे प्रस्ताव में जमानत और अन्य विविध वस्तुगत सामग्री, आवेदन पत्र, न्यायालय के आदेश आदि सहित संपूर्ण और न्यायिक स्थिति का उल्लेख निहित होना चाहिए।

(3) इसमें रासायनिक विश्लेषण रिपोर्टों आदि को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

(4) प्रस्ताव में सभी विश्वसनीय दस्तावेज निहित होने चाहिए और साथ ही यह पठनीय होने चाहिए।

(5) कैदी को दस्तावेज तामील करते समय कैद किए जाने के आधार और विश्वसनीय दस्तावेज (आरयूडी), यदि वे कैदी को ज्ञात भाषा में नहीं हैं तो, उन्हें कैदी को ज्ञात भाषा में रूपांतरित करके एक साथ सौंपे जाने चाहिए।

(6) कैद का आदेश और कैद किए जाने के आधार कैदी के सामने उसको ज्ञात भाषा में पढ़ कर सुनाए जाने चाहिए और स्पष्ट किए जाने चाहिए।

(7) कैद का आदेश और संबंधित दस्तावेज दिए जाने के बाद दस्तावेज का पूरा एक सेट जिस पर कैदी के हस्ताक्षर अंकित हों, कैद करने वाले अधिकारी की पीआईटीएनडीपीएस प्रकोष्ठ, को भेजा जाना चाहिए।

(8) डी.एल.ई.ओ. को भी कैद के प्रत्येक मामले के पठनीय दस्तावेजों के पूरे तीन सेट एक सूची के साथ कैद करने वाले अधिकारी के कार्यालय को कैद किए जाने के 15 दिनों के भीतर भेज दिए जाने चाहिए ताकि उन्हें सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को उनके इस्तमाल के लिए समय पर प्रस्तुत किया जा सके।

(9) डी.एल.ई.ओ. को यदि पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम की धारा 10 जिसके अनुसार व्यक्ति/कैदी को धारा 10 के अंतर्गत ऐसे विनिश्चित क्षेत्रों में जो कि ऐसे अवैध व्यापार के लिए अत्यधिक संवेदनशील माने जाते हैं, एनडीपीएस के अवैध व्यापार में संभवतः लिप्त हुआ, बाहर, माना जाता है, की शर्त के पूरा हो जाने पर कैद किए जाने के तुरत बाद पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत समय पर घोषणा किए जाने के लिए मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए।

(10) प्रायोजित प्राधिकारी (जब्त करने वाली एजेंसी) अथवा केन्द्र सरकार को दिए गए सभी प्रत्याहार/अभ्यावेदनों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, पैरा–वार टिप्पणियां तैयार की जाएं और एक सप्ताह के भीतर पीआईटीएनडीपीएस प्रकोष्ठ को उत्तर भेज दिया जाए।

अध्याय 15
जांच

अपराध किए जाने का पता लगने के समय ड्रग विधि नियमन अधिकारी(डी.एल.ई.ओ.) को प्रारंभिक पूछताछ और ऐसे कार्य करने चाहिए जिनमें घटित अपराध के स्थल पर जाना, अपराध का पता लगाना, वस्तुओं को जब्त करना और प्रथम दृष्टया अपराध करने वाले व्यक्तियों, व्यक्तियों, अथवा अपराध के लिए सह–अपराधियों अथवा उत्साहित करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करना शामिल है।

जांच करने का उद्देश्यः डी.एल.ई.ओ. को सदैव यह ध्यान में रखना चाहिए कि जांच करने का उद्देश्य किए गए अपराध (अपराधों) का पता लगाना, अपराध करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) का पता लगाना और जिन स्वापक औषधि(एनडी), मनःप्रभावी पदार्थ (पीएस) और/अथवा नियंत्रित पदार्थ (सीएस) बारे में अपराध किया गया है, उनकी बरामदी करना और व्यक्तियों द्वारा अपने अथवा संबंधियों और सहयोगियों के नाम अधिगृहीत अवैध उपार्जित संपत्ति (आईएपी) का पता लगाना है। उसे इन चारों में से प्रत्येक मद को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और इस तरह से जांच करनी चाहिए ताकि एकत्रित किए गए साक्ष्य कम से कम एक मद के संबद्ध हो।

मुख्य जांच–क्षेत्रः डी.एल.ई. अधिकारी द्वारा जांच पूर्णतया प्रभावी होनी चाहिए और इसमें निम्नलिखित प्रमुख तत्वों का पता लगाने पर जोर दिया जाएः–

(1) हस्तगत मामले में कितने प्रकार के अपराध किए गए हैं?

यह अपराध में शामिल एनडी, पीएस अथवा सीएस की प्रकृति, जब्त की गई मात्रा और एनडी, पीएस अथवा सीएस जैसे उत्पादन, विनिर्माण, बिक्री, उपभोग, वितरण, आयात या निर्यात, वित्त–पोषण, आश्रय देने, सहयोग देने और अपराध के लिए उत्साहित करने आदि से संबंधित आपराधिक क्रियाकलापों पर निर्भर करेगा।

(2) कौन सीधा उल्लंघनकर्ता/अपराधी है? उनकी पूरी पहचान और व्यक्तिगत ब्यौरे।

(3) ऐसे कौन से षडयन्त्रकारी और अपराध के प्रोत्साहक हैं जिन्होंने अपराध करने के लिए सहयोग दिया है? उनकी पूरी पहचान और व्यक्तिगत ब्यौरे।

(4) ड्रग्स के उत्पादन और निर्माण का क्या स्रोत है? क्या यह वैध स्रोतों से अंतरण का मामला है?

(5) ड्रग्स का गंतव्य स्थान क्या है?

(6) ड्रग्स के वितरण का क्या मार्ग है और उनके लाने ले जाने का साधन/माध्यम क्या है?

(7) ड्रग्स की विचारणीय बिक्री/खरीद क्या है?

(8) भुगतान का माध्यम क्या है?

(9) क्या कोई विशेष स्थल, व्यक्ति, वैध फैक्टरी/अवैध फैक्टरी/प्रयोगशाला भी इसमें शामिल है?

(10) क्या विगत अपराधों और दोष सिद्ध होने का कोई इतिहास है?

(11) क्या अपराध में आयात/निर्यात लिप्त है?

(12) क्या अपराध किसी गिरोह अथवा दल द्वारा संचालित है? यदि हां तो ऐसे सदस्यों के ब्यौरे, प्रत्येक सदस्य अथवा उप समूह की भूमिकाएं।

(13) कार्य–प्रणाली क्या है और मुख्य तरीका क्या है?

(14) आपराधिक कारोबार और लाभ की मात्रा क्या है?

(15) लाभ को कहां और कैसे लाभ जमा किया जाता है, क्या इससे संपत्ति खरीदी जाती है अथवा इसे, छिपाया जाता है, बदला जाता है या अन्यथा किसी प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है?

(16) क्या कोई अन्य आपराधिक कारोबार चल रहा/विचाराधीन है?

(17) वांछित सूचना/दस्तावेज प्राप्त करने के लिए किस व्यक्ति/विभाग/प्राधिकारी से किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है?

जांच करने की शक्तियां: डी.एल.ई.ओ. को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत अपराधों की जांच करने के प्रयोजन से पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां सौंपी गई हैं। ऐसा अधिकारी सामान्यतया तलाशी और जब्ती करने (धारा 42, 43 और 44 के अंतर्गत) व्यक्तियों की जांच करने, वस्तुओं और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तियों को आदेश देने (धारा 67), वैज्ञानिक मतधविचार जानने के लिए संदेहास्पद सामान को प्रयोगशाला भेजने (आपराधिक दंड संहिता की धारा 293) आदि और मामले की जांच करने के लिए तंत्रों/उपकरणों का उपयोग करता है।

समर्थक साक्ष्य: डी.एल.ई.ओ. को यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि बारीकी से जांच करना तभी संभव होता है जब

पहले से ही उपलब्ध साक्ष्यों, संपर्कों तथा संभावित जांच और उनके निष्कर्षों की संबद्धता का आकलन किया जा सके। उसे जांच किए जाने वाले व्यक्ति से सुरागों और तथ्यों, परिस्थितियों, अभिलेखों और उस समय तक उपलब्ध व्यक्तियों की जांच करने के आधार पर मिले संकेतों के आधार पर बुद्धिमत्ता के प्रश्न पूछने चाहिए। अधिकारी को यह समझना चाहिए कि गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा दिए गए अपराध–स्वीकृति के बयान, न्यायालय की नजरों में मुकदमे की सुनवाई के समय तब तक पर्याप्त विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते जब तक कि उनकी स्वतंत्र रूप से संपुष्टि नहीं हो जाती है।

इसलिए जांच करने का उद्देश्य अधिकाधिक साक्ष्य प्राप्त करना होता है ताकि अपराध और अपराध में लिप्त सभी व्यक्तियों के बारे में समग्र तथ्यपरक सूचना का खुलासा किया जा सके।

कठोर दण्ड देने के लिए ठोस प्रमाणः डी.एल.ई.ओ. को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एनडीपीएस अधिनियम में व्यवस्थित/प्रदत्त कठोर दंड देने के लिए न्यायालय, अभियोजन पक्ष से ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने की मांग करता है। इसलिए डी.एल.ई.ओ. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच के दौरान उसके द्वारा सामान्यतया एकत्र किए जाने वाले साक्ष्यों में विशिष्ट रूप से इस तथ्य को सिद्ध करने की क्षमता है कि अभियुक्तों द्वारा वास्तव में ही कानून का उल्लंघन किया गया है।

जांच रिपोर्टः डी.एल.ई.ओ. को निर्धारित सांविधिक अवधि के दौरान अपनी जांच पूरी कर लेनी चाहिए और अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर लेनी चाहिए जिसमें सभी क्रियाकलाप, परिणाम, उनके संक्षिप्त विवरण और संबद्ध तथ्य शामिल हों। यह जांच रिपोर्ट सभी भावी कार्यवाहियों के लिए जैसे कि शिकायत

दायर करना, निवारक कैद के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना, संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई करना, मुकदमे की कार्रवाई करना, अपील दायर करने की कार्रवाई आदि सभी में संदर्भ बिन्दु के रूप में कार्य करेंगी। यह तब भी उपयोगी सिद्ध होगी जब कि संबंधित मामले पर कार्रवाई करने वाला डी.एल.ई.ओ., यदि किसी अन्य मामले में व्यस्त हो जाता है अथवा उसका स्थानांतरण हो जाता है अथवा बीमार होने या सेवानिवृत्त हो जाने आदि जैसे कुछेक कारणवश उपलब्ध नहीं होता है।

शिकायत/आरोप पत्र दायर करना: धारा 19, 24, 27क के अंतर्गत आने वाले अपराधों अथवा वाणिज्यिक मात्रा में ड्रग रखने वाले अपराधों के लिए 180 दिनों के भीतर एक शिकायत (गैर–पुलिस अधिकारियों के मामले में)/आरोप पत्र (पुलिस अधिकारियों के मामले में) और अन्य सभी मामलों में गिरफ्तारी किए जाने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अवश्य दायर कर देनी चाहिए। तथापि, प्रथम श्रेणी के मामलों में न्यायालय, सरकारी अभियोजक के माध्यम से डी.एल.ई.ओ. द्वारा दर्शाए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर उक्त अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है।

हमेशा याद रखें कि डी.एल.ई.ओ. द्वारा निर्धारित समय के भीतर जांच कार्य को पूरा नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप शिकायत दर्ज करने में विलंब होगा जिससे अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का स्वतः अधिकार प्राप्त हो जाएगा।

अध्याय 16
अंतर्राष्ट्रीय जांच

ड्रग्स का अवैध व्यापार और उपभोग हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्व की समस्या/चिंता बन गया है। विश्व के एक भाग में ड्रग्स की कृषि की जाती है और उसे उपजाया जाता है तो दूसरी ओर हजारो मील दूर जाकर उसको बेचा जाता है और उसका उपभोग किया जाता है। इनके बाजार और इनसे प्राप्त होने वाले इतने अधिक हैं कि ड्रग्स का अवैध व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय संघ लगे हुए हैं। इसलिए यह "अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध" की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

डी.एल.ई.ओ. को मामले की जांच करते समय निरंतर इनके अंतर्राष्ट्रीय नैटवर्क को देखना पड़ता है। ड्रग्स, इनकी बिक्री से प्राप्त होने वाली आय, संपत्तियां, संवाहक अक्सर राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाते हैं । उसे इन सब स्थितियों को ध्यान में रख कर ही मामले की जांच करनी होती है।

प्रौद्योगिकी का दुरूपयोगः इंटरनेट और कोरियर सेवाओं के विकसित हो जाने से लोगों को पूरे विश्व में इन क्रियाकलापों में संलिप्त होना बहुत सुगम हो गया है क्योंकि यह सस्ता पड़ता है, गोपनीयता बनी रहती है और ड्रग्स को दूरस्थ गंतव्य स्थानों तक भेजने का खतरा भी कम होता है। अवैध व्यापारियों द्वारा इन माध्यमों को अधिकाधिक दुरूपयोग किया जाने लगा है जो कि ऐसे धंधे में लिप्त असली अभियुक्तों का पता लगाने में डी.एल. ई.ओ. के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है।

नियंत्रित प्रदानगीः ऐसे मामलों में डी.एल.ई.ओ.,

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 क के तहत महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद नियंत्रित प्रदानगी की तकनीक का उपयोग कर सकता है। नियंत्रित प्रदानगी संचालन में एनडी, पीएस अथवा सीएस युक्त किसी पैकेज का पता चलता है तो डी.एल.ई.ओ. की जानकारी में और उसके पर्यवेक्षण में उसे या तो ऐसे पदार्थ के साथ अथवा उसके जैसे किसी अन्य सामान के साथ उसके गंतव्य स्थान तक जाने की अनुमति दी जाती है। गंतव्य स्थान पर ऐसे पैकेज के पहुंचने के समय उस पैकेज पर तथा उसके दावेदार और उसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और उसको पकड़ लिया जाता है तथा उससे पूछताछ की जाती है ताकि ऐसे पैकेज के उद्गम देश में इसके धंधे में लगे व्यक्तियों का पता लगाया जा सके। नियंत्रित प्रदानगी तकनीक का उपयोग भारत अथवा विदेश के किसी भी गंतव्य स्थान में किया जा सकता है। विदेश के मामले में ऐसे विदेश के संबंधित सक्षम प्राधिकारी के साथ परामर्श करना जरूरी होता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः अनेक बार विदेशों में रह रहे लोगों से पूछताछ करते समय उनकी जांच करनी अथवा उन्हें संबद्ध दस्तावेज और चीजें प्रस्तुत करने के लिए कहना आवश्यक होता है। ऐसे मामलों में यदि विशिष्ट देश के साथ पारस्परिक विधिक सहायता के लिए द्विपक्षीय संधि होती है तो उक्त देश के नामोद्दिष्ट संपर्क से नामोद्दिष्ट भारतीय प्राधिकारी द्वारा यह अनुरोध किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति से सहमत प्रपत्र पर आवश्यक सूचना प्राप्त की जाए। भारत ने 33 देशों के साथ पारस्परिक विधिक सहायता संधि/समझौता ज्ञापन हुए हैं ताकि ड्रग से संबंधित मामलों में सहायता प्रदान की जा सके। जिन मामलों में डी.एल.ई.ओ. को विदेशी सहायता की आवश्यकता होती है, वह

मामले के आवश्यक ब्यौरों और किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, के साथ स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली से संपर्क स्थापित कर सकता है।

याचना पत्र: कोई संधि अथवा समझौता ज्ञापन नहीं होने की स्थिति में डी.एल.ई.ओ. के पास याचना पत्र (एलआर) की विधि का प्रयोग करने का विकल्प होता है, जिसमें भारत में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले याचना पत्र (एलआर) के जरिए विदेश के संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायालय से यह अनुरोध किया जाता है कि वह वांछित कार्रवाई किए जाने/सूचना प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अथवा किसी प्राधिकारी को आदेश दे।

अंतर्राष्ट्रीय जांच के सभी मामलों में बहुताधिक समय लगता है और इनका निपटान करने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। इसलिए डी.एल.ई.ओ. को यह समझना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के हित सदैव ***अंतर्राष्ट्रीय*** प्रभुसत्ता के हितों से पहले आते हैं। जब विदेशी प्राधिकारियों द्वारा साक्ष्य अथवा सूचना प्रदान की जाती है तो उसे तृतीय पक्षकार से दूर अथवा "केवल आसूचना के प्रयोजनार्थ" की आड़ में छिपा कर रखा जाता है। इस प्रकार साक्ष्य के रूप में इनका प्रयोग करना प्रतिबंधित होता है। ***इसलिए यह उपयुक्त होगा कि प्रारंभ में ही सूचना प्राप्त करने का प्रयोजन विनिश्चित किया जाए और उनसे मांगी जाने वाली सूचना का उपयोग किए जाने का अनुरोध किया जाए।***

अध्याय 17
वित्तीय जांच: संपत्ति को अधिग्रहण/ जब्त करना

अपराध से प्राप्त होने वाले सभी मौद्रिक लाभों को अधिकार में लेने से ड्रग्स के अवैध व्यापारियों के खिलाफ प्रवर्तन क्रियाकलापों की प्रभावकारिता बढ़ती है। डी.एल.ई.ओ. द्वारा की जाने वाली वित्तीय जांच का अभिप्राय ऐसी जांच से है जिसकी रूपरेखा किसी भी प्रकार की ऐसी संपत्ति का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिए तैयार की जाती है जो कि अवैध व्यापारी द्वारा अपने नाम अथवा अपने किसी संबंधी और सहयोगियों के नाम पर ऐसी अपनी आय, कमाई या संपत्तियों से पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अथवा एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते उपार्जित की है।

लक्षित की जाने वाली संपत्तियां: डी.एल.ई.ओ. वित्तीय जांच के दौरान ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की परिसंपत्तियों को अपना लक्ष्य बनाएगा जिसे –

(1) किसी भारतीय अथवा विदेशी न्यायालय द्वारा किसी दंडनीय ड्रग अपराध के लिए 10 वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि तक के कारावास के लिए दोषी करार दिया गया है, अथवा

(2) जिसके खिलाफ पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने के ऐसे आदेश जारी किए गए हैं जिसको सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर रद्द नहीं किया गया

है या किसी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है, अथवा

(3) गिरफ्तार किया गया है या जिसके खिलाफ ड्रग के अपराध के ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने का वारंट जारी किया गया है जिस पर किसी भारतीय अथवा विदेशी न्यायालय द्वारा 10 वर्ष तक या उससे अधिक की अवधि तक कारावास की सजा दी जा सकती है तथा

(4) ऐसे व्यक्तियों के सहयोगी और संबंधी।

गैर–कानूनी ढंग से अधिग्रहित संपत्ति (आईएपी): एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (ग) के अंतर्गत गैर–कानूनी ढंग से अधिगृहीत संपत्ति निषिद्ध है। तथापि, डी.एल.ई.ओ. को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68(ङ) के अंतर्गत ऐसी गैर–कानूनी ढंग से अधिगृहीत की गई संपत्ति का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिए ऐसी उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, परिसंपत्तियों, दस्तावेजों, किसी भी बैंक में लेखा बहियों, प्रतिभूति जमा पत्रों और मध्यवर्ती सामग्री आदि के संबंध में पूछताछ करना, उनकी जांच करना अथवा सर्वेक्षण करना शामिल हो सकता है। जांच करने पर यदि डी.एल.ई.ओ. यह पहचान करता है और उसके पास ऐसा विश्वास किए जाने के पर्याप्त कारण हैं कि ऐसी संपत्तियां गैर–कानूनी ढंग से अधिगृहीत की गई संपत्ति है और उसे ऐसे किसी तरीके से हस्तांतरित किए जाने या छिपाए जाने या निपटाए जाने की संभावना है जिससे कि ऐसी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में वह उस संपत्ति को जब्त कर सकता है। जब संपत्ति को जब्त किया जाना व्यावहारिक नहीं होता है तो ऐसी

स्थिति में वह उस व्यक्ति को इस आशय का एक आदेश जारी करेगा कि ऐसी संपत्ति को डी.एल.ई.ओ. अथवा सक्षम प्रधिकारी (सीए) की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना हस्तांतरित नहीं किया जाए अथवा किसी अन्य तरीके से निपटाया नहीं जाए। डी.एल.ई.ओ. 48 घंटों के भीतर सक्षम प्रधिकारी (सीए) को अधिग्रहण/जब्त करने के आदेश की प्रति भेजेगा। डी.एल.ई.ओ. के ऐसे आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि सक्षम प्रधिकारी (सीए) ऐसे आदेश जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर इसकी संपुष्टि नहीं कर देता है।

सक्षम प्राधिकारी (सीए): वर्तमान में, सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद या आय कर के आयुक्त के स्तर के पांच सक्षम प्राधिकारी विद्यमान हैं और इनके मुख्यालय कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में स्थित हैं। उनके अधिकार–क्षेत्र को दिनांक 16.03.2001 की अधिसूचना जीएसआर(ई) द्वारा अधिसूचित किया गया है।

गैर–कानूनी ढंग से अधिग्रहित संपत्ति (आईएपी) का पता लगाना और जब्त करना: डी.एल.ई.ओ. द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित की जाने वाली कार्रवाईयों में, धारा 68 (ङ) के अंतर्गत गैर–कानूनी ढंग से अधिग्रहित संपत्ति (आईएपी) का पता लगाना और उसकी पहचान करना, धारा 68 (च) के अंतर्गत उसे जब्त करने/स्थित रखने का आदेश जारी करना, और ऐसे आदेश की एक प्रति 48 घंटों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को भेजना शामिल है। साथ ही उसे जब्त की गई गैर–कानूनी ढंग से अधिग्रहित संपत्ति (आईएपी) और एकत्र किए गए प्रमाण की एक विस्तृत रिपोर्ट भी सक्षम प्राधिकारी को देनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसी संपत्तियां गैर–कानूनी ढंग से अधिग्रहित की गई हैं।

धन इकठ्ठा करने के खिलाफ प्रावधानः डी.एल.ई.ओ. को यह भी नोट करना चाहिए कि एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय 5(क) के साथ–साथ अधिनियम की धारा 8(क) गैर–कानूनी ढंग से अधिगृहीत संपत्ति (आईएपी) को अंतरित करने, छिपाने और उसके वास्तविक स्वरूप और विन्यास को परिवर्तित करने अथवा ऐसी संपत्ति को जो कि अधिनियम अथवा किसी अन्य देश के समवर्ती कानून के अंतर्गत किए गए अपराध से प्राप्त की गई है, के तथ्य को जानते हुए भी उसे अधिगृहीत करने, अधिकार में लेने जैसे क्रियाकलापों को निषिद्ध करती है।

एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले अपराध, धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत भी अपराध हैं। किसी मामले का पता चलने और जांच किए जाने के बाद उसकी एक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र एमएल–1 और एमएल–2 में आगे उपयुक्त कार्रवाई किए जाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को भेजनी अपेक्षित है।

अध्याय 18
मुकदमे से पहले निपटारा

एनडी, पीए, सीएस और वाहन के जब्त किए गए स्टॉक, अवैध व्यापार का और कब्जे में ड्रग होने का मुख्य प्रमाण है और यह न्यायालय में मुकदमे के दौरान अभियुक्त के कब्जे से प्राप्त सामग्री/प्रदर्श के रूप में पर्याप्त होता है। इससे स्टॉक के निपटान को तब तक विलंबित किया जा सकता है जब तक कि मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और कभी–कभी तो जब तक अपील संबंधी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है। एनडी, पीएस, सीएस और वाहन के ऐसे जब्त/कुर्क किए गए स्टॉक की चोरी हो सकती है, उसको बदला जा सकता है, उसकी क्षति आदि भी हो सकती है। ये अनजाने में गैर–कानूनी माध्यमों को आपूर्ति करने का एक स्रोत भी बन सकते हैं। इसकी रोकथाम करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 (क) डी.एल.ई.ओ. इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह दिनांक 16.01.2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 38(अ) के अनुसार ऐसे स्टॉक को जब्त करने के बाद किसी भी समय, ऐसे स्टॉक की खतरनाक प्रकृति, उपयुक्त भंडारण की कठिनाईयों, चोरी होने, बदले जाने की संभावना या किसी भी प्रकार के संबद्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद जब्त की गई स्वापक ड्रग्स और मनः प्रभावी पदार्थों के प्रमाणन और मुकदमे से पहले उसे बेचने के लिए किसी भी समय न्यायालय को निर्धारित तरीके से आवेदन करेगा। इसके अतिरिक्त वह वाहन सहित जब्त किए गए नियंत्रित पदार्थों और अन्य वस्तुओं को उनके मुकदमे से पहले बेचने के लिए दंड प्रक्रिया

संहिता (क्रि.प्रो.कोड) की धारा 451 में निर्धारित प्रक्रिया को भी अपना सकता है।

प्रक्रिया: डी.एल.ई.ओ. अधिसूचना के अनुबंध–1 के अनुसार जब्त की गई एनडी, पीएस, सीएस और वाहन की एक माल सूची तैयार करेगा और मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 52(क) (2) के अंतर्गत अनुबंध–2 के प्रपत्र में आवेदन करेगा। मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे आवेदन पर अनुमति दिए जाने और अपनी ओर से कार्रवाई पूरी करने के बाद डीएलईओ, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रमाणित की गई माल सूची, फोटोग्राफ और लिए गए नमूनों का मामले के लिए मुख्य प्रमाण के रूप में अपने पास सुरक्षित रखेगा। गोदाम के प्रभारी अधिकारी या मामले के अधिकारी के रूप में डीएलईओ ऐसे सभी प्रेषणों की एक सूची तैयार करेगा जो कि धारा 52(क) के अंतर्गत प्रक्रियाओं का अनुसरण किए जाने और निपटान के लिए न्यायालय द्वारा अनुमोदित किए के बाद निपटान करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद वह ऐसे स्टॉक के ब्यौरे ड्रग निपटान समिति को निपटान संबंधी समिति द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करेगा।

ड्रग निपटान समिति: ड्रग निपटान समिति का गठन विभाग के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक स्तर या पुलिस अधीक्षक अथवा सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त अथवा संयुक्त निदेशक, डीआरआई के स्तर का अधिकारी अथवा उनके समान स्तर का अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा जबकि इस समिति के दो अन्य सदस्य, सहायक पुलिस अधीक्षक अथवा सहायक/उप आयुक्त/निदेशक के स्तर के होंगे। यह समिति एक विनिश्चित मात्रा में ही निपटान करने का आदेश दे सकती है। मात्रा के

अधिक होने पर विभागाध्यक्ष एक उच्च स्तरीय ड्रग निपटान समिति को प्रतिनियुक्त कर सकता है।

निपटान करने की प्रक्रियाः अफीम, मोरफीन, कोडीन और थिबेन जैसे ड्रग्स का निपटान, मुख्य नियंत्रक, फैक्टरीज, नई दिल्ली स्थित सरकारी अफीम और अल्कालोइड वर्कस कार्यालय को स्टॉक का अंतरण करके किया जाता है। ड्रग्स के अन्य मामलों में मुख्य नियंत्रक, फैक्टरीज को सूचित किया जाएगा और वह 15 दिनों के भीतर यह सूचित करेगा कि क्या उनको किसी ड्रग्स और उसकी किसी मात्रा की एनडीपीएस नियमों के नियम 67–ख के अंतर्गत नमूनों के रूप में आपूर्ति किए जाने की जरूरत है या नहीं। इस प्रकार मांगी गई ड्रग्स की मात्रा को ही मुख्य नियंत्रक, फैक्टरीज को अंतरित किया जाएगा और बाकी मात्रा का निपटान कर दिया जाएगा। विभागाध्यक्ष को कम से कम 15 दिन पहले ड्रग्स को नष्ट किए जाने के कार्यक्रम के बारे में सूचित किया जाएगा ताकि वह स्वयं अथवा अन्य अधिकारियों के माध्यम से उसकी औचक जांच कर सके।

स्वापक औषधियाँ, मनः प्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ और वाहन जिनका कानूनी, चिकित्सक अथवा औद्योगिक प्रयोग है, के व्ययन का प्रावधान दिनांक 16.01.2015 की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 38 (अ) के अनुसार एनडीपीएस अधिनियम के नियम 52 क के अंतर्गत किया गया है तथा ऐसी स्वापक औषधियों, मनः प्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थों जिनका कोई विधि संगत चिकित्सीय अथवा औद्योगिक उपयोग नहीं हो अथवा जब्त मदों की ऐसी मात्रा जो उपयुक्त प्रयोग हेतु समुचित नहीं हो अथवा जिसे बेचा नहीं जा सकता हो, नष्ट कर दी जाएगी।

ड्रग्स का निपटान, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों की सहमति और अनुमोदन से कार्य कर रहे, भस्म करने वाले उपस्करों (इन्सिनरेटर्स) ड्रग को जला कर किया जाएगा। ड्रग को जला कर नष्ट करने का कार्य ड्रग निपटान समिति की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। ड्रग्स को नष्ट करने के बाद ड्रग निपटान समिति, अनुबंध–3 में दिए गए प्रपत्र में इनको नष्ट करने का प्रमाणपत्र तीन प्रतियों में तैयार करेगी। इसकी मूल प्रति डी.एल.ई.ओ. के पास गोदाम रजिस्टर में, दूसरी प्रति मामले की फाईल में और तीसरी प्रति ड्रग निपटान समिति के रिकार्ड में रखी जाएगी।

अध्याय 19

अभियोजन शुरू करना: शिकायत/ आरोप पत्र दायर करना

शिकायत तथ्यों का एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कि अपराध को सिद्ध करने के लिए उस मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसे उसकी सुनवाई करने/संज्ञान लेने का अधिकार प्राप्त होता है। अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन और मुकदमे की कार्रवाई, पुलिस की रिपोर्ट अथवा विशेष (अथवा नमोद्दिष्ट) एनडीपीएस न्यायालय (सत्र न्यायालय) में शिकायत दर्ज करने के साथ ही शुरू हो जाती है जो कि पुलिस रिपोर्ट अथवा शिकायत मिलने पर अपराध की सुनवाई करता है।

समय सीमा: डी.एल.ई.ओ. को यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि धारा 19, 24, 27क के अंतर्गत हुए अपराधों अथवा वाणिज्यिक मात्रा वाले मामलों के अपराधों को 180 दिनों (न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई अवधि) के भीतर और अन्य मामलों में 60 दिनों के भीतर यदि शिकायत/आरोपपत्र जारी नहीं किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप विलंब से शिकायत दर्ज होगी और इसमें अभियुक्त व्यक्ति को जमानत प्राप्त करने का अधिकार स्वत: ही मिल जाएगा।

शिकायत: शिकायत में अपराध किए जाने, अपराध में लिप्त व्यक्तियों, उनकी संबंधित भूमिकाओं और किस हद तक वे अपराध में लिप्त हैं, प्रत्येक के खिलाफ एकत्र किए गए साक्ष्य आदि के तथ्य और कानूनी आधार दोनों ही शामिल होने चाहिए।

इसकी गवाहों की सूची सावधानी पूर्वक बनाई जानी चाहिए और यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी मुख्य गवाह छूट नहीं जाए। साथ ही इसमें सभी विश्वसनीय दस्तावेज, अभिलेख, लेखा बहियों, अभियोजन के समर्थन में साक्ष्य सामग्री के रूप में प्रदर्शित/प्रस्तुत की जाने वाली सभी वस्तुओं और चीजों की सूची भी शामिल होनी चाहिए।

डी.एल.ई.ओ. को जांच रिपोर्ट पर विश्वास करना चाहिए, मुख्य साक्ष्यों के साथ तथ्यों को चिह्नित करना चाहिए या उनकी सूची बनानी चाहिए तथा साथ ही विशेष अपराध (अपराधों) से संबद्ध सिद्ध करने वाले अन्य साक्ष्यों के लिए हवाले भी देने चाहिए तथा शिकायत का प्रारूप विधिक अधिकारी/विभागीय परामर्शदाता/सरकारी अभियोजक से परामर्श करके तैयार करना चाहिए।

शिकायत–कर्ताः शिकायत–कर्ता जब्त करने वाले अथवा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के अलावा कोई अन्य अधिकारी भी हो सकता है। सामान्य तौर पर शिकायत–कर्ता ऐसा अधिकारी होना चाहिए जिसने मामले की जांच की है और जो मामले के शुरू होने से लेकर उसके अंतिम चरण तक की क्रमवार घटित घटनाओं और मामले की प्रगति के बारे में पूर्णतया परिचित हो।

अध्याय 20
केस–फाइल का रखरखाव

पूरे मामले का लिखित रिकार्ड रखना जांच के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए:

फाइल का रख–रखाव: डी.एल.ई.ओ. को तीन प्रकार की फाइलों का रख–रखाव करना चाहिए जो कि सूचना को एकत्र करने की कार्रवाई के चरणों पर निर्भर करता है। सूचना महत्वपूर्ण हो सकती है लेकिन यह इतनी कच्ची और अस्पष्ट हो सकती है कि इसको विशेष रूप से स्पष्ट रूप से जानने में बहुत अधिक समय लग सकता है और इसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ सकते हैं। डी.एल.ई.ओ. को अपने संदर्भ के लिए "एनजीओ (कार्यालय में नहीं भेजने हेतु)" नामक की एक ऐसी फाइल बनानी होगी जिसमें उसके द्वारा सूचना एकत्र करने के लिए किए गए प्रयासों, एकत्र सूचना और रिकार्ड और सुरागों की आसूचना को तब तक रखा जाएगा जब तक कि वह लक्षित निवारक प्रचालन के लिए कार्रवाई करने योग्य पर्याप्त सूचना एकत्र नहीं कर लेता।

दूसरे प्रकार की फाइल पूर्णतया आसूचना फाइल होगी जिसमें प्राप्त हुई सूचना से संबंधित सरकारी रिकार्ड रखा जाएगा परन्तु साथ ही लक्षित ड्रग्स के संदिग्ध अवैध व्यापारियों पर वास्तविक रूप से और इलेक्ट्रोनिक माध्यम की निगरानी रखी जाएगी। चूंकि इसमें कानूनी कार्रवाई करनी अपेक्षित होगी, इसलिए दूसरे प्रकार की फाइल रोजमर्रा के आधार पर एकत्र की गई सूचना से तैयार की जाएगी जिसमें समनुरूप और सत्यापन

इनपुट, क्षेत्र से एकत्रित किए गए श्रव्य–दृश्य साक्ष्य आदि शामिल होंगे।

तीसरे प्रकार की फाइल मुख्य फाइल होती है जो कि सामान्यतया अपराध का पता लगने और एनडीं, पीएस या सीएस या आईएपी जब्त करने जाने तथा किए गए अपराध के अन्य प्रमाण प्राप्त होने पर खोली जाती है। इस फाइल की संख्या वही होगी जो अपराध रजिस्टर में ऐसे मामले में की जाने वाली प्रविष्टि की क्रम संख्या है।

प्रचालनों के दौरान एकत्र किए गए मूल दस्तावेजों को एक पृथक फाइल में और उसे डी.एल.ई.ओ. की हिफाजत में सुरक्षित रखना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि मुख्य फाइल को डी.एल. ई.ओ. के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ अन्य अधिकारियों, विधिक अधिकारियों, विभागीय परामर्शदाता/ सरकारी अभियोजक आदि को नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी होती और इन परिस्थितियों में मुख्य फाइल के गुम हो जाने, क्षति हो जाने, गलत जगह रखे जाने की अत्यधिक संभावना रहती है और इसलिए मूल दस्तावेजों को सुरक्षित और पृथक रूप से रख कर मुख्य फाइल के गुम हो जाने, गलत रखे जाने आदि की स्थिति में उपलब्ध मूल दस्तावेजों के आधार पर जांच के लिए नई फाइल तैयार की जा सकती है।

फाइल पर टिप्पण: फाइल में रखे जाने वाले प्रत्येक दस्तावेज पर संख्या अंकित की जानी चाहिए और नोट शीट पर अन्योन्य संदर्भ भी दिए जाएं। इसका दोहरा लाभ होता है, एक तो यह कि मुद्दे का संक्षिप्त विवरण अथवा दस्तावेज में निहित साक्ष्य सदैव बना रहता है और दूसरा कि उनकी सूचक संख्या और उनकी मौजूदगी का प्रतीक चिह्न भी अंकित रहता है। डी.एल.ई.

ओ. और वरिष्ठ अधिकारी मुद्दों का सरसरी नजर से अनुशीलन कर सकते हैं और विभिन्न अधिकारियों द्वारा विभिन्न चरणों में नोट शीट पर की गई प्रविष्टियों के माध्यम से मामले की वर्तमान स्थिति से अवगत हो सकते हैं और विभिन्न मुद्दों का आसानी से जायजा ले सकते हैं।

केस तैयार करना: डी.एल.ई.ओ. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दस्तावेज काल क्रमानुसार लगे हुए हैं और जांच करने से संबंधित संपर्क–सूत्र धीरे–धीरे लेकिन निश्चित रूप से साथ–साथ तैयार हो रहे हैं क्योंकि जैसे–जैसे प्रत्येक बयान अथवा अन्य रिकार्ड या गतिविधियों का विश्लेषण किया जाता है, वह जांच पूरी होने तक मामले पर अगले चरणों पर आगे कार्रवाई करने का आधार बनता जाता है और डी.एल.ई.ओ. न्यायालय में शिकायत दर्ज करने/पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाता है।

डी.एल.ई.ओ. को सरकारी कार्यालय अथवा किसी गैर–सरकारी व्यक्ति से संबद्ध दस्तावेज प्राप्त करके अथवा व्यक्ति की जांच करके और उसका बयान दर्ज करके, पूरी जांच करने के बाद मामले की प्रासंगिकता, उपयोगिता और आगे प्रकट होने वाले तथ्यों का आकलन करना चाहिए। उसके बाद उसे नोटशीट वाले हिस्से में टिप्पणी देते हुए मामले का संक्षिप्त विवरण वरिष्ठ अधिकारी के अवलोकन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए जिससे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह साक्ष्य का आकलन करेगा और डी.एल.ई.ओ. को आगे कार्रवाई करने के बारे में अपने सुझाव और अनुदेश देगा। डी.एल.ई.ओ. को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फाइल नियमित रूप से और समय–समय पर, कम से कम पंद्रह दिन में एक बार वरिष्ठ अधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की

जाती है ताकि जांच के पूरा होने तक उसकी सुचारू प्रगति होती रहे और गति बनी रहे।

समय–अवधि का निर्धारणः जांच कार्य यथानिर्धारित 60 अथवा 180 दिन की अवधि के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। यदि डी.एल.ई.ओ. जांच पूरी करने में असमर्थ रहता है तो उसे फाइल पर उसके आधार और वस्तु स्थिति का उल्लेख करना चाहिए जैसे कि बड़ी संख्या में व्यक्तियों से पूछताछ की जानी है, कुछ मुख्य व्यक्ति फरार हैं, जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जांचें, बेनामी आईएपी आदि। वरिष्ठ अधिकारी के अनुमोदन के बाद, वह पुलिस अभियोजक/विभागीय परामर्शदाता के माध्यम से शिकायत/आरोप पत्र दर्ज करने की समय अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकता है।

जांच रिपोर्टः जांच पूरी होने पर, डी.एल.ई.ओ. को एक विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें अपराधों की सूची, मुख्य अभियुक्त और उनके सहयोगी, उनकी भागीदारी बताते हुए स्रोत, गंतव्य स्थान, लेन–देन की धन–राशि और ऐसी नकद धन राशि की व्यवस्था, विगत अपराध, ऐसे अपराधों से उपार्जित संपत्तियां और अपराधों में प्रयुक्त संपत्तियां तथा प्रत्येक अपराध को सिद्ध करने के लिए एकत्रित किए गए साक्ष्य की प्रकृति का भी उल्लेख किया जाए। पुलिस अभियोजक/विभागीय परामर्शदाता के परामर्श से बनाई गई ऐसी जांच रिपोर्ट शिकायत तैयार करने का आधार बनेगी।

न्यायालय की फाइल (कोर्ट फाइल)ः शिकायत दर्ज किए जाने के बाद, विश्वसनीय दस्तावेजों और दायर शिकायत को एक बुकलेट के रूप में न्यायालय के लिए अलग से एक फाइल बनाई जाए। सभी आवेदन पत्र, जमानत के आवेदन पत्र

तथा न्यायालय द्वारा जारी किए गए सभी अन्य कानूनी प्रक्रियाओं संबंधी कागजात वास्तविक निर्धारित समय के आधार पर निपटाए जाने चाहिए और डी.एल.ई.ओ. को प्रत्येक दिन न्यायालय द्वारा की गई सुनवाई की कार्रवाई को ध्यानपूर्वक नोट करना चाहिए। इससे न केवल मुकदमे की प्रगति को मानीटर करने में सहायता मिलेगी बल्कि सरकारी अभियोजकों के बिलों और भुगतान का प्रबंध करने में भी सहायता मिलेगी।

वित्तीय जांच के मामले: डी.एल.ई.ओ. को वित्तीय जांच (एफआई) का रिकार्ड एक पृथक खंड फाइल में रखना चाहिए क्योंकि ऐसा मामला सक्षम प्राधिकारी और धन शोधन रोधी प्राधिकारी को भेजा जाता है। डी.एल.ई.ओ. को ऐसे प्राधिकारियों को भेजी जाने वाली सभी रिपोर्टें और पत्राचार का रख–रखाव ध्यान पूर्वक करना चाहिए और इन्हें नियमित अंतराल में वरिष्ठ अधिकारियों के अवलोकन और अनुदेश जारी करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।

अध्याय 21
मुकदमा और जमानत प्रबंधन

डी.एल.ई.ओ. को यह नोट करना चाहिए कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के अनुसार किया गया किसी भी प्रकार का अपराध इस अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है। उसे यह समझना चाहिए कि इस अधिनियम की धारा 19, 24, 27क के अंतर्गत किए गए अपराधों अथवा वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित किए गए अपराधों के लिए 180 दिनों के भीतर (अथवा न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर) और अन्य मामलों में 60 दिनों के भीतर शिकायत/आरोप पत्र दायर नहीं किए जाने से अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत प्राप्त करने का स्वतः अधिकार प्राप्त हो जाएगा।

जमानतः अधिकारी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1) (ख) को ध्यान में रखना चाहिए जिसमें यह निर्धारित है कि ऐसे किसी भी अभियुक्ती व्यगक्ति को जिसने इसकी धारा 19, 24 अथवा 27क के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है और साथ ही वाणिज्यिक मात्रा संबंधित अपराध किया है उसे तब तक जमानत पर या निजी मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि सरकारी अभियोजक को जमानत के आवेदन पत्र के विरोध में सुनवाई किए जाने का मौका न दिया जाए और न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि ऐसा विश्वास किए जाने के समुचित आधार मौजूद हैं कि वह ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के समय वह ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा ।

मुकदमा: प्रतिपक्ष द्वारा जिरह करने का उद्देश्य अभियोजन के गवाहों और अभिलेखों/रिकार्डों के वृत्तान्त में व्याप्त असंगतियों और कमियों को उजागर करना होता है ताकि ऐसे तथ्य सिद्ध नहीं हो सकें और उक्त असंगतियों के कारण संदेह का लाभ अभियुक्त को मिल जाए। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि न्यायालय में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी रिकार्डों पर अडिग रहा जाए और केवल उन्हीं तथ्यों के संबंध में बयान/अभिसाक्ष्य दिए जाएं जिनके बारे में अधिकारी संबद्ध अथवा उत्तरदायी है।

यह याद रखें कि केवल पंचनामे पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी ही पंचनामे में उल्लिखित सभी तथ्यों की संपुष्टि कर सकता है। वस्तुओं के वजन तौलने के समय उपस्थित ऐसे सहायक अधिकारी को, जो कि परिसर के किसी खास हिस्से से ऐसे सामान को जब्त करने और उसकी बरामदगी के समय मौजूद नहीं था उसे सामान की बरामदी के बारे में बयान नहीं देने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उस अधिकारी द्वारा दिए गए बयान में पारस्परिक पर्याप्त अंतर हो सकता है जो कि ऐसे सामान को बरामद किए जाने के समय वास्तव में वहां उपस्थित था। इसलिए उसका ऐसा कहना ही उचित होगा कि वह सामान की बरामदगी के समय मौके पर मौजूद नहीं था और इसलिए संबंधित तथ्य के बारे में बयान नहीं दे सकता है।

तलाशी के गवाहों को सामानों की बरामदी और जब्ती के बारे में सबसे पहले बयान देने चाहिए। सामान जब्त करने वाले अधिकारी को अंत में बयान देना चाहिए क्योंकि इससे जांच के दौरान छूट गई महत्वपूर्ण स्थितियों को स्पष्ट करने अथवा पाई गई किसी कमी को दूर करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जब किसी के बारे में निश्चित नहीं हो तो अधिकारियों को न्यायालय से रिकार्ड के दस्तावेज को संदर्भित किए जाने की अनुमति प्राप्त

करनी चाहिए और उसके बाद तथ्यों के आधार पर तथा जिस तरीके से तथ्य दर्ज किए गए हैं, उनके आधार पर ही सही से प्रश्न का ठीक उत्तर दिया जा सकता है।

अनेक न्यायालय और बचाव पक्ष के वकील भी प्रक्रिया विधि, प्रचालन–पूर्व प्रलेखन और संचालन रिकार्ड, पुलिस रिपोर्ट या कोर्ट में आरोप पत्र दायर करने के लिए पुलिस कर्मचारियों हेतु विनिर्दिष्ट केस रिकॉर्ड को गलत तरीके से या भ्रमित रीति से प्रस्तुत करते हैं। उनका ऐसा करना गैर पुलिस अधिकारियों के लिए भी सही साबित हो जाता है जो जांच पड़ताल करने के बाद शिकायत दायर करते हैं। पुलिस के अलावा मामले से संबंधित जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा की गई समस्त सामग्री संबंधी कार्रवाइयों का सही और ठीक रिकार्ड रखे जाने की कानूनी आवश्यकता है, परंतु पुलिस अधिकारियों के लिए निर्धारित रिकार्ड का रख–रखाव करने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है ।

अधिकारी को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 35, 53 क, 54 और 66 के अंतर्गत अभियोजन के पक्ष में अवधारणाओं का पूर्णतया उपयोग करना चाहिए और साथ ही मामले में बहस होने के समय विभागीय परामर्शदाता को इन धाराओं में किए गए प्रावधानों को लागू किए जाने का समर्थन करना चाहिए। डी.एल.ई.ओ. को विभागीय वकील के परामर्श से, समय पर गवाहों को पेश करके, सुनवाई किए जाने की इकठ्ठी तारीखों का फायदा उठा कर तथा स्थगन आदि से बचकर, मुकदमे की तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्याय 22
अधिहरण (कन्फिस्केटेड) किए गए सामान का निपटान

डी.एल.ई.ओ. को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52–क के अंतर्गत मुकदमे से पहले सामान का निपटान करने के उपलब्ध प्रावधानों के विषय में जानकारी होती है। तथापि, जब्ती और गिरफ्तारी के बाद शुरू की जाने वाली सामान्य प्रक्रिया अभियोजन शुरू करना और जब्त वस्तुओं और अपराधियों को न्यायालय के समक्ष न्यायिक जांच के लिए पेश करना शामिल है। न्यायालय व्यापक और कभी–कभी लंबे मुकदमे द्वारा अपराध और दंड पर निर्णय लेता है। मुकदमे के बाद, न्यायालय दो मुद्दों पर निर्णय लेता है कि क्या अभियुक्त व्यक्ति दोषी है और क्या, उस सामान को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 60 या 61 या 62 के अंतर्गत जब्त किया जा सकता है।

क्या न्यायालय दोष सिद्ध होने अथवा विमुक्ति का आदेश पारित करे या नहीं, न्यायालय यह सामान के अधिग्रहण के बारे में निर्णय ले सकता है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत जब्त करने का आदेश पारित कर सकता है।

अदावाकृत सामानः डी.एल.ई.ओ. कभी–कभी दावा नहीं किए जाने वाले मामले में कार्रवाई कर सकता है जिसमें एनडी, पीएस अथवा सीएस को जब्त। किया गया है, लेकिन स्थल पर अथवा जांच के बाद उनका कोई भी दावेदार नहीं पाया गया है। ऐसे मामलों में, डी.एल.ई.ओ. सामान को जब्त करने के एक महीने के बाद न्यायालय को ऐसे मामलें के ब्यौरे प्रस्तुत करते हुए यह आवेदन कर सकता है कि अभियुक्त का पता लगाने के अथक

प्रयास किए गए हैं और तथ्य यह है कि ऐसे व्यक्तियों को ज्ञात नहीं किया जा सका है अथवा उनका पता नहीं लगाया जा सका है और वह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत ऐसे सामान का अधिहरण करने के बारे में अनुरोध कर सकता है।

नश्वर सामान: यदि डी.एल.ई.ओ., एनडी, पीएस अथवा सीएस या अफीम, पोप्पी अथवा केन्नेबिस पादप जैसे स्वापक पादपों को छोड़कर अन्य ऐसे किसी भी नश्वर और संवेदनशील सामान का अधिहरण करता है जो कि तेजी से और प्राकृतिक रूप से नष्ट प्राय: होने वाला है, तो वह न्यायालय को ऐसे सामान की शीघ्र कुर्की करने अथवा बिक्री से उसका निपटान करने का अनुरोध कर सकता है और न्यायालय इस प्रकार का आदेश पारित कर देगा। यदि बाद में किसी समय, न्यायालय को जब्त किए सामान का अधिहरण करना पड़ता है तो मूल सामान के बदले में उसकी बिकी से प्राप्त राशि को अधिहरण किया जाएगा तथा यदि सामान हानिकारक नहीं है और उसे मालिक को लौटाना है तो इस स्थिति में उसे सामान की बजाय उस सामान की बिक्री से प्राप्त हुई धनराशि दी जाएगी जैसा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 63(2) के दूसरे परन्तु 2 में बताया गया है।

न्यायालय द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 63(2) के अंतर्गत एनडी, पीएस अथवा सीएस को अधिहरण करने और उसका निपटान करने का आदेश पारित किए जाने के बाद, डी.एल.ई.ओ. ऐसे सामान के विस्तृत ब्यौरे ड्रग निपटान समिति को उपलब्ध कराएगा और उनका निपटान करने की कार्रवाई शुरू करेगा।

इस संबंध में डी.एल.ई.ओ. द्वारा बाद में की जाने वाली की परवर्ती कार्रवाईयां जांच पूर्व निपटान के मामले में बताई रीति तथा अध्याय 18: जांच पूर्व निपटान में वर्णित रीति से की जाएगी। ये अधिहरित स्टाक के निपटान पर भी लागू होगी।

अध्याय 23

नियंत्रित पदार्थ और नियमन

एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत डी.एल.ई.ओ. के नियमन क्रियाकलापों में स्वापक ड्रग्स (एनडी) और मन:प्रभावी पदार्थों (सीएस) के अतिरिक्त नियंत्रित पदार्थ भी शामिल हैं। अधिनियम की धारा 2(7घ) के अंतर्गत नियंत्रित पदार्थ को ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका संभावित प्रयोग स्वापक ड्रग्स (एनडी) और मन:प्रभावी पदार्थों (सीएस) के उत्पादन या विनिर्माण में किया जा सकता है अथवा जिन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार सरकारी राजपत्र की अधिसूचना में नियंत्रित पदार्थ के रूप में घोषित किया गया है।

विनियमित करने की शक्ति: अधिनियम की धारा 9–क केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदत्त करता है कि वह किसी भी नियंत्रित पदार्थ के उत्पादन, विनिर्माण, अधिग्रहण, परिवहन, विक्रय, क्रय, उपभोग, भंडारण, आपूर्ति और वितरण आदि करने को निषिद्ध या विनियमित करने का आदेश दे सकती है।

केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 26.03.2013 की अधिसूचना संख्याा एस.ओ. 834 (ई) द्वारा केंद्र सरकार ने पहले घोषित किए गए पांच पदार्थों नामत: एसेटिक एनहाइड्राइड, एंथ्रानिलिक एसिड, एन–एसेटिलेन्थ्रानिलिक एसिड, एफेड्राईन और स्यूडोएफेड्राईन के अतिरिक्त 14 और पदार्थों को नियंत्रित पदार्थों के रूप में घोषित किया है । केन्द्रीय सरकार ने इन पदार्थों से संबंधित क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के संबंध में, एनडीपीएस अधिनियम (आरसीएस) आदेश 1993 को निरस्त करते हुए दिनांक 26.03.2013 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 191 (ई)

की अनुसूची द्वारा {एनडीपीएस (आरसीएस)} स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) के रूप में ज्ञात एक नया सांविधिक फ्रेमवर्क/ढांचा भी निर्मित किया है।

अनुसूचियां: एनडीपीएस अधिनियम (आरसीएस) आदेश 2013 में निर्धारित अनुसार नियंत्रण योजना के अंतर्गत, नियंत्रित पदार्थों को तीन श्रेणियों नामतः अनुसूची "क", "ख", और "ग" में वर्गीकृत किया है। इन पदार्थों की सूची अनुबंध में दी गई है। अनुसूची "क" में ऐसे नियंत्रित पदार्थ शामिल हैं जिनका विनिर्माण, वितरण, विक्रय, क्रय, अधिग्रहण, भंडारण और उपभोग करना इस आदेश में विनिश्चित अनुसार नियंत्रित है। अनुसूची "ख" में ऐसे नियंत्रित पदार्थ शामिल हैं जिनका भारत से करने पर नियंत्रण हैं और अनुसूची "ग" में ऐसे नियंत्रित पदार्थ शामिल हैं जिनका भारत में आयात करना इस आदेश में विनिश्चित अनुसार नियंत्रित किया गया है।

पंजीकरण: अनुसूची "क" में शामिल पदार्थों पर नियंत्रण की मुख्य विशेषताएं हैं कि इनका विनिर्माण, व्याापार और वाणिज्य, अधिग्रहण और उपभोग/खपत करने जैसे क्रियाकलापों के लिए इस आदेश के लागू होने के 180 दिनों के भीतर इनका पंजीकरण कराना आवश्यक है। विधिक व्यक्ति सहित किसी भी व्यनक्ति को, अपने इलाके के क्षेत्रीय निदेशक, स्वानपक नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय में फार्म–"ख" में, नियंत्रित पदार्थों से संबंधित कार्य कलाप करने और इसके परिसरों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है और संबंधित क्षेत्रीय निदेशक द्वारा जारी की गई एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी अपेक्षित है।

विवरणियां: उक्त 2013 आदेश के प्रावधानों के तहत, रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति को फार्म–"ग" या "घ" में दैनिक

खातों का रखरखाव करना होगा, फार्म–"ड" या "च" में त्रैमासिक विवरणी संबधित तिमाही के समाप्त होने के बाद के महीने के अंतिम दिन तक संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी को प्रस्तुत कर देनी चाहिए, इन रिकार्डों को न्यूनतम दो वर्ष तक सुरक्षित रखना चाहिए तथा किसी भी नियंत्रित पदार्थ के गुम हो जाने की सूचना तत्काल संबंधित आंचलिक निदेशक, एनसीबी को देनी चाहिए।

परिवहन: इन पदार्थों को अवैध प्रयोजनार्थ अंतरित किए जाने के लिए परिवहन एक बहुत बड़ी समस्या है। अनुसूची "क" में शामिल किए गए नियंत्रित पदार्थों के परिवहन के लिए नियंत्रक उपायों में शामिल हैं: प्रेषित माल की ढुलाई के समय फार्म–"छ" में प्रेषण नोट (घरेलू सामान के मामले में) अथवा प्रविष्टि बिल (बिल आफ एन्ट्री) को अनिवार्य रूप से साथ में प्रस्तुत करना और मोटरीकृत कन्टेनरों आदि से प्रेषित माल में ऐसी अक्षत मुहर का प्रयोग करना जिसमें सभी विवरण स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकें। अनुसूची "क" में शामिल किए गए नियंत्रित पदार्थों की बिक्री केवल पंजीकरण धारक को ही की जाएगी। यदि प्रेषित माल का गंतव्य स्थल किसी दूसरे क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो प्रेषक आंचलिक निदेशक, एनसीबी को फार्म–"छ" में त्रैमासिक रिपोर्ट भेजेगा।

नष्ट करना: अनुसूची "क" में शामिल पदार्थ को नष्ट करने के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को फॉर्म 1 में एक आवेदन करना होगा। क्षेत्रीय निदेशक आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर इस प्रयोजनार्थ एक समिति गठित करेगा जिसमें एनसीबी का एक राजपत्रित अधिकारी, संबंधित क्षेत्र का केन्द्रीय सीमा–शुल्क का अधीक्षक और आवेदक का प्राधिकृत प्रतिनिधि शामिल होगा। यह समिति अपने गठन की तारीख से 30 दिनों के भीतर पदार्थ के नष्ट किए जाने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगी।

आयात और निर्यात नियंत्रणः अनुसूची "ख" में वर्णित नियंत्रित पदार्थ का निर्यात और अनुसूची "ग" में शामिल नियंत्रित पदार्थ का आयात करने के लिए भारत के स्वापक आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अपेक्षित होगा। ऐसा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) केवल एक प्रेषण के लिए ही मान्य् होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए आवेदक को स्वापक आयुक्त को फार्म J (निर्यात के लिए) और फार्म k (आयात के लिए) में आवेदन करना होगा। आयात/निर्यात के प्रेषणों पर लेबल लगाए जाएंगे जिन पर मुख्यतया नियंत्रित पदार्थों के नाम, उनकी मात्रा और निर्यातक और आयातक का नाम और प्रेषिती का नाम और पता लिखा जाएगा। आयात या निर्यात, के सात दिनों के भीतर यथास्थिति आयात और निर्यात से संबंधित दस्तावेजों को स्वापक नियंत्रक को प्रस्तुत कर दिया जाए। आयातक/निर्यातक को ऐसे दस्तावेजों को अपने पास पांच वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा।

अपराध और दण्डः एनपीडीएस अधिनियम की धारा 25–क में, ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के अपराध के लिए कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसे 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही एक लाख रूपए तक का दंड दिए जाने का प्रावधान है।

यदि किसी आवेदक अथवा उसके द्वारा उसके नियोजन में नियुक्त किसी व्यक्ति अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा नहीं रखा है अथवा अधिनियम के अनुसार किसी विवरणी को प्रस्तुत नहीं किया है अथवा लेखा को इस तरह से रखा है या विवरणी को इस तरह से प्रस्तुत किया है जो कि वह जानता है कि झूठा है या उसे विश्वास करने का कारण है कि यह गलत

है अथवा ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार की किसी शर्त को, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई शास्ति विहित नहीं की गई है, भंग करके, जानबूझकर और जानते हुए कोई कार्य करेगा तो डीएलओ अधिनियम की धारा 26 के तहत कार्रवाई कर सकता है। अधिनियम की धारा 26 के अतर्गत किए गए अपराध दंडनीय हैं जिसमें कारावास की सजा हो सकती है जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या दंड दिया जा सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।

डी.एल.ई.ओ. को मौजूदा ड्रग के अवैध व्यापार की प्रवृत्तियों पर और एनडी और पीएस का अवैध निर्माण करने के लिए सीएस सहित अन्यथा वैध रसायनों के विचलन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। एम्फेटामिन किस्म के उद्दीपकों (एटीएस) का दुरूपयोग बढ़ रहा है और साथ ही एफेड्राईन और सिओडोएफेड्राईन साल्ट्स (लवण) का सहवर्ती विचलन तथा वैध स्रोतों से एम्फेटामिन या मेथेम्फेटामिन और अन्ये एटीएस को अवैध विनिर्माण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है।

अध्याय 24

सूचना देने वाले व्यक्तियों (इन्फॉर्मर) और अधिकारियों के लिए पुरस्कार

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के संचालन का कार्य राजस्व् विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू), वित्त मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ फाइनान्स), भारत सरकार के अधीन आता है । विभाग की पुरस्कार नीति में एनडीपीएस अधिनियम, 1985, सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम शामिल हैं। वर्तमान पुरस्कार नीति वर्ष 1985 से लागू है जिसमें समय–समय पर संशोधन किया जाता रहा है। इस नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों और सूचना प्रदान करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देने का प्रावधान है।

मानदंडः पुरस्कार का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है। पुरस्कार स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी पुरस्कार प्रदान करते समय, सूचना की विशिष्टता और परिशुद्धता, उठाए गए खतरे और झेली गई तकलीफों तथा सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई सहायता की मात्रा, सहयोगियों, परिसंपत्तियों के बारे में उपलब्ध सुराग, सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिए गए खतरों, सूचना प्राप्त करने तथा जांच में हुई कठिनाईयों, विशेष प्रयास करने, अभियान चलाने तथा अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित प्रवीणता आदि को ध्यान में रखता है।

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत जब्त नशीले पदार्थों के संदर्भ में पुरस्कारों की दरः–

क्र.सं.	पदार्थ	अधिकतम पुरस्कार की प्रस्तावित दर (रू0 प्रति कि.ग्रा.)	निर्धारित शुद्धता
1.	अफीम	6000/– (वर्तमान अवैध मूल्य का 20%)	मानक अफीम
2.	अफीम का सत्व और उसके लवण	20,000/– (वर्तमान अवैध मूल्य का 20%)	90% या अधिक निर्जल सत्व
3.	हेरोइन और उसके लवण	1,20,000/– (वर्तमान अवैध मूल्य का 20%)	डायएसिटिल मौरफीन का 90% या अधिक
4.	कोकेन और उसके लवण	2,40,000/– (वर्तमान अवैध मूल्य का 20%)	निर्जल कोकेन का 90% या अधिक
5.	हशीश	20,000/– (वर्तमान अवैध मूल्य का 20%)	4% या अधिक टी एच सी अंश के साथ
6.	हशीश तेल	10,000/– (वर्तमान अवैध मूल्य का 20%)	20% या अधिक टीएचसी अंश के साथ
7.	गांजा	6.00/– (वर्तमान अवैध मूल्य का 20%)	जिसे वाणिज्यिक रूप से गांजा के रूप में स्वीकारा गया हो
8.	मैंड्रेक्सः टेबलेट	2,000/– (वर्तमान अवैध मूल्य का 20%)	मेथाक्वालोन की उपस्थिति
9.	एम्फीटामिन, इसके लवण और इससे तैयार पदार्थ	20,000 (वर्तमान अवैध मूल्य का 10%)	100% शुद्ध एटीएस जिसमें शुद्धता निर्धारित स्तर से कम होने पर समान अनुपात में पुरस्कार राशि कम हो जाएगी

10.	मेथाम्फीटामिन, इसके लवण और इससे तैयार पदार्थ	20,000/– (वर्तमान अवैध मूल्य का 10%)	100% शुद्ध एटीएस जिसमें शुद्धता निर्धारित स्तर से कम होने पर समान अनुपात में पुरस्कार राशि कम हो जाएगी
11.	एक्सटैसी या 3, 4–मेथीलीन डायऑक्सी मेथाम्फीटामिन (एम डी एम ए)	15,000/1,000 टैबलेट (वर्तमान अवैध मूल्य का 10%)	एमडीएमए की उपस्थिति

नोटः शुद्धता उक्त के अनुसार न होने पर पुरस्कारों को समान अनुपात में घटाया जाएगा।

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत जब्त नशीले पदार्थों के संदर्भ में पुरस्कारों की दरः–

क्रम सं.	पदार्थ (नियंत्रित/ मनः प्रभावी पदार्थ/ सिंथेटिक ड्रग)	अधिकतम पुरस्कार की राशि	निर्धारित शुद्धता
1	इफेड्रीन, उसके लवण और तत्संबंधी पदार्थ	280 रू. प्रति किलो	100 प्रतिशत
2	स्यूडो इफेड्राइन, इसके लवण और इससे तैयार पदार्थ	480 रू. प्रति किलो	100 प्रतिशत
3	एसिटिक एनहाइड्राइड	10 रू. प्रति लीटर	100 प्रतिशत
4	केटामाइन, उसके लवण और इससे तैयार पदार्थ	700 रू. प्रति किलो	100 प्रतिशत

5	एंथ्रानिलिक एसिड	45 रू. प्रति किलो	100 प्रतिशत
6	एन–एसिटिल एंथ्रानिलिक एसिड	80 रू. प्रति किलो	100 प्रतिशत
7	डायाजेपाम और इससे तैयार पदार्थ	0.53 रू. प्रति 5 एम.जीं. टेबलेट	100 प्रतिशत
8	अल्प्राजोलम और उसके पदार्थ	5 एम.जीं. का एक टेबलेट 0.20 रू.	100 प्रतिशत
9	लोरीजेपाम और इससे तैयार पदार्थ	0.296 रू. प्रति 5 एम.जीं. टेबलेट	100 प्रतिशत
10	अल्प्रैक्स और इससे तैयार पदार्थ	0.52 रू. प्रति 5 एम.जीं. टेबलेट	100 प्रतिशत
11	ब्यूप्रीनॉरफीन टीडिजेसिक और इससे तैयार पदार्थ	25000 रू. प्रति किलो	100 प्रतिशत
12	डैक्सटोप्रोपॉक्सीफीन, उसके लवण और इससे तैयार पदार्थ	2880 रू. प्रति किलो	100 प्रतिशत
13	फोर्टविन और इससे तैयार पदार्थ	1044 रू. प्रति 30 एम.जीं. वायल	100 प्रतिशत

नोटः उक्त के अनुसार निर्धारित शुद्धता से कम होने पर उसी अनुपात में पुरस्कार कम हो जाएगा।

स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारीः विभाग के अध्यक्ष एक मामले में सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति (इन्फॉर्मर) को रू.10 लाख तक और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को रू.15,000 के पुरस्कार स्वीकृत कर सकते हैं। इस धनराशि की सीमा से अधिक के पुरस्कारों का निर्णय पुरस्कार समिति (रिवार्ड कमेटी) द्वारा लिया जाता है।

एनडीपीएस के मामलों में न्यायालय में शिकायत दायर

किए जाने के तुरंत बाद सूचना प्रदान करने वाले व्यक्तियों और अधिकारियों को ऐसे पुरस्कार एक बारगी उपाय के रूप में अदा किए जा सकते हैं। अधिकारियों को पुरस्कार के विचारार्थ पात्र बनने के लिए वित्तीय जांच पूरी कर लेनी चाहिए।

अधिकतम सीमाः सामान्यतया, एक मामले में एक अधिकारी को दो लाख रूपए का पुरस्कार ही स्वीकृत किया जाता है। तथापि, विशिष्ट प्रकृति के मामलों में सीबीईसी द्वारा पुरस्कार समिति की सिफारिश पर इससे अधिक राशि का पुरस्कार स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकता है। संपूर्ण कार्यकाल में एक अधिकारी को अधिकतम 20 लाख रू. तक का पुरस्कार स्वीकृत किया जा सकता है।

अवैध कृषिः अवैध स्वापक पादपों का पता लगाने और उन्मूलन किए जाने के मामले में स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी, पुरस्कार के नियमों के अंतर्गत पुरस्कार की राशि का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ ऐसी संभावित उपज की मात्रा पर विचार करेगा जिसे यदि नष्ट नहीं कर दिया जाता तो जो उग कर सामने आती (संदर्भ के लिए वित्त मंत्रालय/राजस्व विभाग की फाइल संख्या आर 13011/5/88/. प्रशासन–5 दिनांक 27.04.1989 का अवलोकन करें)।

प्रयोगशालाओं और व्यवसाय संघों का भंडा फोड़नाः ड्रग्स का व्यापार करने वाले संघों को निष्क्रिय करने और उनका पता चलाने और चोरी छिपे कार्य करने वाली प्रयोगशालाओं के भंडा फोड़ने वाले मामलों को एक तदर्थ पुरस्कार समिति का गठन करने के लिए सीबीईसी को भेजा जाता है जो कि मामले के गुणावगुणों के आधार पर पुरस्कार की राशि का निर्धारण करेगी (संदर्भ के लिए दिनांक 17.05.1989 का वित्त मन्त्रालय/राजस्व विभाग की फाइल संख्या आर 13011/5/88/. प्रशासन–5 का अवलोकन करें)।

अध्याय 25

कार्य, आचार–शास्त्र और विधि

जैसा कि पिछले अध्यायों में उल्लेख किया गया है, डी.एल.ई.ओ. को एनपीडीएस अधिनियम के अंतर्गत कतिपय शक्तियां प्राप्त हैं। तथापि, ऐसी शक्तियों को विधि के नियमों का अनुपालन करने के लिए न्यायनयसंगत तरीके से प्रयुक्त करना चाहिए। आचार–शास्त्र और सत्य–निष्ठा न केवल नैतिक अपेक्षा है बल्कि यह एक कानूनी आवश्यकता भी है।

विधिक प्रावधान: हमेशा यह ध्यान में रखें कि एनपीडीएस अधिनियम की धारा 32ख के अंतर्गत यदि अपराधी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी है तो उसे अधिक दंड दिया जा सकता है। एनपीडीएस अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत डी.एल.ई.ओ. द्वारा जबरदस्ती प्रवेश करने, तलाशी लेने अथवा गिरफ्तारी करने के मामलों में कारावास और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। इसलिए डी.एल.ई.ओ. के कार्य में विफल रहने अथवा ड्रग्स के अपराध में इरादतन सहायता देने और अपराध अनदेखा करने पर एनपीडीएस अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत कम–से–कम दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है।

विश्वास: डी.एल.ई.ओ. को एनपीडीएस अधिनियम की धारा 69 के विश्वास (गुड फेथ) संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत उसके कार्यों के लिए संरक्षण प्राप्त है। वस्तुत: उसको ऐसा संरक्षण, उसके द्वारा नियत कार्य करने या उसमें भूलचूक हो जाने पर भी उसे उसके सरकारी दायित्वों का निर्वाह करने की प्रकृति का कार्य माने जाने पर प्राप्त होता है।

झांसे से बचनाः इसके लिए एनपीडीएस अधिनियम में बहुत कड़े प्रावधान हैं और यह अत्यंत स्वाभाविक भी है कि अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति वह सभी कुछ करने पर उतारू रहता है जो कि उसके वश में होता है और डी.एल.ई.ओ. को नरम रवैया अपनाने या उदारता बरतने या तथ्यों की अनदेखी करने या उसे भागने के लिए छूट देने के लिए मनाने का हर संभव प्रयास कर सकता है। डी.एल.ई.ओ. को ऐसे झांसे में नहीं आना चाहिए।

सूचना प्रदान करने वाले व्यक्तियों को तैयार करने और उनसे सूचना एकत्र करते समय डी.एल.ई.ओ. को सूचना प्रदान करने वाले ऐसे व्यक्तियों से भी पाला पड़ सकता है जो कि ड्रग्स के अवैध व्यापार के बारे में इस शर्त पर सूचना देने को तैयार होते हैं कि यदि उसकी सूचना के आधार पर ड्रग्स और/अथवा धनराशि की बरामदी होती है तो डी.एल.ई.ओ. उसमें से कुछ अंश उसको मौके पर ही पुरस्कार के रूप में दे। डी.एल.ई.ओ. को ऐसी मांग का शिकार होने से बचना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यदि पर्याप्त जब्ती होती है तो इस प्रकार का समझौता करना तर्क संगत होगा।

पारदर्शिताः डी.एल.ई.ओ. के लिए यह आम बात है कि उसे तलाशी और निषेध प्रचालनों के दौरान उस पर बल का प्रयोग करने, अनधिकृत रूप से प्रवेश करने, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और उनसे छेड़–छाड़ करने, सामान और प्रमाणों को झूठे ढंग से गढ़ने, बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करने आदि जैसे आरोपों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए तथा स्वयं को और अपने कार्यों को इस तरीके से करना चाहिए ताकि समग्र प्रक्रिया कानून के मुताबिक पारदर्शी हो, उसके सभी दस्तावेज वैध हों और संबंधित क्षेत्र के स्वतंत्र सम्माननीय

व्यक्तियों द्वारा उसके प्रचालन की गवाही दी जाए।

सत्यनिष्ठाः डी.एल.ई.ओ. को न केवल तलाशी और गिरफ्तार किए जाने के प्रचालनों के दौरान सत्यनिष्ठा कायम रखनी चाहिए बल्कि ऐसे ही बाद में की जाने वाली जांच के दौरान भी सत्यनिष्ठा बनाए रखनी चाहिए जिससे सहयोगियों, सह–अपराधियों, परिसंपत्तियों, धन को अवैध ढंग से संग्रहीत करने आदि के बारे में महत्वपूर्ण सुरागों का पता चल सकता है। ऐसे कार्यों में प्रभावित व्यक्तियों द्वारा जांच पर असर डालने की अत्यधिक संभावनाएं रहती हैं।

टीम बनानाः निवारक प्रचालनों में सत्यनिष्ठा बरतना न केवल वैयक्तिक मामला होता है बल्कि इसमें दल के अन्य सदस्यों का आचार और व्यवहार भी अत्यंत महत्व रखता है। पर्यवेक्षक डी.एल.ई.ओ. अथवा दल के नेता को इस बात पर जोर देना चाहिए कि कितने बेहतर ढंग से जांच कार्य किया जा सकता है। इसके लिए उसे दल के प्रत्येक सदस्य को विशिष्ट कार्य सौंपने चाहिए और उनको विशेष रूप से ऐसे आदेश देने चाहिए कि वे सभी प्रचालन के प्रत्येक चरण में पूर्ण सत्यनिष्ठा से कार्य करें।

रिपोर्ट करनाः सत्यनिष्ठा की कमी, चरित्र हनन, घोर नैतिक नीचता तथा व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्ति का दुरूपयोग करने की घटनाओं के मामलों को तुरंत सूचित किया जाए। इस प्रकार की सूचना समय पर देने से विभाग को ऐसे मामले में उपयुक्त कार्रवाई करने में सहायता मिलती है और साथ ही इससे एक सुदृढ़ आंतरिक सतर्कता तंत्र तैयार होता है।

संलग्नक

महत्वपूर्ण प्रपत्रों (फॉर्मेट) के नमूने

1. एनसीबी–1 – सूचना रिपोर्ट
2. एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 41 (2) के तहत तलाशी के लिए प्राधिकार
3. एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 67 के तहत नोटिस
4. एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 50 के तहत नोटिस
5. गिरफ्तारी ज्ञापन
6. जामा तलाशी
7. फार्म–"च"
8. हिस्ट्री शीट

कम और अधिक मात्रा को विनिश्चित करने वाली अधिसूचनाएं

9. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1055 (ई) दिनांक 19.10.2001 (238 प्रविष्टियां)
10. एस.ओ. 1430(ई) दिनांक 21.06.2011 (5 प्रविष्टियां – 238 क से 238 ङ तक)

नियंत्रित पदार्थों की अनुसूची

एनसीबी कार्यालयों की दूरभाष निर्देशिका

संलग्नक–1

फार्मः एनसीबी–1

संगठन/कार्यालय/इकाई का नाम और उसका पता
स्थानः (जहां सूचना दर्ज की गई है)

सूचना रिपोर्ट

सूचना देने वाले व्यक्ति का कोड नंबर........ समयः..... दिनांकः..........

1. स्वापक औषधि/मनः प्रभावी पदार्थ/नियंत्रित पदार्थ का नामः.....
   ....
   ....
2. मूल्य (जहां संभव हो): रू...
3. संदिग्ध व्यक्तियों के नाम उनकी पहचान के साथ ब्यौरे और निवास स्थान के पतेः..
   ....
4. स्वापक औषधि/मनः प्रभावी पदार्थ रखे गए स्थान/स्थानों के नामः...
5. प्रस्तावित कार्रवाईः..

सूचना दर्ज की गई

(दर्ज की गई सूचना का सार दें या इसके लिए एक अलग शीट जोड़ें)

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

संलग्नक–2

संगठन का नाम

कार्यालय/यूनिट

(कृपया पूरा पता/संपर्क नम्बर लिखें)

(एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 41 (2) के तहत परिसरों की तलाशी लेने का प्राधिकार पत्र)

सेवा में,

(तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत किए गए अधिकारी का नाम और पदनाम लिखें)

....

....

....

महोदय,

यह कि मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई सूचना से ऐसा पता चलता है कि स्वापक औषधि/मनः प्रभावी पदार्थ/नियंत्रित पदार्थों के संबंध में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के उपबंधों का उल्लंघन करके एक अपराध किया गया है और यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि इस अधिनियम का उल्लंघन करने के साक्ष्य स्वरूप ऐसे पदार्थ और अन्य वस्तुएं, सामान, दस्तावेज तथा अधिनियम के अध्याय 5क के तहत जब्त/अधिहरित की जाने योग्य गैर–कानूनी तरीके से अर्जित परिसंपत्ति को श्री .... पुत्र श्री ....के कब्जे में और छिपाकर रखे गए उनके .... स्थित परिसर से प्राप्त किया गया है।

इसलिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 41(2) के तहत, प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अब आपको एतद्द्वारा उपरोक्त परिसरों की

निर्धारित दिन अथवा रात्रि में किसी भी समय तलाशी करने और ऐसे पदार्थों, वस्तुओं, चीजों, दस्तावेजों को जब्ती करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और ऐसी तलाशी के परिणामों तथा ऐसी तलाशी के बरामद किए गए पदार्थों, वस्तुओं, चीजों, दस्तावेजों के बारे में की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाए।

यह अनुज्ञप्ति .... दिन के लिए वैध है।

.... को जारी की गई है।

(हस्ताक्षर)

राजपत्रित अधिकारी का नाम और पदनाम

सरकारी मुहर

संगठन का नाम
कार्यालय/यूनिट

(कृपया पूरा पता/संपर्क नम्बर लिखें)

(एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 67 के तहत नोटिस)

सेवा में,

....

....

....

महोदय,

यह कि, अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों के उल्लंघन के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 53(1) के तहत .... (एन डी, पी एस या सी एस का ब्यौरा दें) सामग्री का अधिहरण करने के संबंध में जांच की जा रही है।

यह कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 42 में उल्लिखित ऐसे किसी भी अधिकारी द्वारा जिसे कि केन्द्रीय सरकार की ओर से प्राधिकृत किया गया है, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करने से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ किए जाने के दौरान निम्नलिखित किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है:

(क) इस बात की संतुष्टि करने के लिए किसी भी व्यक्ति से सूचना एकत्र करना कि अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है या नहीं।

(ख) जांच कार्य से संबद्ध अथवा उपयोगी किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने अथवा वितरित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाना।

(ग) ऐसे किसी भी व्यक्ति की जांच करना जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुपरिचित हो।

तद्नुसार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप ऐसी जांच के लिए दिनांक .... को..................... बजे.................... .... (पता लिखें) पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों और अधोहस्ताक्षरी को उक्त पते पर निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज़/चीजें स्वयं अथवा किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से या रजिस्टर्ड डाक से प्रस्तुत करें।

दस्तावेजों की सूचीः

1. ....

2. ....

3. ....

.... को जारी किया गया है।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

मुहर ....

संगठन का नाम
कार्यालय/यूनिट
(कृपया पूरा पता/संपर्क नम्बर लिखें)

(एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 50 के तहत नोटिस)

सेवा में,

....
....
....

विषयः एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 50 के तहत नोटिस।

महोदय,

जबकि, ऐसा विश्वास किए जाने का कारण है कि आपके पास स्वापक औषधि/मनः प्रभावी पदार्थ/नियंत्रित पदार्थ और/या दस्तावेजों, सामान और चीजों एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अंतर्गत अपराध के किए जाने का साक्ष्य पेश कर सकते हैं, आपके पास विद्यमान हैं, जिनको अपने पास रखना, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत एक अपराध है। इसलिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपकी व्यक्तिगत तलाशी करना जरूरी है। यदि आप चाहें तो आपकी तलाशी निकटस्थ राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जा सकती है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम एवं पदनाम)

श्री... (जिसकी तलाशी ली जानी है) का बयान

मुझे यह सूचित किया गया है और मैनें स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 के तहत व्यक्तिगत तलाशी किए जाने के नोटिस को समझ लिया है। मैं इस बात की अपेक्षा करता हूं/नहीं करता हूं कि मेरी तलाशी किसी निकटस्थ राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाए।

व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर

गवाहः

1. ....

2. ....

संलग्नक–5

संगठन का नाम

कार्यालय/यूनिट

(पूरा पता/संपर्क नम्बर लिखें)

गिरफ्तारी का ज्ञापन

श्री .... से .... दिनांक .... को उसके कब्जे से .... बरामद और जब्त करने के परिणाम–स्वरूप तथा एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 67 के तहत दिनांक .... को श्री .... द्वारा दिए गए अपराध बयान समेत प्रारम्भिक जांच–पड़ताल से ऐसा पता चलता है कि श्री .... आयु ..... वर्ष, सुपुत्र श्री .... निवासी .... ने एक ऐसा अपराध किया है जो कि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 के साथ पठित उसकी धारा 16/17/18/19/20/20/21/ 22/23/24/25/26/27/27d/28/29/30/31 (इनमें से जो धारा मामले में लागू नहीं होती है उसे काट दें) के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है।

तद्नुसार श्री .... को दिनांक ...... को लगभग .... बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे उसकी गिरफ्तार किए जाने के आधार स्पष्ट रूप से बतला दिए गए हैं।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

मुझे मेरी गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट रूप से बता दिए गए हैं। श्री .... सुपुत्र श्री ...... निवासी .... गवाह के सामने मेरी गिरफ्तारी की गई है, यह मेरा मित्र/रिश्तेदार है। मुझे गिरफ्तारी ज्ञापन की प्रति प्राप्त हो गई है।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर ....

गवाह के प्रति हस्ताक्षर ....

संलग्नक–6

संगठन का नाम

कार्यालय/यूनिट

(पूरा पता/संपर्क नम्बर लिखें)

जामा तलाशी

श्री.................. सुपुत्र श्री ...., निवासी .... की गिरफ्तारी के परिणाम–स्वरूप दो गवाहों की उपस्थिति में उसकी जामा तलाशी ली गई और उसके कब्जे से निम्नलिखित मदें बरामद हुई हैं:–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

हस्ताक्षर ....

अधिकारी का नाम, पदनाम

(1) .... (2) ....

(गवाह) (गवाह)

गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर ....

संलग्नक–7

संगठन का नाम

फार्म–“च”

(स्वापक औषधियों/मनः प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थ का अधिहरण करने की रिपोर्ट)

(पदार्थ जब्त करने के 48 घंटों के भीतर महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को सूचना अग्रेषित की जाए)

1. अधिहरण करने वाली एजेंसी का नामः............................
2. अधिहरण करने की तारीखः ....
3. अधिहरण करने का स्थानः ....
4. अधिहरित मात्राः

	किलोग्राम	ग्राम	मिलीग्राम
(1) अफीम	....	....	....
(2) मोरफीन	....	....	....
(3) हिरोइन	....	....	....
(4) गांजा	....	....	....
(5) चरस (हशीश)	....	....	....
(6) कोकीन	....	....	....
(7) एक्सटेसी	....	....	....
(8) मीथाक्वलोन/मेंडरेक्स	....	....	....
(9) नियंत्रित पदार्थ			
(*) (प्रीकर्सर)	....	....	....
(*) एसेटिकएनहाईड्राईड/एन–एसेटिलएन्थ्रानिलिक एसिड/एफेड्राईन/स्यूडो एफेड्राईन और एंथ्रानिलिक एसिड			
(10) मनः प्रभावी पदार्थ	....	....	....
(11) केटामाईन	....	....	....
(12) स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों से विनिर्मित फार्मास्यूटिकल वस्तुएं/पदार्थ	....	....	....

(13) एम्फेटामिन	किस्म	उत्तेजक पदार्थ	(ए.टी.एस.)
	....	....	....
(14) एलएसडी	....	....	....
(15) किसी अन्य प्रकार की ड्रग–कैमिकल	....	....	....

5. पैकिंग/मार्किंग, यदि कोई हैः

6. एनडीपीएस अधिनियम / अन्य अधिनियमों (औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, पीएमएलए, राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियम आदि) की धारा जिनके तहत अपराध किया गया हैः...

7. उन परिसरों के पते जहां से सामान का अधिहरण किया गया हैः..

8. क्या अधिहरण फैक्टरी से अथवा अवैध प्रयोगशाला से किया गया हैः (यदि हां तो उसके ब्यौरे दें)

9. अधिहरित की गई ड्रग्स की कीमतः

   (क) मूल स्थान परः ....

   (ख) थोक बिक्री मूल्यः...

   (ग) फुटकर मूल्य/कीमत (पटरी के स्तर पर): ....

10. क्या हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन/बस स्टैन्ड आदि से सामान का अधिहरण किया गया है?

   (1) वायु मार्ग/ट्रेन/बस रूटः ....

   (2) आगमन/प्रस्थान किए जाने परः ....

   (3) मूल स्थान/गंतव्य स्थानः ....

11. परिवहन का माध्यमः हवाई/रोड/कोरियर से –

   (1) वाहन की पंजीकरण संख्याः ....

   (2) मेकः........................ मॉडलः...........................

   (3) वाहन के मालिक का नाम और पताः ....

12. अधिहरित ड्रग/नियंत्रित पदार्थों का संदिग्ध स्रोतः
(देश/स्थान तथा नाम/व्यक्ति का नाम):.............................

13. अधिहरित की गई ड्रग्स/नियंत्रित पदार्थों का संदिग्ध गंतव्य स्थानः (देश/स्थान का नाम/व्यक्ति का नामः........................

14. कार्य–प्रणाली/ड्रग छुपाना (देखने में आई कार्य प्रणाली का विवरण दें):...

15. प्रीकर्सरों और अवैध विनिर्माण को अंतरण करने की नई विधिः
....

16. गिरफ्तार किए गए अपराधी/व्यक्ति का ब्यौराः (यदि एक से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तो पृथक शीट में प्रस्तुत करें):
    (1) नामः ....
    (2) उपनाम (यदि कोई है): ....
    (3) लिंगः पुरूष/स्त्रीः ....
    (4) व्यवसाय–मजदूर/विद्यार्थी/श्रमिक, आदिः ....
    (5) पिता का नामः ....
    (6) आयु/जन्म तिथिः ....
    (7) वयस्क या नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु का): ....
    (8) राष्ट्रीयताः ....
    (9) पासपोर्ट/पहचान पत्र/पैन नंबर, आदिः ....
    (10) जारी करने की तारीख और स्थानः ....
    (11) पता (पुलिस स्टेशन और डाकघर का पता बताएं जिसके क्षेत्राधिकार में व्यक्ति का निवास स्थान है): डाक घर, पुलिस स्टेशनः ....

17. क्या अवैध व्यापारी / संवाहक / ड्रग्स बेचने वाला / ड्रग का व्यसनी हैः ....

18. ड्रग्स का अवैध व्यापार करने अथवा अन्य अपराध करने/अपराधियों के साथ विगत संलिप्तता/इतिहासः ....

19. क्या किसी ड्रग व्यवसाय संघ (सिंडीकेट)/कार्टेल/गिरोह (गैंग) का सदस्य है (यदि हां तो उसके ब्यौरे दें): ....

20. क्या व्यक्ति को पहले कभी पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है (यदि हां तो उसके ब्यौरे दें): ....

21. अपराधी/गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा बतलाए गए सह–अपराधियों के ब्यौरे (प्रत्येक सह–अपराधी के लिए पृथक शीट में ब्यौरे दें):

    (1) नाम: ....
    (2) उपनाम (यदि कोई है): ....
    (3) लिंग: .... पुरूष/स्त्री
    (4) व्यवसाय–कारोबार/विद्यार्थी/मजदूर, आदि: ....
    (5) पिता का नाम: ....
    (6) आयु/जन्म तिथि: ....
    (7) वयस्क या नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु का): ....
    (8) राष्ट्रीयता: ....
    (9) पासपोर्ट/पहचान पत्र/पैन नंबर, आदि: ....
    (10) जारी करने की तारीख और स्थान: ....
    (11) पता (पुलिस स्टेशन और डाकघर का पता बताएं जिसके क्षेत्राधिकार में व्यक्ति का निवास स्थान है): ....

22. मामले के संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें [आसूचना प्राप्त होने पर (यदि कोई है) से ले कर जांच पूरी होने तक और सत्यापन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य]: ....

23. अधिहरित की गई सम्पति: ....

24. अधिहरण मामले में की गई कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के नाम, पदनाम और भूमिका: ....

25. क्या कोई आपात् योजना बनाई गई है/नेटवर्क/समूह का गठन किया गया है और पारस्परिक संपर्क स्थापित किया गया है? (यदि हां तो उसके ब्यौरे दें): ....

26. क्या संयुक्त रूप से कोई पूछताछ की गई है और प्राप्त सूचना के बारे में संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भागीदारी की गई है? (यदि हां तो उसके ब्यौरे दें): ....

27. निम्नलिखित के संबंध में 30 दिनों के भीतर अनुवर्ती कार्रवाई/ जांच रिपोर्ट भेजें: ....

(1) अधिहरित की गई ड्रग्स की शुद्धता का प्रतिशतः ....

(2) मिलावटः ....

(3) वित्तीय जांच की रिपोर्टः ....

(4) स्वापक–आतंकवाद और अवैध ढंग से पैसा कमाने वालों के साथ संपर्कः ....

(5) गिरोह/व्यवसाय संघ के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाईः .....

(6) आयकर विभाग / प्रवर्तन निदेशालय / राजस्व आसूचना निदेशालय और सीमा शुल्क विभाग द्वारा शुरू की गई कार्रवाई के ब्यौरेः ....

(7) भारत और विदेश में अन्य एजेंसियों के साथ परस्पर संबंधः ....

सी. आर. संख्याः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर और पदनाम

सामान अधिहरित करने के 48 घंटों के भीतर यह रिपोर्ट महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पश्चिमी खंड–1, स्कंध संख्या 5, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली–110066, फैक्स नंबर 011–26185240 को भेज दी जाए।

संलग्नक–8

हिस्ट्री शीट

अपराध संख्या .... फाइल संख्या ....

अभियुक्त संख्या ....

क्रमांक	अपेक्षित ब्यौरे	विस्तृत आंकड़े
1.	अभियुक्त का नाम	
2.	उपनाम, यदि कोई है	
3.	राष्ट्रीयता	
4.	पिता/पति का नाम	
5.	जन्म तिथि	
6.	पता–1	
7.	पता–2	
8.	आंखों का रंग	
9.	बाल का रंग	
10.	शरीर की बनावट (कद–काठी)	
11.	चेहरे की रंगत	
12.	ऊंचाई – सेंटीमीटर में	
13.	वजन – किलोग्राम में	
14.	पहचान चिह्न–1	
15.	पहचान चिह्न–2	
16.	सेलफोन और लेंडलाईन टेलीफोन नंबर	
17.	पासपोर्ट संख्या	
	जारी करने का स्थान	
	जारी करने की तारीख	

18.	देश के पहचान पत्र की संख्या/ मतदाता पहचान पत्र की संख्या/ ड्राईविंग लाइसेंस संख्या	
	जारी करने का स्थान	
	जारी करने की तारीख	
19.	पैन संख्या और जारी करने की तारीख	
20.	बैंक के ब्यौरे	
21.	बैंक कार्डों के ब्यौरे	
22.	व्यवसाय	
23.	स्वामित्वाधीन वाहन	
24.	उसके/पत्नी और संबंधियों के स्वामित्वाधीन संपत्तियों के ब्यौरे	
25.	किए गए अपराधः ड्रग संबंधी अपराध करने और षड़यंत्र रचने के प्रयास सहित उसने जिनकी आपूर्ति/अधिप्राप्ति की है/कब्जे में रखा है/वित्तपोषित किया है/ परिवहन/वाहन या आवासीय परिसरों को प्रयुक्त किया है/ पहले के अपराधों में भी निर्यात या आयात किया है/अन्य अपराध किए हैं, उन सबका ब्यौरा दें।	
26.	निभाई गई मुख्य भूमिकाः वित्तदाता/आपूर्तिकर्ता/अधिप्राप्ति कर्ता/प्राप्तकर्ता/परिवाहक/ कैरियर/षड़यंत्रकर्ता।	

27.	लगाई गई धारा	यथा संशोधित एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धाराओं संख्याः.... के साथ पठित धारा संख्या 8(ग)
28.	गिरफ्तार करने की तारीख और समय	
29.	किसी अन्य अपराध में संलिप्तता, यदि कोई है	
30.	सहयोगी अपराधी	
31.	किस जेल में रखा गया	
32.	न्यायालय का नाम जहां मुकद्दमे की सुनवाई है	
33.	कोई अन्य सूचना	
34.	क्या कार्य–प्रणाली/अभियुक्त का चित्र लिया गया है?	
35.	क्या अंगुलियों के निशान लिए गए हैं?	

हस्ताक्षर, नाम व पदनाम

कार्यालय का पता

संलग्नक–9

कम और वाणिज्यिक मात्राओं की तालिका

(अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1055 (ई) दिनांक 19.10.2001)

क्रम संख्या	नाम	कम मात्रा (ग्राम में)	बड़ी मात्रा
1.	एसिटोरफाईन	2	50 ग्राम
2.	एसिटिल–अल्फा–मेथिलफेनटेनील	0.005	0.1 ग्राम
3.	एसिटिल डाईहाईड्रोकोडीन	5	100 ग्राम
4.	एसिटिलमेथेडोल	2	50 ग्राम
5.	एल्फेटेनील	0.005	0.1 ग्राम
6.	एल्लीप्रोडाईन	2	50 ग्राम
7.	एल्फासीटिल मेथेडॉल	5	100 ग्राम
8.	एल्फामेप्रोडाइन	2	50 ग्राम
9.	एल्फामेथाडोल	2	50 ग्राम
10.	एल्फा–मेथिलफेन्टेनाईल	0.005	0.1 ग्राम
11.	एल्फा–मेथिलथिओफेन्टेनाईल	0.005	0.1 ग्राम
12.	एल्फाप्रोडाईन	5	100 ग्राम
13.	एनिलेरीडाईन	2	50 ग्राम
14.	बेन्ज़ेथिडाईन	5	100 ग्राम
15.	बेनजीलमोर्फीन	2	50 ग्राम
16.	बीटाएसिटिलमेथेडोल	2	50 ग्राम
17.	बीटा–हाइड्रोक्सीफेन्टानाईल	0.005	0.1 ग्राम
18.	बीटा–हाइड्रोक्सी–3–मेथिल फेन्टानाईल	0.005	0.1 ग्राम

19.	बीटामेप्रोडाईन	5	100 ग्राम
20.	बीटामेथाडोल	2	50 ग्राम
21.	बीटाप्रोडाईन	5	100 ग्राम
22.	बेजिट्रामाईड	5	100 ग्राम
23.	केन्नाबिस और केन्नाबिस रेजिन	100	1 किग्रा.
24.	क्लोनीटाजीन	2	50 ग्राम
25.	कोको डेरिवेटिव्स (कोकीन और उसके लवणों को छाड़कर)	2	50 ग्राम
26.	कोका लीफ	100	2 किग्रा.
27.	कोकीन	2	100 ग्राम
28.	कोडीन	10	1 किग्रा.
29.	कोडोक्सीम	5	100 ग्राम
30.	कंसेन्ट्रेट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ	20	500 ग्राम
31.	डेसोमोरफीन	2	50 ग्राम
32.	डेक्स्ट्रोमोरामीड	1	20 ग्राम
33.	डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन	20	500 ग्राम
34.	डायमप्रोमाईड	2	50 ग्राम
35.	डाइएथिल थिऑमबुटीन	5	100 ग्राम
36.	डाइफेनोक्सिन	2	50 ग्राम
37.	डाइहाइड्रोकोडीन	10	200 ग्राम
38.	डाइहाइड्रोमोरफीन	5	100 ग्राम
39.	डाइहाइड्रोक्सी डिहाइड्रो मोरफीनोन	1	20 ग्राम
40.	डाइमेनॉक्सडोल	2	50 ग्राम
41.	डाइमेफेप्टानोल	5	100 ग्राम

42.	डाइमेथिलथिएम्बुटेन	5	100 ग्राम
43.	डायोक्साफेटिल बुटीरेट	2	50 ग्राम
44.	डाइफेनोक्सीलेट	2	50 ग्राम
45.	डाइपिपेनोन	5	100 ग्राम
46.	ड्रोटेबेनोल	1	20 ग्राम
47.	एक्गोनाईन	2	50 ग्राम
48.	एथिलमेथिल थियामबुटेन	2	50 ग्राम
49.	एथिलहमोरफीन	10	200 ग्राम
50.	एटोनिटाजिन	2	50 ग्राम
51.	एटोरफाईन	5	100 ग्राम
52.	एटोक्सीरिडाईन	2	50 ग्राम
53.	फेंटेनाईल	0.005	0.1 ग्राम
54.	फरथिडाईन	1	20 ग्राम
55.	गांजा	1000	20 किग्रा.
56.	हेरोइन (डाइएसिटिल मोरफीन)	5	250 ग्राम
57.	हाइड्रोकोडोन	1	20 ग्राम
58.	हाइड्रोमोरफिनोल	2	50 ग्राम
59.	हाइड्रोमोरफोन	1	20 ग्राम
60.	हाइड्रोक्सीपेथिडीन	5	100 ग्राम
61.	आईसोमेथेडोन	2	50 ग्राम
62.	केटोबिमिडोन	2	50 ग्राम
63.	लेवोमेथोर्जेन	2	50 ग्राम
64.	लेवोमोरेमाईड	2	50 ग्राम
65.	लेवोफिनासिलमोरर्जेन	2	50 ग्राम

66.	लेवोरफनोल	1	20 ग्राम
67.	मेटेजोसाईन	5	100 ग्राम
68.	मेथेडोन	2	50 ग्राम
69.	मेथेडोन इंटरमिडियेट	2	50 ग्राम
70.	मेथिलडेसोरफिन	2	50 ग्राम
71.	मेथिलडाइइाईड्रोमोरफीन	2	50 ग्राम
72.	3–मेथिलेफेनटेनाईल	0.005	0.1 ग्राम
73.	3–मेथिलथिओफेन्टेनाईल	0.005	0.1 ग्राम
74.	मेटोपोन	2	50 ग्राम
75.	मोरामाईड इंटरमिडियेट	5	100 ग्राम
76.	मोरफिरेडाईन	2	50 ग्राम
77.	मोरफीन	5	250 ग्राम
78.	मोरफीन मेथोब्रोमाईड	2	50 ग्राम
79.	मोरफीन–एन–ऑक्साईड	2	50 ग्राम
80.	एमपीपीपी	2	50 ग्राम
81.	माइरोफीन	5	100 ग्राम
82.	एन–साक्लोप्रोपाईल मेथिल–7, 8–डाइहाईड्रो–7–(एल–हाईड्रोक्सिल–एल मिथाइल–एथिल) 0 मिथाइल–6–14–ऐन्डोथेनोनोरमोरफीन	5	100 ग्राम
83.	निकोकोडीन	10	200 ग्राम
84.	निकोडाइकोडीन	5	100 ग्राम
85.	निकोमोरफीन	2	50 ग्राम
86.	नोरेसिमेथेडोल	2	50 ग्राम
87.	नोरकोडीन	5	100 ग्राम

88.	नोरलेवोरफेनोल	2	50 ग्राम
89.	नोरमेथेडोन	5	100 ग्राम
90.	नोरमोरफीन	2	50 ग्राम
91.	नोरपिपेनान	5	100 ग्राम
92.	अफीम और अफीम युक्त कोई भी पदार्थ	25	2.5 किग्रा.
93.	अफीम से उत्पन्न {डायसिटाईल मोरफीन (हेरोईन) से इतर, मोरफीन और जिनकी सूची यहां दी गई है}	5	250 ग्राम
94.	ओक्सिकोडोन	2	50 ग्राम
95.	ओक्सिनिफोन	2	50 ग्राम
96.	पैरा–फ्लूरोफैंटानिल	0.005	01 ग्राम
97.	पेपाप	2	50 ग्राम
98.	पाथडाइन	10	200 ग्राम
99.	पेथिडाईन इंटरमिडियेट ए	10	200 ग्राम
100.	पेथिडाईन इंटरमिडियेट बी	10	200 ग्राम
101.	पेथिडाईन इंटरमिडियेट सी	10	200 ग्राम
102.	फेनोडोक्सोन	5	100 ग्राम
103.	फेनामप्रोमाइड	5	100 ग्राम
104.	फेनाजोसीन	1	20 ग्राम
105.	फेनोमोरफान	5	100 ग्राम
106.	फेनोपेरीडाइन	2	50 ग्राम
107.	फोल्कोडीन	5	100 ग्राम
108.	पिमिनोडाईन	5	100 ग्राम

109.	पिरिट्रामाइड	2	50 ग्राम
110.	पौप्पी स्ट्रा	1000	50 किग्रा.
111.	भारतीय हेम्प के टिंचर के सत्व से निर्मित पदार्थ	5	100 ग्राम
112.	प्रोहेप्टेजाइन	2	50 ग्राम
113.	प्रोपेरीडाईन	2	50 ग्राम
114.	प्रोपिरम	10	200 ग्राम
115.	रैक्कमक्थ्रोफान	2	50 ग्राम
116.	रेसेमारामाईड	2	50 ग्राम
117.	रेसेमोरफान	2	50 ग्राम
118.	सुफेनटेल	0.005	0.1 ग्राम
119.	थिबाकोन	2	50 ग्राम
120.	थिबाईन	2	100 ग्राम
121.	थिओफेन्टेनाईल	0.005	0.1 ग्राम
122.	टिलीडाईन	10	200 ग्राम
123.	ट्राइमेपेरीडाइन	10	200 ग्राम
124.	ब्रोलामफेटेमाईन	0.5	10 ग्राम
125.	केथिनोन	2	50 ग्राम
126.	डेट {3–(डायथेलाएमिनो) एथिल इंडोल, एन, एन, डाईएथिलट्रेप्टामाईन}	0.1	2 ग्राम
127.	डीएमए {(+)–2, 5–डाईमेथोक्सी–अल्फा–मेथिलफेनथिलेमाईन}	0.5	10 ग्राम

128.	डीएमएचपी {3–(एल, 2–डाइमेथेलहेप्टी)–7, 8, 9, 10–टेट्राहाईड्रो–6, 6, 9–बी, दी ट्रिमेथिल–6–एच–डाईबेन्जो (बी, डी} पायरन–1–ओएल	2	50 ग्राम
129.	डीएमटी {3–(2–{डाइमेथेलएमिनो)एथिल। इंडोल. एन, एन, डाइमेथेलट्रिप्टेमाइन}	0.1	2 ग्राम
130.	डोयेट {(+)–4–एथिल–1, 5–डाइमेथोक्सी–अल्फा–फेनेथिलेमाईन}	0.5	10 ग्राम
131.	एटीसाइक्लीडाइन {पीसीई}	2	50 ग्राम
132.	एट्रिप्टामाइन	2	50 ग्राम
133.	(+)लिसिरगाईड, (एलएसडी, एलएसडी–25)	0.002	0.1 ग्राम
134.	एमडीएमए, एक्सटेसी	0.5	10 ग्राम
135.	मेस्कालाईन	5	100 ग्राम
136.	मेथकाथिनोन	2	50 ग्राम
137.	(+)–सीआई एस–2–अमीनो–4–मेथिल–5–फेनिल–2–ऑक्सोज़ोलाईन	0.5	10 ग्राम
138.	एमएमडीए, एक्सटेसी	0.5	10 ग्राम
139.	4–एम टी ए	0.5	10 ग्राम
140.	एन–एथिल एमडीए	0.5	10 ग्राम
141.	एन–हाईड्रोक्सी एमडीए	0.5	10 ग्राम
142.	पैराहैक्सिल	2	50 ग्राम
143.	पीएमए	0.5	10 ग्राम

144.	प्सीलोसाईन, प्सीलोटसीन	2	50 ग्राम
145.	प्सीलोसाइबीन	2	50 ग्राम
146.	रोलीसाइक्लीडाइन (पीचपी, पीसीपीवाई)	2	50 ग्राम
147.	एसटीपी, डीओएम	0.5	10 ग्राम
148.	टेनामफेटामाईन	0.5	10 ग्राम
149.	टेनोसाइक्लीडाइन	2	50 ग्राम
150.	टेट्राहाइड्रोकेन्नाबिनोल	2	50 ग्राम
151.	टीएमए	0.5	10 ग्राम
152.	एम्फेटेमाइन	2	50 ग्राम
153.	2 सी–बी	0.5	10 ग्राम
154.	डेक्साम्फेटामाइन	2	50 ग्राम
155.	फेनेटिल्लाइन	0.5	10 ग्राम
156.	लेवाम्फेटामाइन	2	50 ग्राम
157.	लेवाम्फेटामाईन	2	50 ग्राम
158.	मेक्लोक्वालोन	20	500 ग्राम
159.	मेटाम्फेटामाइन	2	50 ग्राम
160.	मेटाम्फेटामाइन रेसेमेट	2	50 ग्राम
161.	मेथाक्वालोन	20	500 ग्राम
162.	मेथिल्फेनिडेट	2	50 ग्राम
163.	फेनसाइक्लीडाइन	2	50 ग्राम
164.	फेनमेट्राजीन	5	100 ग्राम
165.	सेकोबारबिटल	20	500 ग्राम
166.	ड्रोनाबिनोल	2	50 ग्राम
167.	ज़िपेप्रोल	5	100 ग्राम

168.	अमोबारबिटल	20	500 ग्राम
169.	ब्यूप्रेनोरफीन	1	20 ग्राम
170.	बुटालबिटल	20	500 ग्राम
171.	केथीन	2	50 ग्राम
172.	सायलोबारबिटल	20	500 ग्राम
173.	फ्लूनाईट्रेजिपाम	5	100 ग्राम
174.	ग्लूटेथीमाइड	20	500 ग्राम
175.	पेटाजोसीन	20	500 ग्राम
176.	पेंटोबारबिटल	20	500 ग्राम
177.	एल्लोबारबिटल	20	500 ग्राम
178.	अल्प्राजोलम	5	100 ग्राम
179.	एम्फ्रेप्रामोन	10	250 ग्राम
180.	एमिनोरेक्स	5	100 ग्राम
181.	बारबिटल	20	500 ग्राम
182.	बेंजफेटामिन	20	500 ग्राम
183.	ब्रोमजेपाम	20	500 ग्राम
184.	बुटोबारबिटल	20	500 ग्राम
185.	ब्रोटिजोलम	5	100 ग्राम
186.	केमेजेपाम	20	500 ग्राम
187.	क्लोरडायाजेपोक्साइड	20	500 ग्राम
188.	क्लोबाजम	10	250 ग्राम
189.	क्लोनाजेपाम	5	100 ग्राम
190.	क्लोराजेपेट	10	250 ग्राम
191.	क्लोटियाजेपाम	10	250 ग्राम

192.	क्लोक्साजोलम	5	100 ग्राम
193.	डिलोराजेपाम	5	100 ग्राम
194.	डायजेपाम	20	500 ग्राम
195.	एस्टाजोलम	5	100 ग्राम
196.	एथक्लोरवाईनोल	20	500 ग्राम
197.	एथिनामेट	20	500 ग्राम
198.	एथिल लोफ्लाजेपेट	10	250 ग्राम
199.	एटिलएम्फेटामाइन	2	50 ग्राम
200.	फेन्कामफेमिन	2	50 ग्राम
201.	फेनप्रोपोरेक्स	2	50 ग्राम
202.	फ्लूडियाजेपाम	5	100 ग्राम
203.	फ्लूराजेपाम	5	100 ग्राम
204.	जीएचबी(वाई–हाइड्रोक्सीब्यूटीरिक एसिड)	10	250 ग्राम
205.	हेलेजेपाम	20	500 ग्राम
206.	हेलोक्साजोलेम	20	500 ग्राम
207.	केटाजोलम	10	250 ग्राम
208.	लेफेटामाईन	10	250 ग्राम
209.	लोप्राजोलम	5	100 ग्राम
210.	लोराजेपाम	10	250 ग्राम
211.	लोरमेटाजेपाम	10	250 ग्राम
212.	मेजिन्डोल	10	250 ग्राम
213.	मेडाजेपाम	20	500 ग्राम
214.	मेफेनोरेक्स	2	50 ग्राम
215.	मेप्रोबेमेट	20	500 ग्राम

216.	मेसोकार्ब	5	100 ग्राम
217.	मेथिलफेनोबारबिटल	20	500 ग्राम
218.	मेथिप्रीलोन	20	500 ग्राम
219.	मिडाजोलम	20	500 ग्राम
220.	निमिटाजेपाम	10	250 ग्राम
221.	निट्राजेपाम	20	500 ग्राम
222.	नोरडाजेपाम	20	500 ग्राम
223.	ओक्साजेपाम	20	500 ग्राम
224.	ओक्साजोलम	20	500 ग्राम
225.	पेमोलिन	2	50 ग्राम
226.	फेंडीमेट्राजीन	20	500 ग्राम
227.	फेनोबारबिटल	20	500 ग्राम
228.	फेंटेरमाईन	20	500 ग्राम
229.	पिनाजेपाम	10	250 ग्राम
230.	पिपराड्रोल	20	500 ग्राम
231.	प्राजेपाम	20	500 ग्राम
232.	पाइरोवालेरोन	2	50 ग्राम
233.	सेक्बुटाबारबिटल	20	500 ग्राम
234.	टेमाजेपाम	20	500 ग्राम
235.	टेट्राजेपाम	20	500 ग्राम
236.	ट्रायाजोलम	5	100 ग्राम
237.	विनाईलबिटल	20	500 ग्राम
238.	जोलपिडम	10	250 ग्राम

239.	उपरोक्त औषधियों में से किसी भी औषधि की प्राकृतिक सामग्री के साथ अथवा उसके बिना निर्मित किया गया कोई भी मिश्रित पदार्थ या सामग्री	*	**

* मिश्रण के भाग के रूप में उपरोक्त संबंधित स्वापक औषधियों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों के सामने उल्लिखित मात्राओं के बीच मात्रा से भी कम मात्रा का मिश्रण।

** मिश्रण के भाग के रूप में उपरोक्त संबंधित स्वापक औषधियों अथवा मनःप्रभावी पदार्थों के सामने उल्लिखित मात्राओं के बीच वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा का मिश्रण।

टिप्पणीः

1. उक्त वर्णित औषधियों की सूची में उनके सामने उल्लिखित कम मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा, विनिश्चित रासायनिक तत्वों के समावयवों (आइसोमेर्स), जैसे कि ईस्टर, ईथर्स और समावयवों के साल्ट सहित इस्टर्स, ईथर्स और इन औषधियों के सॉल्ट्स पर तब लागू होती है जब कभी भी ऐसे पदार्थों की मौजूदगी संभावित होती है।

2. उक्त संबंधित औषधियों की सूची में उनके सामने उल्लिखित मात्रा, औषधियां बनाने और उपरोक्त टिप्पणी 1 में उल्लिखित पदार्थों को तैयार करने में भी लागू होती है।

3. अफीम पोप्पी की कृषि से संबंधित "कम मात्रा" और "वाणिज्यिक मात्रा" पृथक रूप से विनिश्चित नहीं की जाती है क्योंकि इस संबंध में किया गया अपराध, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 18 के खंड(ग) के तहत आता है।

संलग्नक–10

कम और वाणिज्यिक मात्राओं की तालिका

अधिसूचना संख्या एस.ओ.1430 (ई) दिनांक 21–06–2011, तथा का.आ.375(अ) दिनांक 05–02–2015 द्वारा सम्मिलित अन्य 6 पदार्थ

क्रम संख्या	स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ का नाम (अंतर्राष्ट्रीय गैर–मालिकाना नाम)	कम मात्रा (ग्राम में)	वाणिज्यिक मात्रा (ग्राम/ किग्रा. में)
238क.	डाइहाइड्रोइटोर्फिन	0.01	0.5 ग्राम
238ख.	ओरिपेवाईन	2	100 ग्राम
238ग.	रेमिफेन्टेनिल	0.004	0.2 ग्राम
238घ.	एमिनेप्टीन	20	1 किग्रा.
238ङ.	केटामाईन	10	500 ग्राम
238च.	मिफिड्रोन	2	50 ग्राम

नियंत्रित पदार्थों की सूची

एनडीपीएस (आरसीएस) आदेश, 2013 का खंड 2 (घ) – जी.एस.आर.191(ई), दिनांक 26.03.2013 की अनुसूची

अनुसूची–क (अनुसूची–क में ऐसे नियंत्रित पदार्थ शामिल हैं जिनका विनिर्माण, वितरण, बिक्री, खरीद, अधिग्रहण, भण्डारण और उपभोग इस आदेश में विनिश्चित किए गए अनुसार नियंत्रण अधीन है)

1. ऐसेटिक एनहाइड्राइड
2. एन–एसेटिलएन्थ्रानिलिक एसिड
3. एन्थ्रानिलिक एसिड
4. एफेड्राईन और इसके साल्ट
5. स्यूडोएफेड्राईन और इसके साल्ट्स

अनुसूची–ख (अनुसूची–ख में ऐसे नियंत्रित पदार्थ शामिल हैं जिनका भारत से निर्यात इस आदेश में विनिश्चित किए गए अनुसार नियंत्रण अधीन है।)

1. एसेटिक एनहाइड्राइड
2. एन–एसेटिलएंथ्रानिलिक एसिड
3. एनथ्रानिलिक एसिड
4. एफेड्राईन, इसके साल्ट्स और निर्मित पदार्थ
5. एरगोमेट्राईन और उसके साल्ट्स
6. एरगोटेमाईन और उसके साल्ट्स
7. आइसोसैफरोल
8. लिसिर्जिक एसिड और इसके साल्ट्स
9. 3, 4 मेथिलीनडाईऑक्सीफेनाइल–2–प्रोपेनोन
10. मेथिल एथिल केटोन
11. नोरेफेड्राईन (फेनीलप्रोपेनोलेमाईन), इसके साल्ट्स (लवण) और इससे निर्मित पदार्थ
12. 1–फेनिल–2–प्रोपेनोन

13. फिनिलएसिटिक एसिड और इसके साल्ट्स (लवण)
14. पिपेरोनल
15. पोटेशियम पर्मैंगनेट
16. स्यूडोएफेड्राईन, इसके साल्ट्स (लवण) और इससे निर्मित पदार्थ
17. सेफरोल और कोई भी ऐसा सुगंध तैल (एस्सेन्शियल ऑयल) जिसमें सेफरोल की मात्रा 4% अथवा उससे अधिक निहित हो।

अनुसूची–ग (अनुसूची–ग में ऐसे नियंत्रित पदार्थ शामिल हैं जिनका भारत में आयात इस आदेश में विनिश्चित किए गए अनुसार नियंत्रण अधीन है।)

1. एसेटिक एनहाइड्राइड
2. एन–एसेटेलेएनथ्रानिलिक एसिड
3. एनथ्रानिलिक एसिड
4. एफेड्राईन, इसके साल्ट्स (लवण) और निर्मित पदार्थ
5. एरगोमेट्राईन और इसके साल्ट्स
6. एरगोटेमाईन और इसके साल्ट्स
7. आइसोसेफरोल
8. लिसिर्जिक एसिड और इसके साल्ट्स
9. 3, 4 मेथैलीनडाईऑक्सीफेनाइल–2–प्रोपेनोन
10. मेथिल एथिल केटोन
11. नोरएफेड्राईन (फेनीलप्रोपेनोलेमाईन), इसके साल्ट्स और इससे निर्मित पदार्थ
12. 1–फिनाईल–2–प्रोपेनोन
13. फेनिलएसेटिक एसिड और उसके साल्ट्स
14. पाइपेरोनल
15. पोटेशियम पर्मैंगनेट
16. स्यूडोएफेड्राइन, इसके लवण और इससे निर्मित पदार्थ
17. सेफरोल और किसी भी प्रकार का सुगंध तैल (एस्सेन्शियल ऑयल) जिसमें 4% अथवा उससे अधिक सेफरोल निहित हो।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के कार्यालयों की दूरभाष निर्देशिका

क्रमांक	कार्यालय का नाम एवं पता	अधिकारी	दूरभाष नंबर	ई–मेल पता
1.	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो मुख्यालय, पश्चिमी खण्ड 1, विंग सं.5, रा.कृ.पुरम, नई दिल्ली–110066	महानिदेशक	011–2617–2089 011–2610–5747 (फैक्स)	dg-ncb@nic.in
		उप महानिदेशक (मुख्या.एवं समन्वय)	011–2618–1090 011–26185240 (फैक्स)	ddgc-ncb@nic.in
		उप महानिदेशक (प्रचालन)	011–2618–5209 011–2617–4374	ddge-ncb@nic.in
		उप निदेशक (प्रचालन)	011–2618 –5226	ddi-ncb@nic.in
		उप निदेशक (नी एवं सम)	011–2618–5227	ddp-ncb@nic.in
		सहायक निदेशक (प्रचालन)	011–2610–1141	adi-kncb@nic.in
2.	दक्षिण–पश्चिम क्षेत्र मुंबई, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, तीसरा तल, एक्सचेंज बिल्डिंग, स्प्रौट रोड, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई–400 001 (महाराष्ट्र)	उप महानिदेशक (दक्षिण–पश्चिम क्षेत्र)	022–22620062 022–22613604 (टे/फै)	ddgswr-ncb@nic.in
3.	पूर्वी क्षेत्र कोलकाता स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रेमिसिस नं. 04–0321, प्लॉट सं.–डीजे–2, स्ट्रीट सं.–321, पी. ओ.–न्यू टाउन, एक्शन एरिया–III, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल–700160	उप महानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र)	033–66241510 033–66241530 033–66241520 (फैक्स)	ddger-ncb@nic.in
4.	उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पश्चिमी खण्ड–1, विंग संख्या.7, रा.कृ. पुरम, नई दिल्ली – 110066	उप महानिदेशक (उत्तरी क्षेत्र)	011–26179155 011–26179154 (फैक्स)	ddgnr-ncb@nic.in

5.	चंडीगढ़ अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, उद्योग पथ, सेक्टर–25 (पश्चिम), चितकारा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के निकट, चंडीगढ़–160014	आँचलिक निदेशक	0172–2779731 0172–2780108 (फैक्स)	czu-ncb@ nic.in
		अधीक्षक	0172–2780110 0172–2780108 (फैक्स)	
6.	अमृतसर उप अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बी–320, न्यू अमृतसर कालोनी, अमृतसर, पंजाब–1430001	अधीक्षक	0183–2704900	
7.	मंडी उप अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मकान नंबर 307/12, मगवैन, राम नगर, मंडी, हिमाचल प्रदेश – 175001.	अधीक्षक	01905–221240	
8.	जम्मू अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, 42बी/बी, दूसरा एक्सटेंशन, गांधी नगर, गुरूद्वारे के नजदीक, जम्मू–180004	आँचलिक निदेशक	0191–2439905 0191–2439829 (फैक्स)	jmzu-ncb@ nic.in
		अधीक्षक	0191–2438914	
9.	जोधपुर अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, सेक्टर 18/ई, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (राजस्थान) – 342003	आँचलिक निदेशक	0291–2710 082 0291–2710092 (फैक्स)	jzu-ncb@ nic.in
		अधीक्षक	0291–2710 433	
10.	लखनऊ अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बी 912, सेक्टर–ए, सी आई डी कालोनी, महानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226016	आँचलिक निदेशक	0522–2339 410 0522–2339411 (फैक्स)	vzu-ncb@ nic.in
		अधीक्षक	0522–2339 412	

11.	देहरादून उप अंचल स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मकान नंबर 123 बीं/वीं, सुम्मेरू, राजेश्वर नगर, फेज–1, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड –248001	अधीक्षक	0135–2608 873	
12.	दिल्ली अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पश्चिमी खण्ड–1,विंग संख्या 7, रा.कृ.पुरम, नई दिल्ली – 110066	आँचलिक निदेशक	011–2618 6283 011–26181449 (फैक्स)	dzu-ncb@ nic.in
		अधीक्षक	011–2617 7347	
13.	गुवाहाटी अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, वीं आई पी रोड रूपकंवर पथ, चाचल, डाकघर खानापाड़ा, गुवाहाटी, असम–781022	सहायक निदेशक	0361–2334378 0361–2339375 (फैक्स)	ghtzu-ncb@ nic.in
		अधीक्षक	0361–2339375	
14.	इम्फाल उप अंचल स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, 73बीं, जोन–4, नेशनल गेम्स विलेज, लामफलपेट, इम्फाल, मणिपुर–795001	अधीक्षक	0385–2422750 0385–2422758 (फैक्स)	
15.	कोलकाता अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रेमिसिस नं.04–0321, प्लॉट सं.–डीजे–2, स्ट्रीट सं.–321, पी. ओ.– न्यू टाउन, एक्शन एरिया–।।।, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल–700160	आँचलिक निदेशक	033–66241505 033–66241525 (फैक्स	kzu-ncb@ nic.in
		अधीक्षक	033–66241545	
16.	भुवनेश्वर उप अंचल स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, कलिंग विहार जोन, के–वीं पात्रापाड़ा, भुवनेश्वर–751019 (उड़ीसा)	अधीक्षक	0674–2475531 0674–2475541 (फैक्स)	

17.	पटना अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, 67, कौटिल्य नगर, पोस्ट–बी.वी.कालेज, पटना (बिहार) 800014	आँचलिक निदेशक	0612–2296106 0612–2296159 (फैक्स)	pzu-ncb@ nic.in
		अधीक्षक	0612–2296160	
18.	रांची उप अंचल , स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, एस.एन.टॉवर, तीसरा तल, मोराहाबादी, पी.ओ. रांची विश्वविद्यालय, सिद्धू कान्हू पार्क के नजदीक, पी.एस. गोन्डा, रांची–834008 (झारखंड)	अधीक्षक	0651–2280755 0651–2280755	
19.	अहमदाबाद अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दूसरा और तीसरा तल, स्क्रीन बिल्डिंग, ड्राईव–इन–सिनेमा, ड्राईव–इन–रोड, थलतेज, अहमदाबाद–380054 (गुजरात)	आँचलिक निदेशक	079–27485488 079–27497330 (फैक्स)	azu-ncb@ nic.in
		अधीक्षक	079–27486118	
20.	बंगलौर अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, 7/1–2, तल–1 से 3 प्रियन्का विला, रामन्ना गार्डेन कट्टिजेनाहल्ली, बगलूरू मेन रोड, येलाहांका, बंगलूरू – 560063	आँचलिक निदेशक	080–29720566 080–29720586 (फैक्स)	blzu-ncb@ nic.in
		अधीक्षक	080–29720516	
21.	हैदराबाद उप अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बाबीनगर, मकान नंबर 136–826/ए/1/ए, पीवीएनआर एक्सप्रेस वे के पिल्लर नंबर 107 के सामने, अट्टापुर रिंग रोड, डाकघर–गोलकोंडा, हैदराबाद–500008 (आन्ध्र प्रदेश)	अधीक्षक	040–23511640	

22.	चेन्नई अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्लॉट सं.49, II मेन रोड, टी एन एच बी लेआउट, अय्यापक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु – 600077	आँचलिक निदेशक	044–226821481 044–26822481 (फैक्स)	szu-ncb@ nic.in
		अधीक्षक	044–26820694	
23.	कोचीन उप अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, ए1 ब्लॉक, दूसरा तल, केन्द्रीय भवन, सीपीडब्ल्यूडी ककानाड, कोचीन–682037 (केरल)	अधीक्षक	0484–2425321 0471–2425322 0471–2425322 (फैक्स)	
24.	मदुरै उप अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मकान नंबर 4/790, पुराना नंबर 667, अन्नई स्ट्रीट, मीनाक्षी नगर, अन्ना नगर, मदुरै–625020 तमिलनाडु	अधीक्षक	0452–2530503 0452–2530503 (फैक्स)	
25.	इन्दौर अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, 19/सी/ए/स्लाईस–5, स्कीम नंबर 78, अरण्य, डाकघरः विजय नगर, इन्दौर (मध्य प्रदेश) – 452010	आँचलिक निदेशक	0731–2557705 0731–2557701 (फैक्स)	indzu-ncb@ nic.in
		अधीक्षक	0731–2557705	
26.	मुंबई अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, तीसरा तल, एक्सचेंज बिल्डिंग, स्प्रौट रोड, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई – 400001 (महाराष्ट्र)	आँचलिक निदेशक	022–22621593 022–22616019 (फैक्स)	mzu-ncb@ nic.in
		अधीक्षक	022–22620428	
27.	गोवा उप अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, होम–इन–द–वुड्स कालोनी, हाउस नंबर 924/67,प्लाट सं.– सी–1 एस.एन. नंबर–349/0 आल्टो पोवरिम बरदेज, गोवा–403501	अधीक्षक	0832–2412030 0832–2412030 (फैक्स)	

28.	अजमेर उप अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दूसरा तल, बीएसएनएल आरएलयू, एक्सचेंज बिल्डिंग, वैशाली नगर, अजमेर–305006	अधीक्षक	0145–2643107 0145–2642107 (फैक्स)	
29.	मंदसौर उप अंचल, इन्दौर अंचल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, 19/सी/ए/स्लाईस–5, स्कीम नंबर 78, अरण्य, डाकघरः विजय नगर, इन्दौर (मध्य प्रदेश) – 452010	अधीक्षक	0731–2557705	indzu-ncb@ nic.in

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

भारत सरकार गृह मंत्रालय

पश्चिमी खंड-1, विंग-5, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

दूरभाष: 011-26181553, फैक्स नं.: 011-26185240

वेब साइट : www.narcoticsindia.nic.in

ई-मेल : narcoticsbureau@nic.in

Printed at US Graphics Pvt Ltd, New Delhi #9958297966.